खण्ड-264, अंक-9
बुधवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(16 मार्च, 1966 ई0)

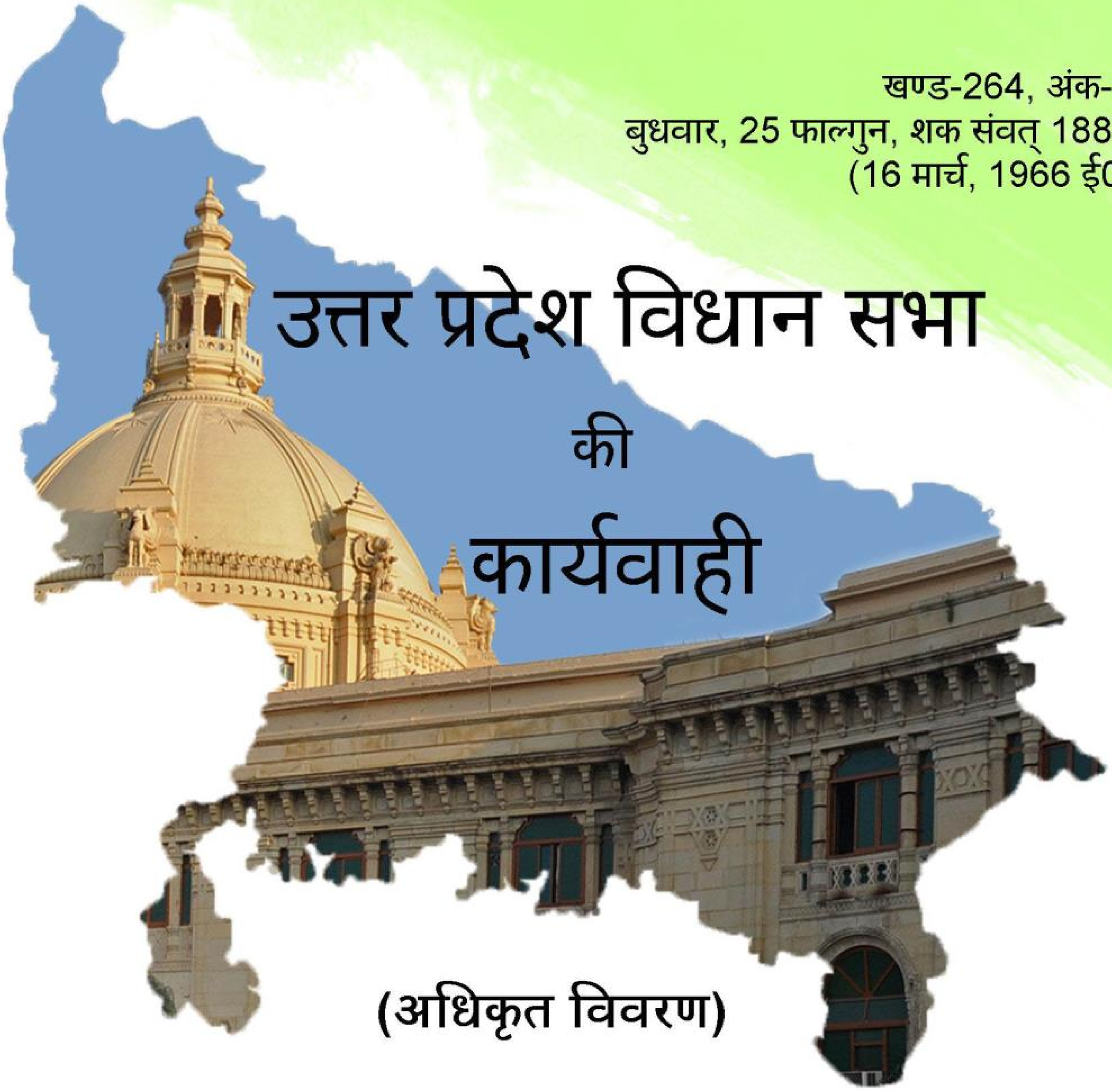

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श , श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त , श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटब, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी. श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाउ करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रम शाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजय शंकर, श्री
विजयशंकरसिंह श्री
विजयसिंह श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उप मन्त्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १६ मार्च, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी दूकानों से मोटा अनाज लेने के लिए विज्ञप्ति

**१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १६ फरवरी, १९६६ से सरकार ने नागरिकों को मिलने वाले गेहूं को ५ से बढ़ा कर ६ किलो कर दिया है ? यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी आदेश सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों तक पहुंच गये हैं, या नहीं ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

क्या सरकार यह भी स्पष्ट करेगी कि सरकारी गल्ले की दूकानों में जो ६ किलो गेहूं जनता को मिलता है। चावल व मोटा अनाज उसी में शामिल है या उसके अतिरिक्त ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से ६ किलो गेहूं जनता को प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से वितरण करने के कोई आदेश नहीं हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत फरवरी में समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी कि गल्ला जो ५ किलो मिलता था वह उससे बढ़ाकर ६ किलो कर दिया जाएगा, तो वह विज्ञप्ति किस आधार पर थी और उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या आदेश था ?

श्री अध्यक्ष—

समाचार पत्रों के छापने का काम सरकार का तो है नहीं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबर के बारे में मंत्री जी क्या बताएं ?

एक सदस्य—

इनके विभाग के नाम से विज्ञप्ति निकली थी।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

वह यह है कि अगर कोई लेना चाहे तो एक किलो मोटा अनाज उसको साथ में मिल सकता है, यह विज्ञप्ति है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अन्य बड़े नगरों में घोषित किया गया था कि यहां पर स्थायी राशनिंग की जाएगी, लखनऊ में वह स्थायी राशनिंग करने का विचार कर रहे हैं ? और यहां पर जो मिल रहा है उसमें वृद्धि करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

१५ अगस्त या १ सितम्बर से संभवतः कवाल टाउन्स में लागू किया जा सकेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

इस समय जो राशन प्रति व्यक्ति राशन की दूकानों पर मिल रहा है, यह ८ किलो से कब घटा कर इतना किया गया और क्यों किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता रहा है। यहां कभी पचास हजार से नीचे वालों को नहीं लिया, फिर तीस हजार वालों को कुछ आटा दिया, तो पहाड़ों पर दूसरी मात्रा दी जाती रही, और पूर्वी जिलों में दूसरी मात्रा दी जाती रही। तो इसके बारे में तो अलग-अलग जगह पर आवश्यकतानुसार अलग-अलग नियम रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मेरा प्रश्न यह है कि यह ८ किलो से कब घटाया गया और क्यों घटाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले साल रबी की फसल के बाद ही यह परिवर्तन किया गया।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहाड़ी जिलों में या पूर्वी जिलों में भिन्न-भिन्न प्रकार से अन्न दिया जाता है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में प्रति व्यक्ति कितना अन्न दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक मुझे स्मरण है मात्रा तो यही है, लेकिन छोटे-छोटे जिलों और गांवों में भी दिया जा रहा है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)—

कम्प्लीट राशनिंग हो जाने के कारण जो कानपुर में ८ किलो राशन दिया जा रहा है, उसमें चावल की तादाद बहुत कम है, तो जो लोग ज्यादा चावल खाने वाले हैं, क्या उनको ज्यादा चावल देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वहां पर ८ औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है और मजदूरों के लिये ४ औंस मोटा अनाज दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक चावल का सवाल है यह बड़ी दिक्कत है कि कौन चावल खाने वाला है और कौन नहीं, इसको देखना बड़ा कठिन हो रहा है। इसलिये बेहतर यह है कि चावल और गेहूं वाले एक दूसरे से अपने राशन की अदला-बदली कर लिया करें तो अच्छा है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

आपने अभी बताया कि एक किलो मोटा अनाज प्रत्येक व्यक्ति को और दिया जा सकता है। तो क्या सभी लोगों के लिये जितना मोटा अनाज चाहिये उतने के पूर्ति की व्यवस्था है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह जो मैंने कहा है वह बड़े-बड़े शहरों के लिये है। देहातों के लिये अलग-अलग नियम हैं और उनको अलग-अलग तरीके पर देते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

परसों आपने बजट अनुदान में कहा था कि जितना चाहिये हम उतना देने के लिये तैयार हैं। आज मालूम हो रहा है कि कम करते चले जा रहे हैं, तो इन दोनों में कौन-सी बात सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने तो इसी मात्रा के अन्दर कहा था कि जितना चाहो ले लो।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि देहाती क्षेत्रों में जो राशन की दूकानें हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है और न वहां पर उपभोक्ताओं को वितरण ही हो पा रहा है ? क्या इसके बारे में सरकार अपना निश्चित मत बतायेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पिछली फसल के बाद देहातों और ३० हजार तक की आबादी वाले शहरों में हमने दूकानें बन्द करने का निश्चय किया था लेकिन अब कमी चल रही है, नयी फसल आने को है तो हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स से कह दिया है कि कमी के क्षेत्रों में और छोटे-छोटे शहरों में भी मोटा गल्ला काफी दे सकते हैं और वे २ महीने तक चला दें। नयी फसल आने पर नयी दूकानें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

इधर नयी फसल भी आ ही गयी है और केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार के कोटे में वृद्धि की है। तो जो मात्रा इस समय है क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

बजाय चन्द व्यक्तियों की मात्रा बढ़ाकर ज्यादा आदमियों को दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१--श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२-३ श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

[प्रश्नकर्त्ता की प्रार्थना पर ६ठें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

स्वास्थ्य विभाग, जिला फतेहपुर की गाड़ियों की मरम्मत

*४--सर्वश्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर), बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा रघुनाथ (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर स्वास्थ्य विभाग में कितनी मोटर गाड़ियां तीन माह से अधिक की अवधि से मरम्मत के लिये पड़ी है, उनमें हर एक की मरम्मत के लिये पड़ी रहने के समय की अवधि क्या है ? और उनकी मरम्मत में देरी होने के क्या-क्या कारण हैं ? किस सरकारी अधिकारी ने उक्त गाड़ियों की मरम्मत के लिये कितने रुपयों में मरम्मत पूरा कराने के लिये कब-कब, किन-किन फर्मों को आदेश दिये हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर की दो मोटर गाड़ियां मरम्मत के लिये हैं जिनका आवश्यक विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९८ पर ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

यू० पी० गवर्नमेंट प्रेस कोआपरेटिव लि०, इलाहाबाद के हिसाब-किताब में गड़बड़ी

*१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के गवर्नमेंन्ट प्रेस के अन्तर्गत गवर्नमेंट प्रेस सहकारी समिति में बहुत बड़ा धन गबन हुआ ? यदि हां, तो कितना ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

यू० पी० गवर्नमेन्ट प्रेस कोआपरेटिव लि० इलाहाबाद के हिसाबात में मु० ४६,९५९.२२ रु० की गड़बड़ी पाई गई है । समिति के हिसाब का स्पेशल आडिट हो रहा है जिसके पूर्ण होने पर ही गबन की वास्तविक धनराशि का पता चल सकेगा ।

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट प्रेस सहकारिता विभाग में गबन होने के कारण कई वर्षों से ठप्प कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री बनारसीदास--

यू० पी० गवर्नमेन्ट प्रेस सहकारी समिति में कुप्रबन्ध और हिसाबात की गड़बड़ी होने के कारण समिति के प्रबन्ध कारिणी समिति को वर्ष १९५८ में निलम्बित कर दिया गया था ।

*३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेन्ट प्रेस सहकारिता विभाग का आडिट (हिसाब-किताब) कितने वर्षों से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

यू० पी० गवर्नमेन्ट प्रेस सहकारी समिति लि० इलाहाबाद का आडिट १९६३–६४ तक बराबर प्रत्येक वर्ष हुआ है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

यह जो गबन ४६,९५९ रुपये २२ पैसे का है, यह किस वर्ष के आडिट से मालूम हुआ और स्पेशल आडिटर भेजने की अवश्यकता कब पड़ी ?

श्री बनारसीदास—

सबसे पहले १५–११–५७ को गवर्नमेंट प्रेस सहकारी समिति का निरीक्षण वहां के तत्कालीन सी० ओ० ने किया और उसी वक्त इसका पता चला ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

मंत्री जी ने बताया कि ६३–६४ तक बराबर आडिट होता रहा, तो यह रेगुलर आडिट होता रहा या स्पेशल आडिट उस समय तक का हुआ है ?

श्री बनारसीदास—

६३ तक का आडिट जैसे साधारण होता है वह हुआ, लेकिन यह समिति ५८ में निलम्बित हुई और उसके बाद स्पेशल आडिट का आर्डर दिया गया । वह चल रहा है । इसके लिये मुझे बड़ा खेद है कि अभी तक स्पेशल आडिटर ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है । उनको रिमाइन्ड किया गया है और उन्होंने कहा है कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट देने वाले हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि गवर्नमेंट प्रेस का हजारों रुपये का सामान बेचने का आरोप भी वहां कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया है ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रकार की सूचना नहीं है लेकिन यह जो इस वक्त सूचना मिली और जिसकी जानकारी इस सदन के सामने रखी गई वह किसी शिकायत के आधार पर नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

गवर्नमेंट प्रेस और गवर्नमेन्ट प्रेस कर्मचारियों की सहकारी समिति इन दोनों में ही यह गड़बड़ घोटाला है ?

श्री बनारसीदास—

गवर्नमेन्ट प्रेस के जो कर्मचारी हैं उनकी सहकारी समिति से संबंधित यह प्रश्न है । उसका ही मैं जवाब दे रहा हूं । मैंने यह निवेदन किया कि कर्मचारियों की तरफ से जो सहकारी समिति है उसके सदस्यों की शिकायत पर नहीं बल्कि स्वयं जब सी० ओ० ने रेगुलर आडिट का निरीक्षण किया था तब यह रोशनी डाली ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब १९५७ में उनको यह पता लगा कि समिति में गबन है तो उसके कितने दिन बाद स्पेशल आडिट नियुक्त किया और आज तक जो रिपोर्ट नहीं दी तो उसके लिये उन्होंने कोई कारण दिया था ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—

इस स्पेशल आडिट के लिये लिख दिया गया था लेकिन उसका काम ६१ में शुरू हुआ । जैसा माननीय सदन जानते हैं कि स्पेशल आडिट स्वतन्त्र है । स्पेशल आडिट के काम की मांग सबे

भर से आती है। इसलिये उन्होंने कहा कि कार्यभार अधिक होने के कारण विलम्ब हो गया। हमारी तरफ से उनको बराबर कहा जाता है। उनका कहना है कि वह अपनी रिपोर्ट जल्द ही देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी रखी जायगी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भी वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेन्ट प्रेस कर्मचारियों की काम कर रही है और उसकी प्रबन्ध समिति में वे लोग भी शामिल हैं जो ५८ में निलम्बित किये गये थे ?

श्री बनारसीदास--

जहां तक इस समिति का संबंध है उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। उसको खत्म करके प्रशासक नियुक्त किया है जो इस समय भी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि ५७ में स्पेशल आडिट नियुक्त हुआ और उसने ६१ में काम शुरू किया जो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया ७, ८ साल हो गये हैं, तो इन स्पेशल आडिट को और ज्यादा नियुक्त करेंगे जिससे ज्यादा मांग होने का कार्य पूरा किया जा सके ?

श्री बनारसीदास--

मैं स्वयं इस देरी के लिये कोई औचित्य नहीं समझता। किन्तु इसमें विलम्ब के लिये यदि स्पेशल आडिट की वृद्धि की जरूरत पड़ी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कर्मचारी रिटायर हो गये हैं उनका रुपया उस कोआपरेटिव सोसाइटी में जमा है और ५८ से आज तक उनको नहीं मिला है। तो उसको दिलाने की चेष्टा की जायगी ?

श्री बनारसीदास--

अब यह जैसे २ मालूम होगा उस पर विचार किया जायगा कि कितना देना है और सोसाइटी के पास कितनी पूंजी है। जब से प्रशासक नियुक्त हुआ है तब से हर साल लाभ भी हुआ है।

विकास खण्ड अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख, कल्यानपुर के विरुद्ध आरोप

*४--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड अधिकारी 'कल्यानपुर' जिला कानपुर ने पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत ग्राम लाल शाह का पुरवा मजरा ग्राम बिनौर ग्राम सिंहपुर तथा मन्धना जूनियर हाई स्कूल में बगैर कुंये बनवाये हुये अनुदान प्राप्तकर्ताओं को फर्जी बिल तथा वाउचरों के माध्यम से ७,५०० रुपये अनुदान की धनराशि का भुगतान कर दिया है और इस आरोप की जांच कृषि एवं ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के टेक्निकल असिस्टेन्ट ने माह अगस्त, १९६५ के पश्चात् की है ? यदि हां, तो क्या सरकार टेक्निकल असिस्टेन्ट की रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड अधिकारी तथा ब्लाक प्रमुख, कल्यानपुर के विरुद्ध उक्त आरोप से संबंधित दिनांक २ नवम्बर, १९६५ का प्रार्थना-पत्र विकास मंत्री तथा जिलाधीश महोदय, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एक बार यह प्रश्न स्थगित हो चुका है। यह सीधा-सा प्रश्न है। जो रिपोर्ट टेक्नीकल असिस्टेंन्ट ने लखनऊ में भेजी है उस रिपोर्ट के बारे में क्या रिपोर्ट है केवल यह जानकारी चाही है। दिसम्बर का यह सवाल है जो एक बार स्थगित हो चुका है। तो ऐसे प्रश्न के संबंध में बार-बार सूचना एकत्रित करने का क्या कारण है ? मंत्री जी कब तक इसका जवाब देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

टक्निकल असिस्टेंन्ट की रिपोर्ट आयी या नहीं, यह तो सरकार बता ही सकती है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जब कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है कि जिसमें समुचित मात्रा में जानकारी नहीं दी जाती तो हम उसे वापस कर देते हैं और पूरी सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ही ऐसी देर होती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आपने स्पेशन मेसेन्जर भेज कर कानपुर से उन अधिकारियों को बुलवाया और कल वे यहां आये थे, उन से बात भी हुई थी लेकिन फिर भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

इस से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितनी जल्दी जवाब मंगाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप की कोशिश के संबंध में हम को कोई शंका नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को पता होना चाहिये कि यह विलम्ब क्यों हो रहा है। तो जब यह कहा जाय कि सूचना एकत्र हो रही है तो उस विलम्ब का कारण दे देना उचित होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन प्रश्नों पर सूचना एकत्र की जा रही है इस प्रकार का उत्तर दिया जाता है वह प्रश्न हम को दुबारा सदन में नहीं मिलते। इसलिये जब सूचना सरकार को प्राप्त हो जाय तो उन पर हम को प्रश्न करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

नियम यह है कि जब इस प्रकार का उत्तर दिया जाय कि सूचना एकत्र की जा रही है तो १५ दिन बाद वह प्रश्न अवश्य ही सदन के समक्ष आ जायगा और आप उस पर प्रश्न कर सकेंगे।

राजालाल उपभोक्ता सहकारी समिति, सहारनपुर के विरुद्ध गबन के आरोप

*६—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि अभी हाल में राजालाल, उपभोक्ता सहकारी समिति, शहर सहारनपुर में २६,००० रुपये का गबन पाया गया है, जिसकी बाबत १७ नवम्बर, १९६५ को प्रश्न-कर्त्ता ने स्वयं डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, मेरठ को एक लिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि इस गबन की जांच की जावे ?

*७—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जांच का क्या परिणाम निकला और रुपया वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—

माननीय प्रश्नकर्ता महोदय ने राजालाल उपभोक्ता सहकारी समिति के संबंध में दिनांक १७-११-६५ को एक प्रार्थना पत्र उप-निबन्धक सहकारी समिति, मेरठ को दिया था। इस पत्र पर जांच हो चुकी है।

प्रार्थना-पत्र में डिपो होल्डरों के विरुद्ध २६,५८४.०० रु० के जिस कथित गबन का उल्लेख है वह गबन की रकम नहीं है बल्कि डिपो होल्डरों पर बकाया की रकम है। इस बकाया की वसूली के लिये डिपो होल्डरों के विरुद्ध अभी सालसी कार्यवाही चल रही है।

श्री जयगोपाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १७ नवम्बर को मैंने दरख्वास्त दी थी और जिस पर जांच हो गयी है उसमें पहला प्वाइंट यह था कि पिछले प्रधान इस संस्था के मदनलाल जी से २५,००० रुपया हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी वसूल नहीं किया जा सका ?

श्री बनारसीदास—

जो आपने लिखा है उसमें यह है कि राजालाल कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर के नाम से समिति संगठित की गयी थी और यह सही है कि हाई कोर्ट से उनका रिट खारिज किया गया था और उस के बाद कार्यवाही की गयी। लेकिन १९६२ में अदम पैरवी में वह मामला खारिज हो गया और अब उसकी अपील फिर सामने है।

श्री जयगोपाल—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि १८ जनवरी, सन् १९६५ को आर्बिट्रेटर ने यह मुकदमा खारिज कर दिया है और अपने फैसले में लिखा है कि प्रधान महोदय सबूत नहीं दे सके और इसलिये यह मुकदमा खारिज किया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

जैसा मैंने निवेदन किया कि वह मामला सालिसी कार्यवाही का नहीं था। समिति ने चूंकि पैरवी नहीं की, इस लिए वह खारिज हो गया। अब उसकी अपील ए० आर० के सामने पेंडिंग है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि २५ हजार रुपया राजालाल एरिया कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी का पहला गबन हुआ और अब २६ हजार रुपया डिपो होल्डरों पर है, जिसको वह नहीं दे पाये हैं। यह रुपया चेकों की मार्फत जो भूतपूर्व प्रधान थे उनके नाम से ईश्यू हुआ जिनकी फोटोस्टेट कापी प्रेमचन्द्र के हस्ताक्षरों से ईश्यू हुई और वह "विद्रोही" अखबार निकली हैं ? इन दो बातों को ध्यान में रखकर वह फिर जांच के आदेश जारी करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

मैं उत्तर दे चुका हूं। यह बकाया रकम डिपो होल्डर्स को चेक से ईश्यू हुआ, कैसे हुआ, वह तो पृथक सवाल है। जैसा कि कहा गया उसकी अपील हुई है। चूंकि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने लापरवाही की इसलिये उसको निलंबित करके सुपरसीड करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए कि यह मुकदमा अमानत में खयानत का है उसको फौजदारी की अदालत में देना क्यों नहीं मुनासिब समझा गया ?

श्री बनारसीदास—

वहां के डायरेक्टर्स को सुपरसीड करने जा रहे हैं और यह भी मत है कि प्रधान और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है और कानूनन उनसे इस रुपये के वसूल करने का प्रयास किया जायगा।

श्री जयगोपाल—

क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले को टालने के लिये अपील की गयी है जबकि वह रुपया डिपो होल्डर्स से उनकी जमानत से वसूल कर सकते थे ? वह उनके तनख्वाहदार मुलाजिम थे, उनकी तनख्वाह से वसूल कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास—

यह काम था समिति के डायरेक्टर्स का। समिति ने सबसे पहले जब हटाना चाहते थे तो हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया, वह खारिज हो गया। फिर चाहते थे कि यह रुपया वसूल हो, उन्होंने वसूल करने में मदद नहीं की। इसीलिए चाहते हैं कि उनको सुपरसीड किया जाय, उसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री जयगोपाल—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने दो चीजों को मिला दिया है। एक तो चीज यह है कि मदनलाल जो पहले प्रधान थे उनसे २५ हजार रुपया वसूल करने का मामला हाई कोर्ट गया। मगर जो दूसरे प्रेमचन्द्र प्रधान हैं जिन्होंने २६ हजार की बात की है वह हाई कोर्ट में मामला नहीं गया। इसलिये दोनों में हाई कोर्ट की बात को बीच में लाना गलत है। यह दूसरा जो मामला है उसमें रुपया निजी रूप से इस्तेमाल किया गया है और १६ अगस्त, १९६५ के अखबार "विद्रोही" ने वह फोटो-स्टेट कापी छापी है जिसमें उन्होंने डिपो होल्डरों को चिट्ठियां लिख कर भेजी हैं कि यह निजी इस्तेमाल में आया है।

श्री बनारसीदास—

मैंने जहां तक हाई कोर्ट का जिक्र किया था वह पहले के संबंध में था। मेरे पास सूचना यह है कि २६ हजार रुपया तो मंसाराम बैंक में जमा किया गया था जबकि....

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यह बात नहीं है। जो पहले मंसाराम बैंक में जमा किया गया था वह २५ हजार रुपया था जिसके बारे में रिट किया गया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया था कि चूंकि ५ साल से ज्यादा हो चुका है, उस रुपये को वसूल नहीं कर सकते हैं, यह जवाब मंत्री जी ने लीपापोती करके दे दिया। लेकिन हाई कोर्ट से जब रिट खारिज हो गया, तो क्यों नहीं वसूल किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि २५ हजार रुपये के संबंध में हाई कोर्ट में रिट हुआ था और २६ हजार के बारे में कोई रिट नहीं हुआ है।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि यह एक तो करीब २६ हजार रुपया वह है जो मंसाराम बैंक में जमा किया गया जो अनधिकृत था और यह बैंक लिक्वीडेशन में आ गया। उसके बाद हमने वसूली की कार्यवाही की। उस पर हाई कोर्ट में रिट हो गई। वह रिट खारिज हो गयी। अब उस मामले में चूंकि ५ साल से ज्यादा का समय हो गया है, इसलिये अब उसके ऊपर सालसी कार्यवाही की जायेगी। दूसरा एक और २६ हजार कुछ का। यह २५ का नहीं, २६ का है। यह डिपो होल्डर्स का पैसा है। इसके बारे में भी मैंने निवेदन किया कि सालसी कार्यवाही की जा रही है। इसमें बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की साजिश मालूम होती है। इनके बारे में जनवरी के महीने में आखिरी रिपोर्ट आयी है, उसको सुपरसीड करने के बारे में हम विचार कर रहे हैं और रुपये की वसूली के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, पहले आर्डर हुआ था कि यह २६ हजार रुपया डाइरेक्टरों से वसूल किया जाय, मगर फिर वह स्टे कर दिया गया। इसलिये कर दिया गया कि एक भूतपूर्व मंत्री चाहते थे कि वे बच जायं। इसलिये यह बयान दिलवा दिया था कि ५ साल हो चुके हैं। क्या यह सही है?

श्री बनारसीदास—

यह मेरे रिकार्ड में तो है नहीं। चूंकि हाईकोर्ट में वह खारिज हो गया और ५ साल की अवधि हो गयी, इसलिये यह राय दी गयी है कि सालसी कार्यवाही की जाय। जिन लोगों ने रजिस्ट्रार की हिदायतों के बाद भी उस रुपये को मंसाराम बैंक में जमा किया, वह उनसे वसूल किया जा रहा है।

श्री जयगोपाल—

एक साल पहले असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहारनपुर ने यह सिफारिश की थी कि इस सोसाइटी को भंग कर दिया जाय, तो अब तक उस कागज को क्यों दबाये रखा गया और अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, अब मेरे सवाल करने पर क्यों सोचा जा रहा है?

श्री बनारसीदास—

आखिरी रिपोर्ट हमें इस संबंध में फरवरी में प्राप्त हुई है। उसके बाद इस पर विचार हो रहा है।

औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के कर्मचारी

*८—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में कुल कितने कितने कर्मचारी और किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा कितने ऐसे हैं जो कारखाना कानून के अन्तर्गत कार्य करते हैं?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

कथित निर्माणशाला में कुल १९३ कर्मचारी ४० विभिन्न पदों पर जिन का विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है कार्य कर रहे हैं। अधीक्षक, सहायक प्रबन्धक, सहायक लेखा अधिकारी, हेड क्लर्क, एकाउन्टेन्ट, स्टेनोग्राफर तथा खजान्ची को छोड़ कर सभी कर्मचारी कारखाना कानून के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९९–८०० पर)

*९—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त निर्माणशाला में कुल कितने कर्मचारी स्थायी हैं और उनका सेवाकाल कितना-कितना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कुल ३० कर्मचारी स्थायी है। इन के सेवा काल का विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०१ पर)

*१०—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रमायुक्त ने कर्मचारियों के हित को दृष्टिकोण में रखकर कोई नियमावली जनवरी, सन् १९६० में बनाई थी ? यदि हां, तो क्या उसके अनुसार कर्मचारियों को सुविधायें दी जा रहीं हैं या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२६ जनवरी, १९६० से श्रमायुक्त द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार कर्मचारियों को नियमित अवकाश संबंधी सुविधाओं को छोड़ कर प्रायः सभी सुविधायें दी जा रहीं थीं। इस नियमावली के अनुसार अवकाश संबंधी सुविधायें देने के बारे में भी आयुर्वेद निदेशक को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारी जो जानकारी है उसमें चालीस पदों में बीस आदमी ऐसे हैं जो फाइनेन्शयल हैन्ड बुक के अन्तर्गत काम करते हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इसकी जांच करायेंगे कि जो कारखाना कानून से भिन्न श्रमायुक्त ने नियमावली बनाई है उसके अतिरिक्त जो २६ आदमी रखे गये हैं उनको कारखाना कानून के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हमारे अनुसार तो सब कारखाना कानून के अन्तर्गत इनको छोड़कर रखे गये हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, स्टोर कीपर चार हैं जिनमें दो कारखाना कानून के अन्तर्गत हैं और दो फाइनेन्शियल हैन्ड बुक के अन्तर्गत हैं। इसी तरह से ४ केमिकल असिस्टेन्टस में से दो कारखाना कानून के अन्तर्गत और दो फाइनेन्शयल हैन्ड बुक के अन्तर्गत हैं। दफतरी पैकर की आठ जगह हैं जिसमें तीन फाइनेन्शयल हैन्ड बुक के अन्तर्गत हैं और पांच कारखाना कानून के अन्तर्गत हैं। इसी तरह से २६ आदमी भी ऐसे हैं जिनको कारखाना कानून नहीं मिला हुआ है। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह फाइनेन्शयल हैन्ड बुक में कहां लिखा हुआ है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह आपके जवाब में नहीं है, पर यह हमारी सूचना है। आप क्या इसकी जांच करायेंगे कि जिन २६ आदमियों को कारखाना कानून नहीं मिला हुआ है उनको यह अधिकार दिलायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसमें संभवतः माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि जहां स्थायी और अस्थायी इस प्रकार से लोग हैं वहां स्थायी लोग फाइनेन्शयल हैन्ड बुक को मानते हैं। मेरे विचार से सभी कारखाना कानून के अन्तर्गत हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुल १९३ आदमी काम करते हैं जिनमें से ३० आदमी स्थायी हैं और ८३ आदमी डेली वेजेज पर काम करते हैं तथा ८० आदमी ऐसे हैं जो बारह-बारह साल से काम कर रहे हैं और आज तक भी स्थायी नहीं हुये हैं। उन ८० आदमियों को कब तक स्थायी बना देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कारखाना कानून के अन्तर्गत कोई प्रश्न नहीं उठता है। वे पूरी सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं और चल रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रमायुक्त ने जो नियमावली बनाई है, क्या आपकी निर्माणशाला में वह नियमावली नहीं लागू होती ? वे कर्मचारी बारह-बारह साल से भी काम करने के पश्चात् भी क्या स्थायी नहीं हो सकते ?

श्री अध्यक्ष—

कोई नियम ऐसा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पद स्थायी नहीं हैं। बाकी उनकी नौकरियां तो स्थायी हैं ही।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ये जो ८० पद हैं वे कब तक परमानेन्ट हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जो मंत्री जी कह रहे हैं उसको समझ लिया जाय। वे कहते हैं कि अगर कोई पोस्ट ही अस्थायी हो तो उस पर किसी को स्थायी किस रूप से रखा जाता है।

श्री रघुनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पद अस्थायी हैं लेकिन अस्थायी पद पर काम करने वाले लोग स्थायी कार्य कर रहे हैं। जैसाकि माननीय काशीनाथ जी ने बताया कि जो लोग डेली वेजेज पर काम करने वाले हैं, तो क्या उन लोगों का भी कार्य आप स्थायी मानते हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

दैनिक कार्य करने वाले भी एक सीमा के बाद स्थायी कार्य करने वाले हो जाते हैं, लेबर लाज के अन्तर्गत।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सरकार ने सन् ५४–५५ में एक डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग्स कमेटी बनाई थी और उसने यह सिफारिश की कि जो विभाग स्थायी हो गये हैं अगर उनके कोई भी कर्मचारी किसी पद पर तीन साल लगातार काम करें तो वे स्थायी हो जायेंगे। मैं उस पृष्ठभूमि में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आपका विभाग स्थायी है और एक कर्मचारी अस्थायी पद पर तीन साल तक कार्य कर चुका है तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप उन्हें स्थायी क्यों नहीं बनायेंगे और यदि नहीं बनायेंगे, तो आपके खिलाफ हम मुकदमा क्यों नहीं चलायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बड़ा अच्छा हो यदि माननीय सदस्य एक मुकदमा कर के लेबर कोर्ट का फैसला करा लें। तो वह तो हमें मान्य होगा ही।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कौन से कानून या नियम के अनुसार ८,१० साल तक ही काम करने के बाद आप पेन्शनें देते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जब स्थायी पद खाली हुये, तो स्थायी कर दिये ।

पुत्र-वधू की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री हरपालसिंह का जिला बुलन्दशहर से पत्र

*११—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६५ के अन्तिम अथवा सितम्बर, १९६५ के प्रथम सप्ताह में श्री हरपाल सिंह, ग्राम नया गांव, जिला बुलन्दशहर द्वारा उनकी पुत्र बधू की मृत्यु जिला महिला अस्पताल की लेडी डाक्टर, श्रीमती कुलश्रेष्ठ की उपेक्षा के कारण हो जाने के संबंध में पत्र स्वास्थ्य मंत्री जी को मिला ? यदि हां, तो क्या बतायेंगे कि पत्र में मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्री हरपाल सिंह जी का एक शिकायती-पत्र उनकी पुत्र बध की मृत्यु के संबंध में शासन को मिला था । शिकायतों की जांच करा ली गई है । जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्री हरपालसिंह जी का पत्र क्या है और उसमें मुख्य बातें क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

That in the morning of 15th July last, my daughter-in-law, Nirmala, who was in the family way, complained of pain in the stomach. My son and wife took her to the Female Hospital, Bulandshahr, and showed her to the lady doctor(G. Kulshreshtha) in-charge of the hospital. She examined her and told them to get her admitted in the hospital, as her condition was grave. She prescribed some medicines also, which were given to her. They returned home with Nirmala at about 11 a.m. On hearing from them, I advised my son (Davendrapal Singh) to take her to Brindaban Missionary Hospital next morning, as generally the people complained about the incompetency of the lady doctor.

That, as luck would have it, the bleeding started after two hours, and there was no recourse except to take her to the same hospital, where she was admitted in the private ward.

That I saw the lady doctor, and she told me that she had examined Nirmala, and found her suffering from high blood pressure. I told her that for the last one month she has been under the treatment of Dr. S. P. K. Sharma, Medical Officer, Bulandshahr, Hospital for anaemic condition, and high blood pressure.

That at about 4 p.m. the same day, lady doctor told me that she will not take up the case, unless blood was given to Nirmala. I requested the doctor to reconsider her opinion, as the patient was already suffering from high blood pressure, but she gave no heed to my request, and having got Rs.181 deposited for blood, etc. *sent for the Pathologist* (*Dr. Dikshit*) from the Sadar Hospital. At the time Nirmala was hale and hearty, except some pain in the stomach.

That in spite of our request not to transfuse blood, blood transfusion was given to Nirmala under the directions of lady doctor, with the result that Nirmala began to *shiver* with cold, became unconscious, and the blood came out from her mouth. The lady doctor told us in presence of the patient *to send for* the parents of Nirmala through telegram, as her condition was hopeless.

That my wife further requested the doctor not to use any force in the delivery and that let it may be normal, as the condition of Nirmala at the moment did not allow any force to be used to effect delivery. When Dr Dikshit (Pathologist) came out of the room after transfusion of the blood, I requested him to let me know the condition of Nirmala. He told me that he had transfused 1/B cc. of blood. By chance, *his eyes fell on the bed-sheet of* Nirmala, and found that she was a high blood patient, and he at once stopped the transfusion. My wife requested the lady doctor to allow her inside the room, but she harshly refused....

श्री अध्यक्ष--

इतना काफी है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसके द्वारा जांच कराई गई और रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उप-निदेशक महिला, डाक्टर मन्डोसा ने जांच की और रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का विचार है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

रिपोर्ट में उन्होंने कितनी शिकायतों की ताईद की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उन क्लैरीफिकेशन्स को लेकर कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

कितनी शिकायतों को उन्होंने सही माना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अभी तक हम उस रिपोर्ट को फाइनल नहीं मान रहे हैं।

जसपुरा ब्लाक में लगाया गया पम्पिंग सेट

*१२--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जसपुरा, जिला बांदा के अन्तर्गत ग्राम गौरी कलां में सन् १९६५ में कोई पम्पिंग सेट सिंचाई हेतु सरकार की सहायता से लगा है ? यदि हां, तो उसके द्वारा सिंचाई हो रही है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि उक्त पम्पिंग सेट जिस कुयें में लगा है उसकी बोरिंग करने में सरकार असफल रही है और उसके परिणामस्वरूप उक्त कुआं भी बेकार हो गया है और उसके संबंध में कृषि मंत्री जी को ८ नवम्बर, १९६५, विकास मंत्री जी को ६ नवम्बर, १९६५, डा० पी० ओ० को १३ अगस्त, १९६५ व १८ नवम्बर, १९६५ तथा कृषि मंत्री जी को दुबारा १८ नवम्बर, १९६५ को प्रार्थना-पत्र भेजे जा चुके हैं परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकला ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४—श्री उग्रसेन—

क्या विकास मंत्री जी को उपरोक्त सभी प्रार्थना-पत्रों की एक-एक प्रतियां प्रश्नकर्ता द्वारा माह दिसम्बर, सन् १९६५ के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उग्रसेन—

२३-२-६६ को यह प्रश्न आया और जवाब के लिये स्थगित हो गया था । न पम्प चला और न सिंचाई हुई । कुर्क अमीन घर पर पहले पहुंच गये । अगर यहां स्थगित है तो वहां भी स्थगित कीजिये । (कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजेन्द्रसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री जी से पूरक प्रश्न करने के लिये मैं और जगन्नाथ राव जी खड़े थे । मगर आपने बैठे हुये सदस्य, माननीय उग्रसेन जी को पुकारा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या १२, १३ और १४ उग्रसेन जी के हैं, इसलिये उन्हें पुकारा ।

बड़हलगंज के लिए हेल्थ सेण्टर

*१५—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज ब्लाक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अभी तक न खोलने का कारण क्या है और कब तक खुलने की सम्भावना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बड़हलगंज ब्लाक में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोले जाने और बड़हलगंज में स्थित जिला परिषद् के चिकित्सालय को ग्राम डेरवा में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी हो चुके हैं । ग्राम डेरवा में परिषद् के अस्पताल के लिये उपयुक्त भवन न मिलने के कारण इसका स्थानान्तरण ग्राम डेरवा में नहीं किया जा सका । जब परिषद् का चिकित्सालय बड़हलगंज से डेरवा में स्थानान्तरित हो जायगा तो बड़हलगंज में हेल्थ सेन्टर पूर्णरूप से कार्य करने लगेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिला परिषद् का चिकित्सालय स्थानान्तरित करने का आदेश कब हुआ और किस व्यक्ति ने या किस अधिकारी ने जांच की कि स्थानान्तरण हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मार्च ६४ में स्थानान्तरित करने का आदेश हुआ और जांच डी० एम० और डी० पी० ओ० ने की।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जांच किन-किन तारीखों में की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिला परिषद् का अस्पताल बिरवा में जाने वाला है और बड़हलगंज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अस्पताल खुलने वाला है ? क्या माननीय मंत्री जी इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बिरवा में खोलने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह रेटर्न के अनुकूल न होगा।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बिरवा राप्ती के कछार में १५० गांवों का केन्द्र स्थान है, तो क्या माननीय मंत्रीजी इस अस्पताल को उन १५० गांवों के लिये वहीं रहने देंगे क्योंकि वहां सरकार को जमीन भी मुफ्त मिल जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

दोनों जगह अस्पताल हो जायेंगे। बिरवा में जिला बोर्ड का अस्पताल आ जायगा और बड़हलगंज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि बिरवा में फ्लड सेंटर की बिल्डिंग पहले से ही मौजूद है ? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वह जिला परिषद के अस्पताल के लिये उपयुक्त है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसकी जांच करा ली जायगी। अगर वह बिल्डिंग उपयुक्त होगी तो तुरन्त खोलने की व्यवस्था की जायगी।

सिंचाई कूप

*१६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी अभियान को प्रोत्साहन देने के लिये इस वर्ष ग्रामों में कितने नये कुयें सरकार द्वारा खुदवाये गये ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१७—श्री विजय सिंह—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

घाटमपुर विकास खण्ड में ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक

*१८—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिलान्तर्गत घाटमपुर विकास खंड के किन-किन ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक ३१ मार्च, १९५६ से ३१ मार्च, १९५८ तक की मध्यावधि का शासन द्वारा दिनांक १ दिसम्बर, १९६५, तक का भुगतान नहीं किया गया ?

*१९—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पारिश्रमिक रोके गये ग्राम सेवकों के वेतन रोकने के मुख्य-मुख्य आधार क्या हैं ?

*२०—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारिश्रमिक अथवा वेतन का उक्त धन कब तक अदा किया जा सकेगा ।

श्री राममूर्ति—

घाटमपुर विकास खंड के समस्त ग्राम सेवकों को कथित अवधि का पारिश्रमिक भुगतान हो चुका है । केवल एक ग्राम सेवक श्री शिव आधार सिंह गौतम का अप्रैल १९५६ से मार्च, १९५८ तक की अवधि का निलंबन काल का निर्वाह भत्ता किन्हीं प्रशासकीय कारणों से अभी तक भुगतान नहीं हो सका । अब उक्त भ ा बिल पूर्व समीक्षा के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिया गया है और पूर्व समीक्षा के पश्चात् उनको भुगतान कर दिया जायगा ।

फतेहपुर मड़ाव विकास खण्ड में सीमेंट वितरण

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर और अक्तूबर १९६५ में आजमगढ़ के फतेहपुर मड़ाव विकास खंड की क्षेत्रीय समिति द्वारा कितनी बोरी सीमेंट वितरित हुई और क्या कन्या पाठशाला दुवारी, अपर प्राइमरी पाठशाला मिश्रौली (मोलनापुर), तिघरा, नेवादा, गोपालपुर, धरौधा, माधवपुर को सीमेंट दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वंशीधर पांडेय—

अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि सितम्बर और अक्टूबर सन् ६५ में आजमगढ़ के फतेहपुर मड़ाव विकास खंड में ७५५ बोरी सीमेन्ट के परमिट प्रमुख द्वारा काटे गये । इसके वितरण के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है, जो मांगी जा रही है ।

कन्या पाठशाला दुवारी तथा अपर प्राइमरी पाठशाला तिघरा के प्रार्थना-पत्रों को प्रमुख ने अस्वीकृत कर दिया । प्राइमरी पाठशाला धरौरा माधोपुर को सीमेन्ट नहीं दी गई । शेष पाठशालाओं का कोई भी प्रार्थना-पत्र रजिस्टर में दर्ज नहीं है । इसकी विस्तृत सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है जो मांगी जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि कन्या पाठशाला दुवारी और अपर प्राइमरी पाठशाला तिघरा को सीमेंट न देने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रमुख के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । कारणों का विवरण मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का कारण बतायेंगे कि जिन भवनों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा अनुदान दिया गया उनको तो सीमेंट दिया नहीं गया और दूसरे लोगों को इश्यू कर दिया गया ? क्या मंत्रीजी इसकी इंक्वायरी करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जो बात माननीय रामसुन्दर जी ने बतायी, वह गैरमुनासिब हुई है। इसलिये बी० डी० ओ० को रिवर्ट कर दिया गया है और डिपार्टमेन्ट को लिखा गया है कि ऐसे केसेज में सख्त कार्यवाही की जाय जहां गवर्नमेन्ट द्वारा अनुदान दिये गये भवनों को सीमेंट न दिया जाकर दूसरों को दिया गया हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो बड़ी अजीब बात हुई। उत्तर में बताया गया है कि प्रमुख ने सीमेंट नहीं दी लेकिन यहां सजा बी० डी० ओ० को दी जा रही है। बी० डी० ओ० इसमें कैसे आता है ?

श्री राममूर्ति—

बात यह है कि यह वितरण तो बी०डी०ओ० ही करते थे लेकिन चूंकि प्रमुख का असर रहता है, अब तो एग्जिक्यूटिव कमेटी यह काम करती हैं लेकिन पहले उन्हीं की सलाह से काम होता था, प्रमुख तो चुने हुए हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही होती नहीं, सरकारी अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सीमेंट जिस काम के लिये इन ब्लाक्स में दिया गया उसमें इस्तेमाल न कर के उसका दुरुपयोग किया गया। यह बात वहीं की नहीं है बल्कि दूसरे जिलों में भी यही होता है और प्रमुख और बी०डी० ओ० गड़बड़ करते हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जिससे इस तरह की सीमेंट की गड़बड़ी न हो ?

श्री राममूर्ति—

अब व्यवस्था कर दी है, सीमेंट रिलीज हो गया है, जो चाहे जितना खरीदे।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

प्रदेश में देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल-भवन-निर्माण के लिये अनुदान दिया गया है उससे दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी बहुत से स्कूल नहीं बन सके हैं। उसके सीमेंट आदि के बहुत से अन्य कारणों के साथ एक कारण यह भी है कि इस काम के लिये २,५०० रुपये का जो अनुदान निश्चित किया गया है वह वर्तमान गिरानी में बहुत ही कम है। क्या इस अनुदान की बढ़ोत्तरी करने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

यह तो अलग सवाल है, इसका उत्तर यहां नहीं दिया जा सकता।

बरेली सिन्थेटिक रबर कारखाने में अग्निकाण्ड

*२२—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़), श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली), श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस सप्ताह के प्रारम्भ में बरेली सिंथेटिक रबर कारखाने में भयंकर आग लग जाने से लाखों की हानि हो गई है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । प्रबन्धकों का कहना है कि लगभग १ करोड़ रुपये की हानि हुई है । बीमा कम्पनी वास्तविक हानि का अनुमान अब भी करने में व्यस्त है ।

*२३—श्री झारखण्डेराय, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री यादवेन्द्र दत्त तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस अग्निकांड का पूरा विवरण क्या है ? और सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

कारखाने के बी०डी०प्लांट में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ । विस्फोट स्थान बी०डी० प्लांट का केन्द्र स्थल कम्प्रेसर नं० ३ एवं ४ के समीप प्रतीत होता है क्योंकि यह स्थान सब से अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है । इसके फलस्वरूप तीन कर्मकार मरे और ३४ अन्य कर्मकार घायल हुए । केमिकल इंजीनियर तथा इस विषय के अन्य विशेषज्ञों द्वारा इस विस्फोट की जांच की व्यवस्था की गई है । कारखाने को कारखाना अधिनियम के कुछ उपबन्धों से छूट दे दी गई है जिससे प्लांट की मरम्मत हो सके ।

श्री झारखण्डेराय—

क्या श्रम मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इस विस्फोट और दुर्घटना के पहले वहां के मजदूरों और प्रबन्धकों में संघर्ष था जिसके कारण मजदूरों ने विवश हो कर हड़ताल कर रखी थी ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, यह सही है कि १५-१२-६५ से वहां हड़ताल थी ।

श्री झारखण्डेराय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विस्फोट हुआ क्या उसके कारणों की जांच-पड़ताल की गई ? यदि हां, तो वह विस्फोट क्यों हुआ और उसका कारण क्या था ?

श्री बनारसीदास—

यह घटना १९ तारीख की है और उसके बाद ही ३० को चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज मौके पर गये और उन्होंने जांच की लेकिन अभी मुख्य कारण के संबंध में खास तौर से वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

क्या सरकार के इल्म में यह आया कि यह विस्फोट उस समय हुआ था जबकि मजदूर स्ट्राइक कर रहे थे और उनकी अनुपस्थिति में कारखाने में थोड़े से आदमियों ने उस प्लांट को चलाया ? तो मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्टैरिम रिपोर्ट सरकार के पास आयी क्या उसमें इस बात का जिक्र है ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, ऐसा नहीं है । वहां पर जो हड़ताल थी वह आंशिक थी । काफी आदमी काम पर जाते थे । इसका पता कैसे लगाया जा सकता है कि कौन लायल इम्प्लायी था और कौन डिसलायल था क्योंकि कोई लाक आउट तो नहीं था और कारखाना चल रहा था ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यह विस्फोट शाम के समय हुआ, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मजदूरों और प्रबन्धकों में जो झगड़ा चल रहा था उसका लाभ लेकर अराष्ट्रीय तत्वों ने, जो प्रोपाकिस्तानी और प्रोचाइना थे, दोनों ने यह चाहा कि इस इंडस्ट्रियल पोटेंन्शियल को क्षति हो ?

श्री बनारसीदास—

जांच के आधार पर जो रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास आयी है इससे निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि सैबोटियर्स का कोई इसमें हैंड था या मजदूरों से हुआ। इसके लिये कोई क्लियर फाइंडिंग्स नहीं हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जांच कैमिकल इंजीनियर द्वारा हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जांच किस के तत्वावधान में, उत्तर प्रदेश की सरकार करा रही है या किसी और दूसरी एजेंसी द्वारा इसकी जांच हो रही है। यदि सरकार द्वारा जांच करायी जा रही है तो वह कौन से एक्सपर्ट्स द्वारा करा रही है ?

श्री बनारसीदास—

फैक्ट्री की जांच फैक्ट्री के इन्सपेक्टर ने की है। चूंकि यह फैक्ट्री इन्श्योर्ड है तो इन्श्योरेंस वालों ने भी की। फिर यह कन्सर्न अमेरिका का है, फायर स्टोन का, उसके जरिये भी इसकी जांच करा रहे हैं।

श्री झारखण्डेराय—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि फैक्टरी में आंशिक हड़ताल थी और हमारी सूचना यह है कि वहां पर मुकम्मिल हड़ताल थी। पर अगर आंशिक हड़ताल भी मान ली जाय, तो जो मजदूर हड़ताल पर थे और काम पर नहीं गये, उनकी जगह पर प्रबन्धकों ने रा-हैंड्स को इम्प्लाय किया जिसके कारण यह सब कुछ हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो माननीय जगदीशशरण जी ने किया था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि अभी कोई निश्चय नहीं किया जा सका।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वहां पर विस्फोट हुआ, वह किसी ब्वायलर के फटने या किसी बड़ी मशीन के फटने से हुआ या किसी विस्फोटक पदार्थ को बाहर रख देने से हुआ ?

श्री बनारसीदास—

वहां पर तो सारा ही विस्फोट पदार्थ रहता है। वह बी० डी० प्लांट के अन्दर हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मिस-हैंडलिंग से हुआ। यह ठीक तरह से मशीन न चलाने के कारण भी हो सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विस्फोट में सैबोटेज हुआ है या नहीं। क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी जांच अपनी एजेंसी द्वारा करायी है ?

श्री बनारसीदास—

अभी इसकी निश्चयपूर्वक कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसकी जांच करायी है, अथवा नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अभी तो कहा है कि इन्सपेक्टर आफ फैक्टरीज के द्वारा जांच करायी है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कोई सेबोटेज हुआ ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इस बात को देखते हुए कि इस फैक्ट्री में जो विस्फोट की घटना हुयी, उससे बहुत काफी नुकसान हुआ, और, जैसा कि देखा जा रहा है और सुनने में भी आया है वहां पर जो स्थिति है वह अत्यन्त गम्भीर हो गयी है और कुछ अराष्ट्रीय तत्वों ने यह विस्फोट कराया है, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसकी जांच के लिये एक हाई लेविल कमेटी बिठायी जाय या इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी जाय ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रकार की जांच केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं और, जैसा मैंने बताया, कम्पनी की तरफ से खुद यू० एस० ए० के जो कोलैबोरेटर्स हैं वे जांच कर रहे हैं ताकि वह उस का ऐनेलैसिस करें और यदि आवश्यकता हुई तो फिर सी० आई० डी० जांच करे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

विशेषज्ञ की जो बात कही गई है, अध्यक्ष महोदय, वह तो नुक्सान का अन्दाजा लगायेंगे । मेरा सीधा प्रश्न यह है कि सेबोटाज हुआ या नहीं, इस की जांच या तो सी० आई० डी० से करायें या सेंट्रल इंटेलीजेंस ब्यूरो से करायें । तो क्या सरकार इन दोनों में से किसी को यह जांच दे कर इसकी स्पष्ट जांच करायेगी कि सेबोटाज हुआ या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

कोई निश्चयात्मक रिपोर्ट नहीं है कि आया सेबोटाज हुआ या नहीं । इसके बारे में विचार किया जायगा । लेकिन अब चूंकि मिल मालिकों और मजदूरों के अन्दर फैसला हो गया और वहां पर अच्छा वातावरण है और कार्य शुरू हो गया इसलिये अगर इस प्रकार की फिर कोई जांच कायम की गई तो उससे विपरीत प्रभाव पड़ने की भी आशंका है ।

शास्त्री शोक दिवस पर फैजाबाद में शराब की दूकानें खुली रहने की शिकायत

*२४—श्री झारखंडे राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमर सेनानी और शांति दूत स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री जी के निधन पर, जब सारा शहर शोक में बन्द पड़ा था, तो फैजाबाद शहर में शराब और मादक वस्तुओं की दूकानें खुली थीं ? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे नराधमों के खिलाफ वह क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्राप्त सूचनानुसार ११-१-६६ तथा १२-१-६६ को फैजाबाद शहर में शराब और मादक वस्तुओं की दूकानें बन्द थीं । अतएव किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट— तारांकित प्रश्न २३ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

बाराबंकी जिले में जन-शक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो पत्र ६ मार्च, १९६५, को अधीक्षण अभियंता (अल्प सिंचाई) विभाग, उत्तर प्रदेश को बाराबंकी जिले में जन शक्ति योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के लिये लिखा था उसमें किन-किन ब्लाकों की किन सड़कों को उपयुक्त बताया था और उसमें उल्लिखित सड़कों के उक्त योजना में शामिल करने हेतु क्या कदम अब तक उठाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास क्षेत्रों में स्थित हैदरगढ़-मुबेड़ा, हैदरगढ़-महाराजगंज तथा भिलवल हसुवापुर गूड़ा नामक सड़कों को ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत लिये जाने के लिए उपयुक्त बताया था। ऊपर लिखे दोनों ही विकास क्षेत्रों ग्रा० ज० श० योजना में स्वीकृत नहीं हैं और जब तक भारत सरकार इस योजना में प्रचुर मात्रा में नये ब्लाकों को शामिल करने की अनुमति नहीं देती तब तक उन ब्लाकों एवं उनमें स्थित उक्त सड़कों को इस योजना में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मार्ग निर्माण के संबंध में संबंधित क्षेत्र समितियों ने क्या निश्चय किया है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार को उक्त सड़कों के निर्माण के संबंध में दिनांक २१ जुलाई, १९६५, का कोई पत्र सामुदायिक विकास मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त सड़कों से संबंधित विकास खंड, हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी, का सरकार द्वारा जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत ब्लाकों के शामिल करने के संबंध में गठित प्रदेशीय समिति ने उन ब्लाकों को जन-शक्ति योजना में शामिल करने की सिफारिश राज्य सरकार से की है ? यदि हां, तो तो क्या सरकार हैदरगढ़ त्रिवेदीगंज विकास खंड को जन-शक्ति योजना में शामिल कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सड़कों के निर्माण पर कितना धन व्यय होने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बढ़ौला ग्राम में चिकित्सालय

*२८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री, ग्राम बढौला, विकास खंड एटा, की स्थिति, आबादी एवं आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सालय खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

सीमित साधनों के कारण अगले वर्ष किसी नये अस्पताल खोलने की व्यवस्था नहीं है। अतः बढौला में नये अस्पताल खोलने के प्रश्न पर इस समय विचार करना संभव नहीं है।

जिला अस्पताल, बरेली में नर्सों का भत्ता

*२९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

दिनांक २४ फरवरी, १९६५ के मेरे द्वारा दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्रमांक २ से ५ तक की नर्सों को अब तक किराया नहीं दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कथित ४ नर्सों में से ३ नर्सों को मकान का किराया जून, १९६५ से लगातार दिया जा रहा है। इससे पूर्व की अवधि का मकान के किराये का बिल स्वीकृत होकर महालेखापाल उ०प्र० को प्री-आडिट के लिये भेज दिया गया है। प्री-आडिट के पश्चात् बिल के पास होने पर भुगतान किया जायेगा। कु०सी०के० मदान को मकान का किराया नहीं दिया गया है क्योंकि वे प्रशिक्षण काल से ही अपनी इच्छानुसार बाहर रह रही हैं।

*३०—श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमती पुष्पा शर्मा स्टाफ नर्स (अब श्रीमती शुक्ला) आदि नर्सेज को नर्सेज होम से बाहर रहने की अनुमति दिये बिना हाउस रेंट दिये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमती पुष्पा शर्मा स्टाफ नर्स (अब श्रीमती शुक्ला) आदि नर्सों को नर्सेज होम से बाहर रहने की अनुमति वहां के सिविल सर्जन द्वारा दिनांक ११-३-१९६४ को दी गई थी, जिसके अनुसार उनको मकान का किराया दिया जाता है।

डरवा ग्राम में चिकित्सालय

*३१—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बढ़हलगंज ब्लाक के डरवा ग्राम में कोई अस्पताल खोलने की योजना है ? यदि हां तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और सरकार ने अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बडहलगंज में स्थित जिला परिषद के चिकित्सालय को ग्राम डरवा में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। ग्राम डरवा में उपर्युक्त भवन अभी तक न मिलने के कारण यह कार्य पूरा न हो सका है।

बोनस बकाया

*३२—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोनस ऐक्ट १९६५ के अन्तर्गत प्रदेश में कितने औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान बोनस के देनदार हैं ? कुल प्रतिष्ठानों में से कितने प्रतिष्ठानों ने निर्धारित अवधि के भीतर बोनस अदा कर दिया है और कितने प्रतिष्ठानों ने नहीं अदा किया ? बोनस की अदायगी के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनशक्ति योजना अनुदान

*३३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में सन् १९६४–६५ तथा १९६५–६६ सालों में कितना रुपया मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत था तथा उसमें से ३१ दिसम्बर, १९६५, तक कितना खर्च हुआ और बाकी न खर्चा होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

देवरिया संयुक्त अस्पताल की महिला चिकित्सक के विरुद्ध जांच

*३४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया संयुक्त अस्पताल की महिला चिकित्सक के विरुद्ध जो विभागीय जांच १९६५ में कराई गई उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

*३५—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया संयुक्त अस्पताल की महिला चिकित्सक अपने इस पद पर देवरिया में कितने दिनों से हैं तथा साधारण नियम से ३ वर्ष के बाद स्थानान्तरण होना चाहिये, इसके बाद भी इनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डा० (श्रीमती) एस०के० मेहरा पी० एम०एस० (डब्ल्यू०) देवरिया संयुक्त अस्पताल में १५ जुलाई, १९६१, से हैं । इन के स्थानान्तरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*३६—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया स्थित संयुक्त अस्पताल की महिला चिकित्सक के विरुद्ध उनके इस जिले में कार्यकाल के बीच कितने शिकायती-पत्र राज्य सरकार, चिकित्सा निदेशक तथा सिविल सर्जन देवरिया को मिले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

दहगवां में विकास कार्य

*३७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

२२ सितम्बर, १९६५, के लिये निर्धारित श्री उल्फत सिंह के अतारांकित प्रश्न ७ के उत्तर से सम्बन्धित, क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गूल निर्माण ५०१ मीटर कराया गया है उसके लिये १ जनवरी, १९६५, से ३१ अगस्त, १९६५, तक किसके-किसके प्रार्थना-पत्र गूल अनुदान हेतु प्राप्त हुये तथा किस-किस को कितना-कितना अनुदान दिया गया था तथा जिनको नहीं दिया गया, उनको अनुदान न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मथुरा जिले में पम्पिंग सेट व सिंचाई कूप

*३८—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में कितने सरकारी पम्पिंग सेट लग चुके हैं जिनसे सिंचाई हो रही है और छाता तहसील में कितने कुएं सन् १९६४–६५ में बन कर सिंचाई योग्य हो गये हैं और कितने अधूरे पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परेवा निवासी नजीर खां व नन्हीं बेगम को वृद्धावस्था पेंशन

*३९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम परेवावैश्य, जिला पीलीभीत, में नजीर खां, पुत्र न्याज मो० खां, तथा श्रीमती नन्हीं बेगम उर्फ छोटी बेगम, पत्नी नियाज बहादुर खां को वृद्धावस्था-पेंशन गत कई वर्षों से दी जा रही है जब कि प्रथम व्यक्ति बरेली में रहता है और उसके पुत्र आदि काफी कमाते हैं और दूसरा व्यक्ति नन्हीं बेगम का अस्तित्व ही नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

श्री नजीर खां को १ सितम्बर, १९६५ और श्रीमती नन्हीं बेगम को १ अक्तूबर, १९६२ से पेंशन स्वीकृत है । ये दोनों ही व्यक्ति ग्राम परेवा वैश्य में रहते हैं और वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं ।

बदायूं जिले में वृद्धावस्था पेंशन

*४०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कितनी वृद्धावस्था-पेंशनर लोगों की वृद्धावस्था-पेंशन तीन माह से अधिक से नहीं दी गयी है और उसका क्या कारण है तथा सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

ऐसे ६ व्यक्ति हैं, जिनमें से पांच को पिछली भेजी गयी पेंशन के भुगतान का प्रमाण-पत्र पोस्ट आफिस से न प्राप्त होने के कारण तथा एक के पता बदल देने के कारण तीन महीने से अधिक से पेंशन नहीं भेजी जा सकी है । वृद्धावस्था पेंशन नियमों के अनुसार जब तक पोस्ट आफिस से पहले भेजी गयी पेंशन के भुगतान का प्रमाण-पत्र नहीं मिल जाता आगामी पेंशन नहीं भेजी जा सकती । इसी प्रकार बदले हुये पते पर पेंशनर के जीवित और निराश्रित होने का प्रमाण-पत्र जिलाधीश से जब तक प्राप्त नहीं हो जाता आगे की पेंशन नहीं भेजी जा सकती ।

विकास खण्ड पटियाली में स्टाकमेन सेण्टर

*४१—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या विकास मंत्री ग्राम नरथर, विकास खंड पटियाली, जिला एटा, में क्षेत्र की पशु-चिकित्सा सुविधा के लिये स्टाकमैन सेन्टर खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक खुल जावेगा ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम नरथर, विकास खंड पटियाली, में स्टाकमैन सेंटर खोलने का कोई प्राविधान नहीं है । पशु चिकित्सा सुविधा के लिये इस विकास खंड में पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त २ स्टाकमैन सेंटर, १ ग्राम ककराला में ब्लाक बजट से तथा दूसरा ग्राम बढोला में पशुपालन विभाग की तरफ

[श्री राममूर्ति—]

से कार्य कर रहे हैं। एक विकास खंड में केवल दो ही स्टाकमैन सेंटर खोलने का प्राविधान होता है।

१६ मार्च, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२-३—श्री झारखण्डेराय—

[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गांव सभा, नेमडाड़ के लिए स्वीकृत धन

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री दिनांक २५ मार्च, १९६४, के तारांकित प्रश्न सं या ४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नेमड़ाड़ के प्रधान ने मार्च सन् १९६२ का १ हजार रुपया प्राप्त जनवरी सन् १९६३ को देर से पास बुक में क्यों जमा किया और उक्त धनराशि कहां तथा क्यों पड़ी रही ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभा नेमड़ांड़ के लिये स्वीकृत एक हजार रुपये अनुदान की धनराशि हरिजन विभाग द्वारा शासकीय कोष में वैयक्तिक लेखा जिला गांव फंड के मद में मार्च, ६२ में हस्तान्तरित कर दी गई थी जो बाद में सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी की मांग पर जनवरी ६३ में शासकीय कोष से निकाल कर सीधे गांव सभा की पास बुक में जमा कर दी गई थी। अतः प्रधान द्वारा पास बुक में देर से जमा करने तथा अन्यत्र पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुपये का उपयोग हो गया है ? वाउचरों तथा काम का निरीक्षण किसी अधिकारी द्वारा हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विकास खंड के ग्राम बेलाली, कांठतराव और नेमड़ाड़ की कन्या पाठशालाओं के भवनों का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम बैलौली, काठतरांव और नेमड़ांड़ के कन्या पाठशालाओं के भवनों का निर्माण धन.भाव के कारण अभी पूरा नहीं किया जा सका है।

उत्तर प्रदेश भारत सेवक समाज को अनुदान

*७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सेवक समाज, उत्तर प्रदेश, की कान्स्ट्रक्शन कमेटी को १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ वर्षों में कितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया और उसका क्या उपयोग उक्त संस्था द्वारा किया गया और कहां-कहां पर ?

श्री राममूर्ति—

भारत सेवक समाज, उत्तर प्रदेश, की कांस्ट्रक्शन कमेटी को निम्नलिखित ऋण दिया गया—

१९६२–६३

(१) भारत सेवक समाज, जिला शाखा वाराणसी को २०,००० रु० ।

(२) भारत सेवक समाज, जिला शाखा देहरादून को ५,००० रु० ।

१९६३–६४

कोई ऋण नहीं दिया गया ।

१९६४–६५

भारत सेवक समाज, उत्तर प्रदेश, को ५,००,००० रु० । उपरोक्त रुपये का उपयोग उक्त संस्था द्वारा जिन कार्यों एवं स्थानों पर किया गया उसकी सूची संलग्न है ।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०२ पर ।]

*८—श्री हृदीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रुपया किस आधार पर दिया गया और उपरोक्त रुपया सही रूप में व्यय हो, उसे देखने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? क्या सरकार की जानकारी में यह रुपया उचित ढंग से इस्तेमाल किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

उपरोक्त रुपया, भारत सरकार की जन सहयोग योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार की स्वीकृति पर, उत्तर प्रदेश भारत सेवक समाज द्वारा इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर दिया गया है । उक्त रुपया सही रूप में व्यय हो, इसे देखने की समुचित व्यवस्था कर दी गई है । सरकार को जहां तक ज्ञात है उक्त धन का उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है ।

बाराबंकी जिले में पोस्ता का छिलका खरीदने के लिए लाइसेन्स

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में पोस्ता का छिलका खरीद-फरोख्त करने के लिये विगत ३ वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं तथा उक्त काल में कौन-कौन आवेदन-पत्र खारिज किये गये ? क्या सरकार उक्त नामों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

निर्दिष्ट अवधि में जिला बाराबंकी में पोस्ता का छिलका खरीद-फरोख्त करने के लिये जिन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं उनका विवरण संलग्न सूची 'क' में तथा जिन लोगों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं उनका विवरण संलग्न सूची 'ख' में दिया हुआ है ।

[देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०३–८०५ पर ।]

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त जिले में जिन लोगों को पोस्ता का छिलका खरीदने हेतु लाइसेंस दिये गये हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस जिले के रहने वाले नहीं हैं फर्जी एड्रेस देकर इस जिले में लाइसेंस लिये हैं ? यदि हां, तो खारिज होने वाले आवेदन-पत्रों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बाबूराम सक्सेना—

सूची (क) के क्रमांक १ और १९ के लाइसेंसी, जो क्रमशः जिला गाजीपुर और जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, को छोड़कर सभी लाइसेंसी जिला बाराबंकी के निवासी हैं। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को फर्जी पता देने पर कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। खारिज होने वाले आवेदन-पत्रों का विवरण प्रश्न ९ के उत्तर में उल्लिखित सूची 'ख' में है।

*११—श्री राजेन्द्रसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

जिला परिषद् एटा में समितियां

*१२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् एटा को गठित हुये २ वर्ष से भी अधिक हो गये हैं परन्तु अभी तक किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जिला परिषद् एटा को विधिवत् समितियों का गठन तीन माह में करने के लिये आवश्यक आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

विद्युत् परिषद् के वर्क चार्ज्ड स्टाफ को अन्तरिम सहायता न मिलना

*१३—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् ने अपने अस्थायी कर्मचारियों और वर्क चार्ज्ड स्टाफ को ३० सितम्बर, १९६५, की राजाज्ञा के मुताबिक अन्तरिम सहायता दी है या नहीं ? यदि नहीं, तो सरकार ने ३० सितम्बर, १९६५ की राजाज्ञा का पालन कराने के लिये क्या कदम उठाये हैं और राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले सेवा योजक (राज्य विद्युत् परिषद्) के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। चूंकि वर्कचार्ज स्टाफ को पहले से मंहगाई का भत्ता नहीं मिलता था, इसलिये ३० सितम्दर, १९६४, की राजाज्ञा के मुताबिक अन्तरिम सहायता भी उनको देय नहीं है। सेवा योजक के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बिजली कर्मचारियों के लिए वेतन समिति

*१४—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित बिजली प्रतिष्ठानों के लिये उच्च-स्तरीय वेतन समिति कब नियुक्त हुई थी और उसे अपना प्रतिवेदन कितने दिनों में पेश करना था ? उपरोक्त उच्च स्तरीय वेतन समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है और इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

समिति की नियुक्ति ९ जुलाई, १९६४, की विज्ञप्ति के अनुसार हुई थी और उसे अपना प्रतिवेदन ४ मास के अन्दर देना था। विलम्ब का कारण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

सुल्तानपुर जिले में डाक्टरों का नानप्रैक्टिसिंग एलाउन्स

*१५—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में जिला परिषद् के कितने मानव अस्पताल में प्रायमरी हेल्थ सेन्टर कब से स्थापित किये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१६—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या यह सही है कि इन अस्पतालों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस न करने देने के एवज में नान हेल्थ एलाउन्स प्रैक्टिसिंग एलाउन्स आज तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१७—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि इन डाक्टरों की नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स और हेल्थ एलाउन्स की बकाया धनराशि कितनी है तथा इसे दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? यह एलउान्स उन्हें कब तक मिल जायेगा तथा अब तक उनकी जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति की क्या कार्यवाही सरकार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८-२०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कूड़ेभार ब्लाक में रहट के लिए ऋण

*२१—श्री लालबहादुरसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ में जिला सुल्तानपुर के कूंडेभार ब्लाक से कितने व्यक्तियों ने ग्राम सभा टड़वा, किठावा से रहट के लिये सरकार से कितना-कितना ऋण लिया था और कितने-कितने व्यक्तियों ने रहट खरीदा ?

श्री राममूर्ति—

वर्ष १९६५ में जिला सुल्तानपुर के कूड़े भार ब्लाक से कथित ग्राम सभा के केवल एक व्यक्ति ने रहट के लिये ६०० रुपया ऋण सरकार से लिया । उन्होंने अभी तक कोई रहट नहीं खरीदा ।

*२२—श्री लालबहादुरसिंह—

क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को रहट के लिये ऋण दिया गया था उनमें अधिकांश लोगों ने रहट न लेकर अपने निजी कार्यों पर ऋण का धन खर्च कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

उपरोक्त व्यक्ति ने अभी रहट नहीं खरीदा, अतः उनसे ब्याज सहित एक मुश्त वसूली के आदेश जारी हो रहे हैं ।

वाराणसी जिले में श्रम हितकारी केन्द्रों में डाक्टर

*२३—श्री हरिगेनराम (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कितने राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं और क्यों ?

श्री बनारसीदास—

वाराणसी जिले में सभी श्रम हितकारी केन्द्रों में डाक्टर हैं ।

*२४—श्री हरिगेनराम—

क्या सरकार उन केन्द्रों पर शीघ्र डाक्टर भेजने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में दाई का बकाया वेतन

*२५—श्री हरिगेनराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के किन-किन राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में दाइयों की तनख्वाह कितने दिनों से नहीं मिल रही है और न मिलने का कारण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन दाइयों की तनख्वाह बाकी है वह कब तक मिल जाने की संभावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वाराणसी जिले के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चौरी में श्रीमती नन्हका देवी नाम की एक दाई की तनख्वाह अक्तूबर १९६२ से आडिट आपत्तियों के कारण रुकी हुई है । उसकी तनख्वाह शीघ्र ही दिलाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जिला परिषद् कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की सिफारिश

*२६—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् (भूतपूर्व डि० बोर्ड) के कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं अथवा पंचायत राज के ?

श्री राममूर्ति—

भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम लागू होने से जिला परिषद् के कर्मचारी हो गये हैं । ऐसे कर्मचारी सरकारी अथवा पंचायत राज विभाग के कर्मचारी नहीं हैं ।

*२७—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि १९४९ से १९६० तक जब-जब उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की मंहगाई भत्ता बढ़ा है, तब तब डि० बोर्ड के कर्मचारियों का भी बढ़ाया गया था ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में १९५७ व १९५९ में जो वृद्धि की गयी थी उनके अनुरूप तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गयी । १९५९ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के केवल ९५ रु० तक पाने वाले कर्मचारियों को ५ रु० प्रति मास महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था तथा ९५ रु० से १०० रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों

को महंगाई भत्ता इतना बढ़ाया गया कि उन्हें १०० रु० प्रति मास वेतन तथा महंगाई भत्ता मिला कर मिल सके। अप्रैल, १९६० में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों को ध्यान में रखते हुये बढ़ोतरी की गयी थी।

*२८—श्री मैनेजरसिंह तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १ जनवरी, १९६२, १ अप्रैल, १९६४, तथा १ जनवरी, १९६५, से राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है परन्तु जिला परिषद के कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

१-१-६२ से राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी। केवल २५४ रु० प्रति मास तक पाने वाले राजकीय कर्मचारियों को ५ रु० तक का एडहाक वेतन दिया गया था। १-४-६४ से राजकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दरों में ५ रु० प्रति मास की वृद्धि की गयी थी। १-१-६५ से ऐसे पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को जो उस समय महगाई भत्ता पाने के अधिकारी थे, अन्तिम सहायता इस शर्त पर दी गयी थी कि यह सहायता वेतन अभिनवीकरण समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्य होने पर शासन जो निर्णय लेगा उसके अनुसार देय अभिनवीकृत उपलब्धियों में विलीन कर दी जायगी।

१-४-१९६५ से जिला परिषद के कर्मचारियों को ५ रु० का विवेक भत्ता देने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त १-४-१९६५ से उनके ५ रु० से १० तक महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। उक्त दोनों भत्तों की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि जिला परिषदें इन पर आये व्यय को स्वयं वहन करें।

आजमगढ़ जिला परिषद् अध्यापकों को चुनाव-भत्ता

*२९—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ में पंचायत चुनाव में आजमगढ़ जिला बोर्ड के कितने अध्यापक चुनाव कार्य में लगाये गये थे ?

श्री राममूर्ति—

१३४१ अध्यापक चुनाव कार्य में लगाये गये थे।

*३०—श्री मंगलदेव—

उक्त कार्य के लिये कितने अध्यापकों को भत्ता दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

अब तक कुल ३२२ अध्यापकों को भत्ता दिया जा चुका है।

*३१—श्री मंगल देव—

क्या यह सही है कि कुछ अध्यापक भत्ता पाने से अब भी वंचित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। १०१९ अध्यापकों के भत्तों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इनमें से १,०१३ को उनके भत्ते के बिलों के त्रुटिपूर्ण होने और पूर्व समीक्षा (प्री आडिट) में महालेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के कारण भत्ता नहीं दिया जा

सका है । शेष ६ अध्यापकों में से २ का निधन हो जाने तथा ४ को सूचना देने पर भी उनके उपस्थित न होने के कारण, भत्ता दिया जाना शेष रह गया है ।

†सूची संलग्न है ।

*३२-३४—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

भीतरगांव विकास खण्ड कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

*३५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत विकास खंड भीतरगांव के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा कोई आरोप-पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ, जिसकी जांच उप-विकास आयुक्त, इलाहाबाद, द्वारा माह मई व जुलाई, १९६५ में की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन से कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जांच बहुत ही विस्तृत रूप से की गई जिसके दौरान में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर भी यथोचित गौर कर लिया गया । विकास खंड के बीज भंडार के सुपरवाइजर के अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी के दोषी पाये जाने के प्रमाण नहीं प्राप्त हुये । उक्त सुपरवाइजर को निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कृषि (क) विभाग में हो रही है ।

कानपुर जिले में सिंचाई के लिए सहायता

*३६—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत विकास खंड घाटमपुर, पतारा तथा भीतरगांव में वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता अनुदान व कर्ज के रूप में किस योजना के कार्यान्वित करने हेतु दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३७—श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दिये गये रुपये का उपयोग किन-किन व्यक्तियों ने किया ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर में श्रमिकों का वेतन

*३८—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, में ठेकेदारों के मजदूरों को क्या मासिक वेतन मिलता है और शक्कर उद्योग के लिये निम्नतम वेतन क्या है ? क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, में ठेकेदार अपने कर्मचारियों की हाजिरी तथा वेतन अदायगी का रजिस्टर रखते हैं या नहीं ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री बनारसीदास—

गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर में ठेकेदारों के जो श्रमिक फैक्ट्री के अन्दर काम करते हैं उन्हें चीनी वेतन मंडल के अनुसार रु०९६.३५ पै० मासिक वेतन तथा जो उनके श्रमिक फैक्ट्री से बाहर गन्ना क्रय केंद्रों पर कार्य करते हैं उन्हें रु० १.५० पै० से लेकर रु० १.७५ पै० प्रति दिन तक लगभग ५ घंटे काम करने का वेतन मिलता है।

उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों में काम करने वाले, श्रमिकों का न्यूनतम वेतन रु० ६०.०० महंगाई का भत्ता रु० ३६.३५ पै० है।

ठेकेदार के जो कर्मचारी उक्त मिल के भीतर काम करते हैं उनका नाम फैक्ट्री ऐक्ट द्वारा निर्धारित फार्म १२ पर हाजिरी तथा वेतन अदायगी रजिस्टर में लिखा जाता है। जो बाहर गन्ना क्रय केंद्रों पर काम करते हैं उनके नाम भी हाजिरी तथा वेतन रजिस्टर पर लिखे जाते हैं।

*३९—श्री झारखण्डेराय—

[७ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४०-४२—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)-

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४४—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४५—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४६-४७—श्री काशीनाथ मिश्र—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

सदर अस्पताल, गाजीपुर के सिविल सर्जन व कम्पाउन्डर के खिलाफ शिकायत

*४८—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री रघुनीरराम तथा श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन, कम्पाउन्डर राजकुमार सिंह के खिलाफ दिनांक ८ अक्टूबर, १९६५ को बासुदेव सिंह यादव, ग्राम खुदाबख्शपुर, पो० जलालाबाद (दूल्हपुर), ने एक प्रार्थना रजिस्ट्री से स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है? यदि हां, तो सिविल सर्जन व कम्पाउन्डर के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४९—श्री झिलमिटराम, श्री रामसुन्दर शास्त्री व श्री रघुबीर राम तथा श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सिविल सर्जन व कम्पाउन्डर के खिलाफ दिनांक १९ अक्टूबर, १९६५, को श्री रघुबीर राम, विधायक गाजीपुर, ने डाइरेक्टर आफ हेल्थ के यहां एक प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो अब तक उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५०—श्री शिलमिट राम, श्री रामसुन्दर शास्त्री व श्री रघुवीरराम तथा श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९६५, को डा० लतीफ जो कि दूल्हपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं किसी कार्यवश गाजीपुर गये थे और कम्पाउन्डर रामकुमार सिंह ने अस्पताल के सामने ही डाक्टर को बुरी तरह से सड़क पर मारा और उनकी घड़ी आदि भी छीन ली, जिसकी रिपोर्ट गाजीपुर कोतवाली में डा० लतीफ ने की है ? क्या इस कांड की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो सरकार ने कम्पाउन्डर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५१—श्री मतोलासिंह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला फतेहपुर में खण्ड विकास अधिकारी

*५२—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फतेहपुर में कितने खंड विकास अधिकारी हैं जो जिले में ३ वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं तथा उनके जिले से बाहर स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इस समय ऐसे चार खंड विकास अधिकारी हैं । शासकीय आदेशों के अनुसार एक खंड विकास अधिकारी को साधारणतः एक विकास क्षेत्र में पांच वर्ष तक नियुक्त रक्खा जा सकता है । इन चार खंड विकास अधिकारियों में से एक खंड विकास अधिकारी को, जिन्हें एक खंड में कार्य करते हुए पांच वर्ष हो चुके थे, को अन्य जिले में स्थानान्तरित किया गया है परन्तु कार्य के हित में फिलहाल उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है। शेष तीन खंड विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेलियानी विकास खण्ड का परिवार नियोजन केन्द्र

*५३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिला के तेलियानी विकास सेवा खन्ड का परिवार नियोजन केन्द्र, जिला नियोजन अधिकारी के मोटर गैरेज में, जिसमें अब भी जीप गाड़ी खड़ी की जाती है, खोल रखा है, जिसमें केन्द्र सूचक विभागीय साइन बोर्ड के सिवाय और कुछ नहीं है ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

तेलियानी विकास खन्ड का परिवार नियोजन केन्द्र जिला नियोजन अधिकारी के मोटर गैरेज में नहीं बल्कि एक दूसरे भवन में स्थित है जिसमें दो कमरे और एक आंगन है । यह बात गलत है कि केवल केन्द्र सूचक विभागीय साइन बोर्ड के सिवाय इस केन्द्र में और कुछ नहीं है ।

*५४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त केन्द्र का लिपिक कहीं अन्य स्थान में कार्य करता है तथा परिवार नियोजन केन्द्र का समस्त सामान एवं औषधियां जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पड़ी रहती हैं और विभाग को उक्त केन्द्र का किराया अनुचित ढंग से वहन करना पड़ रहा है ?

श्री बाऊबयाल खन्ना—

इस केन्द्र का लिपिक केन्द्र में काम करता है लेकिन काम समाप्त करके परिवार नियोजन अधिकारी के कार्यालय में भी कार्य देखता है । केन्द्र का समस्त आवश्यक सामान तथा औषधियां केन्द्र पर उपलब्ध रहती हैं । औषधियां जिला परिवार-नियोजन अधिकारी के भन्डार से केन्द्रों को वितरित की जाती हैं । केन्द्र का किराया अनुचित ढंग से वहन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५५—सर्वश्री लोकपालसिंह, बेद राम, श्रीराम, गिरवर प्रसाद, मतोलासिंह, हेमराज, नाथू राम शिक्षक, अवेद्यनाथ तथा रामसिंह शाक्य (जिला ऐटा)—

[७वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५६—श्री नरसिंहनारायण पान्डेय—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बुन्देलखंड में ब्लाकों को तोड़ना

*५७—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखन्ड में वह कुछ ब्लाकों को तोड़ने जा रही है ? यदि हां, तो कितने और जिला झांसी , जालौन, बांदा, हमीरपुर में अलग-अलग कितने कितने तोड़ने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । जिला अधिकारियों के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है । अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

*५८—श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

[७वें बुधवार के लिय स्थगित किया गया ।]

जिला बुलन्दशहर में ब्लाकों को तोड़ना

*५९—सर्वश्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत), मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा आचार्य मोहनलाल (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कौन-कौन से विकास खन्डों को समाप्त करने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—

जिले से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं । पर अभी उन पर विचार हो रहा है ।

दहगवां नाला

*६०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बदायूं के विकास खंड दहगवां के स्थित सरकारी तालाब से जो नाला ग्राम वासियों ने खोद कर निकाला है तथा वह पट रहा है उसे साफ कराने अथवा दुबारा खुदवाने की कृपा करेगी ताकि ग्राम की जनता का कल्याण हो सके ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम दहगवां के पश्चिम में गांव सभा दहगवां का तालाब है । इस तालाब से एक नाला पानी के निकास के लिये श्रमदान द्वारा खोदा गया था । दूसरे वर्ष प्रधान गांव सभा ने श्रमदान

से ही गांव के कुछ लोगों से सफाई कराई लेकिन गांव के सभी लोगों ने श्रमदान में योग नहीं दिया जिसके कारण पूरी सफाई नहीं हो सकी। पूरी सफाई तभी संभव हो सकेगी जब गांव वाले खुद ऐसा चाहेंगे तथा उसकी सफाई करने में गांव के अधिकांश व्यक्ति श्रमदान करेंगे।

लखनऊ में स्टेशन रोड पर कोआपरेटिव विभाग के कर्मचारियों का निवास

*६१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा क्रय की गई (३२ स्टेशन रोड) इमारत में कोआपरेटिव विभाग के कर्मचारी निवास भी करते हैं? यदि हां, तो उनके नाम व पद की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री बनारसीदास—

जी हां, सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८०७ पर।)

*६२—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सच है कि उक्त इमारत में अनधिकृत रूप से रहने वाली किसी महिला के विरुद्ध उक्त इमारत के निवासियों ने विभागाध्यक्ष के पास किन्हीं गम्भीर आरोपों की शिकायत की थी, तथा विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त महिला को गत माह में निवास स्थान खाली करने का नोटिस दिया गया था?

श्री बनारसीदास—

विधायक महोदय का अनधिकृत महिला से तात्पर्य सम्भवतः यू० पी० कोआपरेटिव फेडरशन के एक स्वर्गीय कर्मचारी की विधवा से है जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी ३२, स्टेशन रोड़ स्थित संघ के बिल्डिंग के एक हिस्से में रह रही है।

यह सत्य है कि उक्त महिला को भवन के उस हिस्से को खाली करने का नोटिस विगत अगस्त, ६४ में दिया गया था।

कार्यालय के रिकार्ड पर उक्त महिला के विरुद्ध आरोपों से संबंधित कोई कागजात नहीं है।

गांव सभा, मटौध के प्रधान के विरुद्ध आरोप

*६३—सर्वश्री शिवनाथसिंह, उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा, श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी), तथा श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा व तहसील बांदा के अन्तर्गत ग्राम मटौंध के प्रधान के विरुद्ध वहां के किसी सदस्य ने भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोप लगाये हैं और आरोप-पत्र जिले के सभी संबंधित अधिकारियों तथा सरकार को भी दिया है जिनकी तारीखवार लिस्ट साथ में संलग्न है? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री राममूर्ति—

जिला व तहसील बांदा की गांव सभा मटौंध के प्रधान के विरुद्ध वहां के एक सदस्य श्री राम मनोहर सिंह से अनेक शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनमें प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गबन के आरोप थे। इन शिकायती पत्रों की जांच कराई जा चुकी है परन्तु प्रधान के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए।

*६४—सर्वश्री शिवनाथसिंह, उग्रसेन, राधे श्याम शर्मा, गया प्रसाद तथा काशी नाथ मिश्र—

क्या यह सही है कि आरोप लगाने वाले ने यह दावा किया है कि यदि प्रधान के विरुद्ध आरोप न सिद्ध हुए तो सरकार मेरे ऊपर मुकदमा चला सकती है ? यदि हां, तो सरकार जांच में विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

अब तक प्राप्त शिकायती पत्रों में शिकायत कर्त्ता ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। जांच की जा चुकी है इसलिये विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

*६५—सर्वश्री शिवनाथसिंह, उग्रसेन, राधेश्याम शर्मा गया प्रसाद तथा काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार उक्त प्रधान को अविलम्ब मुअत्तल कर उसके सभी कागजात अपने कब्जे में ले लेगी और तुरन्त जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

शिकायतों की जांच की जा चुकी है। जब आरोप सिद्ध ही नहीं हुए तो प्रधान को मुअत्तल करने या कागजात प्रधान से लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*६६-६७—श्री गिरवरप्रसाद—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

पंचायत मंत्रियों का महंगाई भत्ता

*६८—श्री दुर्गा प्रसाद—

क्या सरकार शीघ्र ही ग्राम सभा पंचायत मंत्रियों के वर्तमान अल्प वेतन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के उपरान्त उन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि इत्यादि की समुचित सुविधायें प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं। गांव पंचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे पंचायत मंत्रियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि आदि की सुविधायें दें सकें। शासन पंचायत मंत्रियों के वेतन व भत्ते पर काफी रुपया प्रदेश की पंचायतों को अनुदान के रूप में देता है। वर्तमान परिस्थितियों में शासन पंचायत मंत्रियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि करने हेतु उक्त अनुदान की मात्रा बढ़ाने में असमर्थ है।

विकास खण्ड, खजुहा के निलम्बित कर्मचारियों का वेतन भुगतान

*६९—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के खजुहा विकास खंड के उन कर्मचारियों के नाम (पद सहित) जिनको विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष १९६५ में निलम्बित किया गया है ? क्या उनका कार्यरत समय का कुछ वेतन पाना अवशेष हैं, यदि हां, तो प्रत्येक को कब से कब तक तथा कितना और उन्हें अब तक भुगतान न दिये जाने के कारण क्या हैं कब तक का भुगतान किया जा सकेगा ? क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बित समय में जो १/४ वेतन सहायतार्थ रूप में दिया जाता है उक्त निलम्बित कर्मचारियों को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड खजुहा जिला फतेहपुर में वर्ष १९६५ में सर्वश्री चन्द्र पाल सिंह सेंगर, ग्राम सेवक, रामस्वरूप वर्मा, ग्राम सेवक, कृष्णा दीन सचान, ग्राम सेवक, तथा श्री राम ओतार, स्टोरकीपर एवं कैशियर निलम्बित किये गये। श्री चन्द्र पाल सिंह सेंगर का २१-६-६५ से ३०-६-६५ व १७-७-६५ से ३१-८-६५ तक और श्री राम ओतार का १-५-६५ से २८-५-६५ तक के कार्यरत काल के वेतन का भुगतान अवशेष है। श्री चन्द्र पाल सिंह सेंगर के उक्त कार्यरत अवधि का वेतन उनकी सेवा पुस्तिका खंड विकास अधिकारी बबीना (झांसी) से प्राप्त न होने के कारण अवकाश स्वीकृत न होने से नहीं किया जा सका है। श्री राम ओतार के उक्त कार्यरत काल का वेतन इस कारण खंड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका है कि उक्त अवधि में श्री राम ओतार कई दिन कार्यालय से अनुपस्थित रहे। श्री चन्द्र-पाल सिंह सेंगर की सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर व श्री राम ओतार की अनुपस्थिति की स्थिति स्पष्ट होने पर कार्यरत काल का वेतन भुगतान कर दिया जायेगा। उक्त दोनों कर्मचारियों के उक्त अवधि के अवशेष वेतन की धनराशि उनके कथित मामलों के निर्णित होने पर ही ज्ञात हो सकती है।

सर्वश्री चन्द्र पाल सिंह सेंगर, राम स्वरूप वर्मा तथा कृष्णादीन सचान का निलम्बन भत्ता ड्राफ्ट द्वारा २२-२-६६ को भेज दिया गया है। श्री राम ओतार का निलम्बन भत्ता अवशेष है जो क्षेत्र विकास अधिकारी खजुहा द्वारा इस कारण भुगतान नहीं किया गया है कि वे निलम्बन आदेश में, विकास खंड खजुहा में उपस्थित रहने के निर्देशानुसार, उपस्थित नहीं रहे।

पंच, ग्राम मदारी कलां के विरुद्ध कार्यवाही

*७०—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामसहाय, पंच, ग्राम मदारी कलां, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ ने कोई कुंआ ग्राम रास्ते में बनवाया है?

श्री राममूर्ति—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम सहाय, सदस्य, गांव पंचायत मदारी कलां तहसील कुन्डा जिला प्रतापगढ़ द्वारा एक कुंआ ग्राम रास्ते में बनाया जाना बताया गया है और इसके संबंध में जाब्ता फौजदारी की धारा १३३ के अनुसार परगनाधीश कुन्डा के न्यायालय में मुकदमा चलरहा है।

*७१—श्री भगवान दीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुआं बनाये जाने से अब उक्त बैजलपुर जाने वाला रास्ता किस ओर से निकाला गया है?

श्री राममूर्ति—

प्राप्त सूचनानुसार अब बैजलपुर जाने वाला रास्ता, उक्त सदस्य श्री राम सहाय, के मकान के दक्षिण तरफ से हो कर सामने बसे हुये एक हरिजन परिवार के घर के दक्षिण से होकर उत्तर की ओर निकलता है।

*७२—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त पंच के नाम ग्राम मदारी कलां में कोई पट्टा हुआ है या नहीं? यदि हुआ है, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

जुलाई सन् १९५३ से जून १९६४ तक की अवधि में उपर्युक्त सदस्य गांव पंचायत मदारी कलां के नाम कोई पट्टा नहीं हुआ है।

*७३-७५—श्री विक्रमशाह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

नव भारत टाइम्स में 'आदेश' के सम्बन्ध में प्रकाशन

*७६—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसका ध्यान ४ दिसम्बर, १९६५ के नव भारत टाइम्स, दिल्ली के पृष्ठ ६ पर लिखित शीर्षक "जहां आदेश कागजी घोड़े बन जाते हैं" के समाचार की ओर गया है ? यदि हां, तो उसमें वास्तविकता क्या है तथा सरकार ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, उक्त समाचार पत्र में सब बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर और अस्पष्ट रूप से (Vaguely) कही गयी हैं और व्यावहारिक सुझाव कोई नहीं बताया गया है। इस संबंध में न किसी प्रकार की कार्यवाही संभव है और न आवश्यक ही है। इसलिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

बरेली में बिजली कर्मचारियों का बोनस

*७७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी करेंसी पिछले वर्ष १९६१-६२ से अब तक बराबर मिनिमम ४ परसेंट (वेतन का) अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में दे रही है ? यदि हां, तो अधिक लाभ होते हुये इतना कम प्रतिवर्ष बोनस देने का क्या कारण है ? क्या सरकार १९६१-६२ से १९६४-६५ तक के लिये वर्षों का स्पेशल आडिट कराने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। प्रश्न औद्योगिक न्यायाधिकरण और बोनस ऐक्ट के अधीन श्रमायुक्त के विचाराधीन होने के कारण अधिक लाभ होने अथवा स्पेशल आडिट कराने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड, गंजडुडवारा में स्टाकमेन सेण्टर की आवश्यकता

*७८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या विकास मंत्री ग्राम भयासुर, विकासखंड गंजडुंडवारा, जिला एटा में उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये वहां पशुओं की चिकित्सा सुविधा हेतु स्टाकमैन सेंटर अब अविलम्ब खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम भयासुर विकास खंड गंजडुन्डवारा में स्टाकमैन सेंटर खोलने का कोई प्राविधान नहीं है। पशु चिकित्सालय सुविधा के लिये इस विकास खंड में पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त २ स्टाकमैन सेन्टर १ ग्राम गजौरा में पशु पालन विभाग द्वारा तथा दूसरा ग्राम नगरिया में ब्लाक बजट से कार्य कर रहे हैं। एक विकास खंड में केवल २ ही स्टाकमैन सेन्टर खोलने का प्राविधान होता है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रघुवीरराम तथा श्री ऊदल—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

२—श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

३—श्री चन्दनसिंह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

होम्योपैथिक स्नातक

४—सर्वश्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर), आचार्य मोहनलाल तथा मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार इन्टीग्रेटेड हास्पिटल्स में होम्योपैथिक के स्नातकों को भी नियुक्त करने पर ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

५—सर्वश्री कमलासिंह यादव, आचार्य मोहनलाल तथा मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज और अधिक खोलने पर ध्यान देगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुये ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर, फतेहपुर के कार्यालय में हरिजन

६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

१८ अगस्त, १९६५ के तारांकित प्रश्न ९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ सैनेटरी इंस्पेक्टरों, ५२ वैक्सीनेटरों, १४ लिपिकों और ९ चपरासियों में से जो २ वैक्सीनेटर व १ लिपिक हरिजन वर्ग के हैं उनके पते क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

दो वैक्सीनेटररों के पते—

(१) श्री राम लाल सौद, वैक्सीनेटर चेचक, उन्मूलन योजना, फतेहपुर ।

घर का पता—

रेड वर्म स्टेट लथौरा, मसूरी, जिला देहरादून ।

(२) श्री मुखला दास, वैक्सीनेटर, चेचक उन्मूलन योजना फतेहपुर ।

घर का पता—

ग्राम छोटा मलपुर, जिला सहारनपुर ।

(३) श्री मूलचन्द, लिपिक, परिवार नियोजन केन्द्र, विठौरा विकास खन्ड ।

घर का पता :—

ग्राम मवाना पुरवा ८७/२२, कानपुर ।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू०—एम—आर—ए—ए—एम—१२९७—२९—डी—१०६—डब्ल्यू—एम—६४, दिनांक १ दिसम्बर १९६५ द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९, की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज जो सूचनायें आयी थीं, उन में से मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया।

उत्तर प्रदेश रोडवेज कार्यालय, लखनऊ में होने वाली परीक्षा के स्थगन एवं पुनः परीक्षा लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

खर्चे में बचत करने के सरकार के फैसले के फलस्वरूप तमाम विभागों के अध्यक्षों को यह हिदायत जारी हुई थी कि आयन्दा उनके द्वारा सिवाय टैकनिकल स्टाफ के कोई भर्ती न की जाय। परिवहन आयुक्त ने इस बुनियाद पर कि उनका विभाग एक कारोबारी विभाग है जिससे सरकार को आमदनी होती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को एक खास किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अपनी दिक्कत सरकार को लिखी थी और यह भी सूचित किया था कि काम को जारी रखने के लिये भर्ती को एकदम बन्द कर देना उनके लिये मुमकिन नहीं है। यह मामला सरकार के विचाराधीन था। लखनऊ क्षेत्र में क्लर्कों की कुछ जगहें खाली थीं जिन पर अतप्रप्त लोग अस्थायी रूप से काम कर रहे थे। इसके अलावा अप्रैल से जून तक आने वाले पीक सीजन में अतिरिक्त आदमियों की जरूरत थी। यथोचित खोज के बाद जब सरप्लस स्टाफ में से उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिले तो यह सोचा गया कि बाहर से ही परीक्षा द्वारा उपयुक्त व्यक्ति चुने जायं। इस विचार से परीक्षा का प्रबन्ध १३ मार्च, १९६६ को किया गया। ११ मार्च की शाम को पता चला कि शायद अन्य विभागों द्वारा घोषित सरप्लस स्टाफ से उपयुक्त व्यक्ति मिल सकें अतएव परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय किया गया। तदनुसार इस निर्णय को घोषित कर दिया गया परन्तु सबके पास सूचना न पहुंच पाने के कारण लखनऊ में १३ मार्च की सुबह परीक्षा स्थल पर काफी उम्मीदवार आ गये थे जो इम्तहान देने की मांग करते रहे। वातावरण क्षुब्ध हो रहा था और शान्ति भंग होने की आशंका थी अतएव यह हिदायत दे दी गयी कि उपस्थित उम्मीदवारों की परीक्षा ले ली जाय। उसके मुताबिक जितने लोग इम्तहान के लिये मौजूद थे उनका इम्तहान ले लिया गया। बाद में आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि ७, ८ महीने पहले आदेश गये थे कि सरप्लस स्टाफ को रखना है और विभाग ने भरती के लिये पुनः आवेदन पत्र मांग लिये और ७ हजार आदमी जमा हो गये और फिर कुछ ही आदमियों को इंटरव्यू करके मुनादी करा दी गयी तो यह जो अनियमितता हुई है इसके लिये संबंधित अधिकारी को दंडित करने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन--

मैंने तो अपने वक्तव्य में पोजीशन साफ कर दी है।

श्री उग्रसेन--

पोजीशन कैसे साफ हो गयी? ७ हजार आदमी आये और १९३ का इम्तहान लिया?

श्री मुजफ्फर हसन--

७ हजार आदमी की बात सही नहीं है। यह कहा जाता है कि ३२०० आदमी होंगे जो बुलाये गये। ३०० आदमियों का इम्तहान लिया गया। ३२०० आदमियों को बुलाया गया था और उम्मीद यह की जाती थी कि १४००, १५०० आयेंगे और ३०० आदमी आखिर तक रह गये, जिनका इम्तहान लिया गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जिनका इम्तहान लिया गया उस इम्तहान को रोक करके क्या सभी अभ्यर्थियों का इम्तहान फिर से लेने का विचार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

विचार हो रहा है कि उनको फिर से बुलाया जाय ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

इन अभ्यर्थियों को किसके आदेश से बुलाया गया और किसके आदेश से इम्तहान नहीं लिया गया ? जिस आफिसर की यह नालायकी है, उसके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इसमें किसी की नालायकी नहीं थी और आखिरी इम्तहान मेरे आर्डर्स से लिया गया ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

जिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गयी और उनको पुनः बुला कर परीक्षा लेने के प्रश्न पर विचार हो रहा है तो इसमें उनका समय तथा पैसा व्यय हुआ उसके लिये क्या सरकार उनको कम्पेनसेट करने को तैयार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

३,२०० अभ्यर्थी बुलाये गयथे तो पहले से ही यह कैसे समझ लिया गया कि आधे ही आयेंगे इसके लिये क्या माननीय मंत्री को इलहाम हुआ था ?

श्री अध्यक्ष—

उनका ऐसा खयाल था । असली सवाल तो यह है कि लोग बुलाये गये लेकिन उनका इम्तहान नहीं लिया गया ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

लायकी नालायकी की बात छोड़ दी जाय तब भी यह बात साफ होनी चाहिये कि ३,२०० लोग बुलाये गये तो सरकार ने किस आधार पर अन्दाज कर लिया कि केवल आधे ही आयेंगे और जो लोग आये भी उनका इम्तहान नहीं लिया गया तो क्या सरकार इसके लिये मुआवजा भरने को तैयार है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं साफ कर दूं । ३,२०० में से ९०० तो लखनऊ के बाहर मुख्तलिफ सेन्टर्स में बुलाये गये थे । और हम तो बहुत दिनों से इसका तजुरबा कर रहे हैं कि बुलाने वालों में से कितने लोग आते हैं । उसी तजुरबे की बिना पर कहा था ।

श्री उग्रसेन—

एक परीक्षार्थी था बिन्दादीन मायर । उसने लिखा है । "तत्पश्चात् हम लोगों को करीब डेढ़ बजे बुलाया गया.....

श्री अध्यक्ष—

अब उसे आप पढ़ें न । आप प्रश्न कीजिये ।

श्री उग्रसेन—

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी जो परीक्षा हुई वह क्या विधिवत् परीक्षा हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बिल्कुल कायदे से परीक्षा हुई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जो परीक्षा ली गई है, उसके रेजल्ट्स घोषित करके नेकनीयती से उन लोगों को स्थान देने का विचार सरकार का अब भी है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह आक्षेप है। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

प्वाइंट आफ, आर्डर। माननीय मायर साहब ने एक प्रश्न किया। आपने उसकी अनुमति दे दी। तो मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। वे यह नहीं कह सकते कि यह आक्षेप है, वे जवाब नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह उनकी आपत्ति हो सकती है। अगर आपत्ति होती है और मैं फिर उनसे नहीं कहता कि जवाब दें। इसका मतलब है कि आपत्ति स्वीकार है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार निष्पक्षता दिखाते हुये ऐसा करेगी कि जिन लड़कों ने यह इम्तहान दिया है, उनका रेजल्ट न आउट होने दे जब तक कि बाकी कैन्डिडेट्स का फिर से इम्तहान न ले लिया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वह तो मैंने पहले ही कहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

हर परीक्षा का यह आधार रहा है कि अगर कुछ परीक्षार्थी बैठ जायं और कुछ रह जायं तो वह परीक्षा रद्द समझी जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः विचार करेंगे कि जो ३,२०० के लिये काल लेटर्स गये और उनमें से केवल ३०० बैठे तो पूरी परीक्षा रद्द करके पुनः नये पर्चे छपा करके सभी परीक्षार्थीयों को दोबारा बिठायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने तो इस सम्बन्ध में बताया कि जो लोग चले गये थे, उनको मौका देने पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

एक वाक्यांश दिया गया था पर्चे में—निकम्मे रह कर मनुष्य की चिन्तन शक्ति थक गयी है और सोते सोते मन के घोड़े हार गये हैं। तो क्या इसी वजह से परीक्षा में गड़बड़ी हुई ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—

मंत्री जी ने जवाब में कहा कि ११ मार्च की शाम को पता चला कि शायद अन्य विभागों द्वारा सरप्लस स्टाफ से उपयुक्त व्यक्ति मिल सकें अतएव परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो कुल कितनी वेकेन्सीज थीं और अब घोषित सरप्लस स्टाफ में से कितने लेने की आशा है और बाकी कितने बाहर से लेने का सवाल रहता है?

श्री मुजफ्फर हसन—

क्लियर वैकेन्सीज २६ हैं और कुछ हम वक्त जरूरत के लिये एक लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें ४० रखते हैं। अब कितने मिल सकेंगे यह हमारे सामने अभी क्लियर नहीं है।

काज़ी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि जिनको बाकायदा नोटिस मिली और वे दूर से पैसा खर्च करके इम्तहान में बैठने के लिये आये और फिर बाद में नोटिस टांग दी गई तथा अखबारों में भी छपवा दिया गया कि जी० एम० के कहने के मुताबिक इम्तहान नहीं होगा लेकिन फिर बाद में जो लोग रह गये थे, उनमें से कुछ लोगों का चुनाव कर लिया गया, तो जो लोग खर्च करके आये और फिर वापस चले गये, इसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी के विभाग पर आती है, या जी० एम० पर आती है, तो क्या वे सब खर्चा उनको दिलवायेंगे या मजबूर होकर उन्हें अदालत में जाना पड़ेगा?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने बतलाया कि खर्च करके तो वे आते ही हैं। १४०० आदमी आवें और २६ को ही उनमें से लेना है, तो खर्च तो उनके ऊपर पड़ता ही है।

रामगंगा प्रोजेक्ट, कालागढ़, जिला बिजनौर में हड़ताली मजदूरों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

दिनांक ३ मार्च, १९६६ के १० बजे सुबह से रामगंगा परियोजना, कालागढ़ के अर्थ मूविंग एक्विपमेंट के आपरेटिंग स्टाफ ने कार्य करना बन्द कर दिया। २ मार्च, १९६६ को सायंकाल बस स्क्रेपर आपरेटर्स ने एक कागज पर रामगंगा के अधिकारियों को सूचना दी कि ३ मार्च, १९६६ से वे अपना कार्य नहीं करेंगे। ऐसा करने का कारण उन्होंने श्री शमी अहमद स्क्रेपर आपरेटर की सेवा से निवृत्त किया जाना बताया।

श्री शमी अहमद को सेवा से निवृत्त करने का कारण रामगंगा परियोजना के अधिकारियों के अनुसार यह था :—

२० जनवरी १९६६ को श्री शमी अहमद एक स्क्रेपर जो खाली था चला रहे थे। उनका यह स्क्रेपर एक और भरी हुई स्क्रेपर से भिड़ गया जिसके कारण दोनों मशीनों को पर्याप्त मात्रा में क्षति पहुंची। यह दुर्घटना की जांच एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्विपमेंट डिवीजन कालागढ़ ने की। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस दुर्घटना का कारण श्री शमी अहमद का बहुत ही असावधानी से स्क्रेपर को चलाना था। श्री शमी अहमद का कहना यह था कि मशीन का नियंत्रण वह इस कारण खो बैठे कि स्टीयरिंग का जो विद्युत नियंत्रण यंत्र था वह खराब हो गया था। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्विपमेंट डिवीजन ने मशीन की जांच की और उसके कंट्रोल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को टेस्ट किया और उन्होंने यह पाया कि उसका विद्युत नियंत्रण अपना कार्य बिल्कुल अच्छी तरह कर रहा था। चूंकि श्री शमी अहमद की रेश ड्राइविंग साबित हो चुकी थी उनकी सेवायें २८ फरवरी, १९६६ से नियमानुसार निवृत्त कर दी गई।

३ मार्च, १९६६ को ही जब आपरेटिंग स्टाफ ने अपना कार्य बन्द कर दिया, कालागढ़ परियोजना अधिकारियों ने उनसे कहा कि वह अपना कार्य करते रहें और श्री शमी अहमद को अगर उन्हें जो दंड दिया गया उससे सन्तोष न हो तो वह उनकी सेवा निवृत्ति के आदेश के विरुद्ध रामगंगा परियोजना के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के पास अपील कर दें।

४ मार्च, १९६६ को आपरेटिंग स्टाफ कार्य स्थल पर गया लेकिन उन्होंने कार्य नहीं किया। उनको फिर कहा गया कि श्री शमी अहमद अपनी सेवा निवृत्ति के विरुद्ध अपील कर दें और बाकी आपरेटर्स को अपना कार्य विधिवत करना चाहिए। परन्तु उन्होंने कार्य करना स्वीकार नहीं किया।

५-३-६६ को जब ये कर्मचारी परियोजना की बस में बैठ कर कार्यक्षेत्र पर जा रहे थे तो कार्य क्षेत्र के गेट पर परियोजना अधिकारियों ने बस को रोका और कर्मचारियों को यह कहा कि उनमें से वे लोग केवल कार्य क्षेत्र पर जायें जिनको कार्य करना स्वीकार हो। ऐसा इसलिये किया गया कि यदि यह लोग जो ३ व ४ मार्च दोनों दिन धर्मघट पर रहे सबके सब कार्य क्षेत्र में गये तो यह संभावना थी कि उत्तेजनावश वे कार्य क्षेत्र में जगह-जगह पर फैली हुई मूल्यवान मशीनों को हानि पहुंचा सकते थे जिससे जन सम्पत्ति का काफी नुकसान हो सकता था। परियोजना अधिकारियों के कर्मचारियों से ऐसा कहने पर सभी वर्कर्स बस से उतर गये और वे कार्य क्षेत्र पर नहीं गये।

उसी दिन सायंकाल रामगंगा परियोजना मजदूर संघ, जो कि एक अनरिकग्नाइज्ड संस्था है, उन्होंने परियोजना अधिकारियों को एक नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि यदि श्री शमी अहमद ६ मार्च, १९६६ के चार बजे शाम तक कार्य में वापिस न लिये गये तो सभी कर्मचारी उस दिन रात के १० बजे से २४ घंटे का अनशन करेंगे।

दूसरे दिन ६ मार्च, १९६६ रविवार था। कर्मचारियों में से कुछ लोगों से चीफ प्राजेक्ट इंजीनियर रामगंगा ने दोपहर के १२ बजे बातचीत की। उन लोगों ने दो मांगें प्रस्तुत कीं। एक मांग यह थी कि श्री शमी अहमद को पुनः सेवा में ले लिया जाय। उनकी दूसरी मांग यह थी कि वे सब कर्मचारी जो धर्मघट पर रहे थे धर्मघट के दिन ड्यूटी पर समझे जायं। चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर ने उनसे कहा कि श्री शमीअहमद के मामले की वह स्वयं जांच करेंगे और यदि श्री शमी-अहमदि की अपील उन्हें उसी दिन दे दी गयी तो वह दूसरे दिन तक उसके मामले में अपना अन्तिम निर्णय अवश्य दे देंगे। धर्मघट कारियों की दूसरी मांग के बारे में उन्हें यह कहा गया कि चूंकि उनकी हड़ताल नियम के विरुद्ध (इल्लीगल) थी इसलिये उन्हें धर्मघट के समय का वेतन नहीं दिया जा सकेगा।

उस दिन सायंकाल कर्मचारियों ने एक जुलूस निकाला और परियोजना के कार्यालय के समक्ष उन्होंने अपनी २४ घंटे की भूख हड़ताल आरम्भ कर दी।

चीफप्रोजेक्ट इंजीनीयर ने इस भूख हड़ताल की और इस धर्मघट की सूचना जिला अधिकारी बिजनौर व गढ़वाल और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बिजनौर को दे दी और उनसे कहा गया कि वह परियोजना की संपत्ति की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। इस सूचना के फलस्वरूप उसी दिन सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट लैंसडाउन कालागढ़ पहुंच गये और अफजलगढ़ थाने से पी० ए० सी० की एक टुकड़ी १० जवानों की भी वहां पहुंच गयी।

[श्री बनारसीदास]

७ मार्च, १९६६ को होली के कारण छुट्टी थी पर कर्मचारियों ने अपनी २४ घंटे की भूख हड़ताल जारी रखी। उस दिन दोहर को पी० ए० सी० की टुकड़ी जो अफजलगढ़ से आयी हुई थी कालागढ़ से वापस बुला ली गई क्योंकि बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में साम्प्रदायिक झगड़ा हो गया था।

७ मार्च, १९६६ के दोपहर के बाद जिला अधिकारी गढ़वाल कालागढ़ पहुंचे और उनकी मध्यस्थता में परियोजना के अधिकारियों और धर्मघटकारी कर्मचारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई और एक लिखित समझौता भी हुआ जिस पर परियोजना के अधिकारियों, कर्मचारियों के नुमाइन्दों और जिला अधिकारी गढ़वाल व सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट लैंसडाउन के भी हस्ताक्षर हुए।

विचार विमर्श के दौरान कर्मचारियों की ओर से ७ मांगें प्रस्तुत की गयीं। उनकी पहली मांग यह थी कि श्री शमी अहमद को फिर से कार्य में ले लिया जाये और उसके बाद उनकी जांच हो कि वह कहां तक दोषी थे। उस जांच में कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि भी प्रायोजना अधिकारियों के साथ सम्मिलित किये जायं। दूसरी मांग वर्क चार्ज्ड कालोनी में एक चिकित्सालय की स्थापना के बारे में थी। तीसरी मांग यह थी कि कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता दी जाय। चौथी मांग यह थी कि उनके पे स्केल्स निर्धारित किये जायें। पांचवीं मांग यह थी कि वर्क चार्ज्ड स्टाफ को निःशुल्क बिजली और पानी दिया जाय। छठी मांग यह थी कि वर्क चार्ज्ड स्टाफ को प्रोजेक्ट या कम्पेन्सटरी अलाउन्स दिया जाय। सातवीं मांग यह थी कि किसी वर्कर का विक्टीमाइजेशन न हो और उनको तीन से पांच मार्च तक जब वे हड़ताल पर रहें नियमानुसार वेतन दिया जाय।

विचार विमर्श के बाद इन मांगों के बारे में जो समझौता हुआ वह इस प्रकार था। पहली मांग के बारे में यह निश्चय हुआ कि रामगंगा परियोजना के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर श्री शमी-अहमद के बारे में खुली जांच करेंगे और उसमें कर्मचारियों के मनोनीत लोग भी साक्षी दे सकेंगे। श्री शमी अहमद के टर्मिनेशन के नोटिस की अविध जांच के समाप्त होने तक बढ़ा दी जायगी। चिकित्सालय के बारे में यह निश्चय हुआ कि परियोजना के अधिकारी शीघ्रतिशीघ्र उसकी व्यवस्था करेंगे। कर्मचारियों की यूनियन के मान्यता के बारे में उन्हें यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कागजात सरकार को भेज दिये गये हैं। ये कागजात सचिवालय में १० मार्च, १९६६ को प्राप्त हुए। जहां तक उनके पे स्केल्स के निर्धारण का प्रश्न था कर्मचारियों को बताया गया कि सरकार की ओर से उनके वेतन निर्धारित किये जा चुके हैं और सरकारी आदेश की एक प्रति उनको दे दी जायगी। निःशुल्क पानी और बिजली के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कहा गया कि उनकी मांग के समर्थन में कर्मचारी वर्ग एक प्रार्थना-पत्र दें जो कि परियोजना अधिकारी सरकार के समक्ष उनके निर्णय हेतु भेज देंगे। प्रोजेक्ट कंपेंसेटरी अलाउन्स के बारे में यह निश्चय हुआ कि कर्मचारी वर्ग अपनी मांग परियोजना अधिकारियों को प्रस्तुत करें। वह भी सरकार को निर्णयार्थ भेज दी जायगी। अन्तिम मांग के बारे में कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका कोई विक्टीमाइजेशन नहीं किया जायगा।

जहां तक हड़ताल की अवधि में वेतन का सम्बन्ध था कर्मचारियों को यह कहा गया कि उन्हें तीन और चार मार्च का वेतन दे दिया जायगा यदि पांच के उपरान्त श्री शमी अहमद रीइन्स्टेट कर दिये गये। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये और यह निश्चय हुआ कि अगले दिन यानी ८ मार्च, १९६६ से वे फिर अपना कार्य करना शुरू कर देंगे।

लेकिन ८ मार्च, १९६६ को कर्मचारियों ने अपना कार्य शुरू नहीं किया। उन्होंने फिर एक जलूस निकाला और कार्यालय की मुख्य बिल्डिंग के सामने लान पर सब एकत्रित हो गये।

जिला अधिकारी गढ़वाल ने कोटद्वार से १७ आर्म्ड पुलिस बुला लिये।

रामगंगा परियोजना मजदूर संघ के साधारण मंत्री की ओर से परियोजना अधिकारियों को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वे कार्य करना तब आरम्भ करेंगे जब उनकी सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स जिसका उल्लेख उनके इस पत्र में था वे भी मान ली जायं। उनकी सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स का विवरण इस निवृत्ति के साथ नत्थी है। उन्हें उसी दिन एक साधारण पत्र द्वारा और एक रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा दूसरे दिन यह सूचित कर दिया गया कि उनकी यह सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स पर जब वे कार्य करना आरम्भ कर दें विचार कर लिया जायगा।

यूनियन जो, जैसा कि ऊपर कहा गया है अनरिकग्नाइज्ड है, उसके मंत्री को यह भी बता दिया गया है कि कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के जाने के लिये कोई बाधा नहीं है और जो कार्य करना चाहते हैं वे कार्य में जा सकते हैं।

ऐसी सूचना, देने के बाद भी ९ मार्च १९६६ को कोई कर्मचारी कार्य क्षेत्र पर नहीं गये। उन्होंने उस दिन १० बजे दिन को एक जुलूस निकाला जिसमें परियोजना अधिकारियों के बारे में काफी अपशब्द कहे गये। कर्मचारियों के स्त्री और बच्चों का भी जुलूस चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के निवास स्थान पर गया और उनक निवास स्थान के सम्मुख प्रदर्शन करने के बाद वापस चला गया।

उस दिन, दोपहर को बिजनौर से पी० ए० सी० की एक टुकड़ी कालागढ़ पहुंच गयी। प्रदर्शनकारी ५ बजे शाम को अपने घर वापस हो गये।

लेटेस्ट सूचना के अनुसार कर्मचारियों ने अभी भी अपना कार्य करना शुरू नहीं किया है। १० मार्च, १९६६ को पी० ए० सी० की एक कम्पनी कालागढ़ और भेज दी गई है।

श्रम आयुक्त से भी यह कहा गया है कि वे अपने एक अधिकारी को कालागढ़ भेजें और वह अधिकारी वस्तु स्थिति देख कर कर्मचारी वर्ग और परियोजना अधिकाधिरयों में अनौपचारिक रूप से समझौता कराने का प्रयत्न करें।

११-३-६६ को भी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी रही और कर्मचारियों ने मुख्य प्रयोजना अभियन्ता के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन किये। उसी दिन आयुक्त रुहेलखंड मंडल, डी० आई० जी० बरेली, जिलाधीश तथा एस० पी० बिजनौर कालागढ़ पहुंचे और पी० ए० सी० की एक कम्पनी भी वहां पहुंची जो कि सरकारी मशीनों आदि तथा सुरक्षित स्थानों की हिफाजत के लिये नियुक्त की गई।

१२-३-६६ को जिलाधीश, बिजनौर पुनः कालागढ़ पहुंचे और उसी दिन २ बजे दिन में १० कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह भी सूचना मिली कि संघ के नेता तथा अन्य पदाधिकारियों ने गलत प्रचार करना शुरू कर दिया और लाठी पत्थर आदि भी इकट्ठी करने लगे और प्रयोजना के अफसरों को सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने से बलपूर्वक रोकने लगे।

१३-३-६६ को जिलाधीश, बिजनौर ने पुनः इस समस्या को सुलझाने के लिये कार्य-कर्त्ताओं के प्रतिनिधियों से अपराह्न तक बातचीत जारी रखी किन्तु इसमें कोई सफलता न मिल पाई। अतः विवश होकर ४ १/२ बजे शाम को दफा १४४ सी० आर० पी० सी० की घोषणा की गई और इस अवैधानिक हड़ताल से सम्बन्धित कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो कि उत्तेजनात्मक कार्य करने के लिये कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी की सचना पाते ही बहुत बड़ी तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हो गये और उन्होंने फील्ड होस्टल नं० २ को, जहां पर गिरफ्तार किये हुये लोग थे चारों तरफ से घेर लिया और लाठियां तथा पत्थर लिये हुये मारे लगाने लगे। उन्होंने बड़े-बड़े पत्थरों से रास्ते ब्लाक कर दिये और गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने के लिये तत्पर हुये। जब प्रदर्शनकर्त्ता काबू के बाहर होने लगे और

[श्री बनारसीदास]

पत्थर इत्यादि फेंकने लगे तो इनको तितर बितर करने के लिये पुलिस ने टियर गैस छोड़ी तथा लाठी चलाई। प्रदर्शनकर्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और उत्तेजित तथा हिंसात्मक रवैया अपनाने लगे और पत्थर फेंके जिससे की एस० पी० को चोट आई और स्थिति बहुत गम्भीर होने लगी। अन्ततः पुलिस को विवश हो कर गोली चलानी पड़ी जिससे तीन कर्मचारी घायल हो गये। इस पर भी प्रदर्शनकर्ता बन्दी नेताओं तथा कर्मचारियों को रिहा करने के सिलसिले में नारे लगाते रहे और अफसरों के निवास स्थानों को जला देने तथा उनके ऊपर आक्रमण करने की धमकी देते रहे। उन्होंने टेलीफून व तार की लाइन भी काट डाली और रात भर नारे लगते रहे। कुछ कर्मचारी टोलियां बना कर लाठी तथा अन्य खतरनाक शस्त्र लिये हुये सड़कों पर गश्त करते रहे।

१४-३-६६ को डेढ़ बजे प्रातः श्री सत्यवीर, एम० एल० ए० कालागढ़ पहुंचे। जिलाधीश ने उन्हें हड़ताल करने वालों तथा बन्दी नेताओं से बातचीत करने की अनुमति दे दी। और मुख्य प्रयोजना अभियन्ता के साथ स्वयं उपस्थित रहे। इन बातों के आधार पर १४-३-६६ को दिन में एक बजे एक समझौते पर रजामन्द होकर हस्ताक्षर कर दिये और भूख हड़ताल को २-१/२ बजे तोड़ दिया। कर्मचारियों ने १५-३-६६ को प्रातः से काम पुनः शुरू कर दिया है। स्थिति अधिकारियों के नियंत्रण में है और वहां अब शान्ति है।

Supplementary demands made on March 8, 1966 :

1. This enquiry committee should also look into the cases of all the retrenched staff.

2. Necessary action should also be taken in the distribution of medicine.

3. It should be stated that the agreement has been made with the representatives of the Union.

4. Pay scales were recommended fixing pays for every category, They should be put into effect.

5. Water charges are not levied in any Project and they should not be levied here also ; Electricity should be free.

6. If there is any difficulty in giving this allowance, 20% of the pay be increased.

7. Disbursement of pay for 3rd and 4th March, 1966 should not be linked with the case of Sri Shamim Ahmad and pay should be distributed to all.

8. No security should be demanded at the time of allotment of quarters. Like other Projects Cots, fans, chairs and tables should be supplied free of cost.

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि १४ तारीख को जो समझौता हुआ उस समझौते में पुरानी और नई मांगों में से किन-किन मांगों को सरकार ने माना है ?

श्री बनारसीदास—

जो उनकी मांगें ७ तारीख को थीं और जिनको उस दिन मन्जूर किया था उनको ही अब भी मन्जूर किया है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि यह तथ्य सही नहीं है कि कर्मचारी काम करने नहीं गये बल्कि कर्मचारी फाटक गेट पर काम करने के लिए गए और इंजीनियर तथा अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनको रोका और कहा कि हम तुमसे काम नहीं लेंगे ?

श्री बनारसीदास—

ऐसी बात नहीं है। वास्तव में अधिकारियों ने फाटक पर कहा कि जो लोग काम करना चाहें वे अन्दर जायं। एक बात मैं यह बताना चाहता हूं हड़ताल के सम्बन्ध में कि शमीम अहमद टेम्पोरेरी कर्मचारी थे और ६८ हजार की मशीन को नुकसान पहुंचा। टर्म्स आफ एग्रीमेंट के मुताबिक उनकी सर्विसेज को ३ महीने की नोटिस देकर टरमिनेट किया जा सकता है। वह अधिकार के अन्दर था। इसमें किसी प्रकार की अशान्ति पैदा करना अनियमित था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

मन्त्री जी ने उत्तर में बताया कि समी अहमद के निकालने के फलस्वरूप यह झगड़ा हुआ। मेरी जानकारी यह है कि यह झगड़ा इस वजह से हुआ कि वहां पर लोग जिस काम के लिए नियुक्त हैं वह काम उनसे नहीं लिया जाता है। वहां पर इंजीनियर ने उनसे दूसरा काम करने को कहा उन्होंने कहा कि हम वही काम करेंगे जिस काम के लिए हम नियुक्त हैं। यदि यह बात सही है तो उन इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह सूचना सही नहीं है। वहां पर तीन तरह के कर्मचारी काम करते हैं। एक तो विभाग के रेगुलर कर्मचारी हैं। दूसरे कन्ट्रैक्ट के लेबर हैं और तीसरे वर्क चार्ज के कर्मचारी हैं जो उसी काम के लिए रहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या यह सही है कि जब वहां पर हालत ज्यादा खराब हो गई थी तो आर्मी बुलाई गई और फिर वापस जाने का हुक्म दिया ?

श्री बनारसीदास—

यह सही नहीं है कि वहां पर आर्मी बुलाई गई थी।

श्री नेकराम शर्मा—

यह बिल्कुल सही है कि वहां पर आर्मी बुलाई गई थी।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जिला अथारिटीज ने घबराकर आर्मी बुलाने की कोशिश की थी यहां से कहा गया कि आर्मी की जरूरत नहीं है। हमारी पुलिस काफी है।

श्री उग्रसेन—

तो बनारसीदास जी ने क्यों ऐसे कह दिया कि नहीं बुलाई गयी। यह बड़ा गलत है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बतलायेगी कि मजदूरों की जो एमेनिटीज की मांगें हैं, उनमें से कुछ मांगों को पूरा करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है। ये जो रेगुलर इम्पलाईज हैं ये लोग वर्क चार्ज के अन्दर काम करते हैं। इसलिए बिजली, पानी, क्वार्टर का अलाटमेंट, दुकान खोलने का सवाल आदि जो उनकी मांगें थी उस सम्बन्ध में अभियन्ता को अधिकार नहीं था। उन्होंने

[श्री बनारसीदास]

उनके बारे में उनको आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगें सरकार के पास विचारार्थ भेज देंगे। ७ तारीख को एग्रीमेंट किया लेकिन उसके बाद ११ तारीख को मीटिंग की और लोगों ने उस पर अमल नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि वहां ६, ७ हजार मजदूर काम करते हैं और उस में बहुत से मजदूर ऐसे हैं कि जो मद्रास और केरल आदि से आते हैं तो उनकी मांग है कि उनको कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और हार्ड लेबर का काम है इसलिए उनको अस्पताल की, इलाज तथा वेतन आदि की सुविधा प्रदान की जाय। इसलिए उन के इतने बड़े एजीटेशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय उनकी मांगों के सम्बन्ध में लिया है?

श्री बनारसीदास—

पहले भी उनको मुख्य अभियन्ता और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि हम इन मांगों को सरकार के पास विचारार्थ भेज देंगे और अब सरकार ने इनके सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या फैसला हो गया है?

श्री अध्यक्ष—

अब वहां शान्ति हो गई है और आपस में समझौता हो गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

अभी सुबह वहां से टेलीग्राम आया है और उसमें मांग की गयी है कि पुलिस ने जो गोली चलायी है उसकी न्यायिक जांच की जाय। तो क्या सरकार वहां पर कोई जुडीशियल इंक्वायरी कराने के लिए तैयार दे?

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वहां पर प्राइवेट इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में जांच हो रही थी और मजदूर संघ ने भी उनके ऊपर आरोप लगाया था और इसी वजह से क्रुद्ध होकर बदले की भावना से यह सब किया गया?

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप दूसरे प्रश्न द्वारा साफ कर सकते हैं। जहां तक नियम ५२ का सम्बन्ध है उसमें एक प्रश्न यह था कि गोली चली। अब बात यह है कि जब समझौता हो गया तो उसके बाद वहां शान्ति हो गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिस जिलाधीश की आज्ञा से गोली चलायी गयी क्या उसी के द्वारा जांच ठीक प्रकार से की जा सकती है?

श्री बनारसीदास—

लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि उसी जिलाधीश की मध्यस्थता से फैसला भी हुआ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब से शान्ति हो गयी है, उस के बाद उनके लीडर जो १२ तारीख को पकड़े गए थे उनको छोड़ा गया है या नहीं?

श्री बनारसीदास—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है रिपोर्ट मैंने मंगायी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या श्रम मन्त्री जी बतलायेंगे कि एक मजदूर का सब्सीच्यूट होने के नाते जैसा कि आप कहते हैं, इतनी बड़ी कार्यवाही की गयी। इसमें सरकार का कितना नुकसान हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है?

श्री बनारसीदास—

जहां तक इस तरह के प्रश्न होते हैं वहां उनकी कुछ मांगें होती हैं और उनके तय करने का एक तरीका होता है। इसके लिए उत्तरदायी किसको ठहराया जा सकता है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उस स्थान पर जिलाधीश पहुंच गए थे और जांच भी उन्होंने उसकी की है। तो सरकार के आदेशों के अनुसार जब गोली चलायी जाय तो वह शरीर के निचले भाग पर चलायी जानी चाहिए। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन मजदूरों पर गोली चलायी गयी उन मजदूरों के किस भाग पर गोली लगी?

श्री बनारसीदास—

किस भाग पर लगी, इसकी सूचना नहीं है, कोई विशेष चोट की सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन—

निश्चित रूप से हम जानते हैं कि अगर लेबर कमिश्नर जांच करे तो मन्त्री जी जान जायेंगे कि वह श्रम कानून को जानते नहीं हैं। उन्होंने काम से मना कर दिया इसलिए मजदूरों ने प्रदर्शन किया। तो तीन तारीख से जो हड़ताल के कारण उनकी क्षति हुई है, उसका मुआवजा देंगे?

श्री बनारसीदास—

इसके बारे में जो उनका अपने आप फैसला हो चुका है, उस तारीख के अन्दर जो अवैधानिक हड़ताल की है उसका वेतन कैसे मिल सकता है?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जिस व्यक्ति के आदेश से गोली चलायी गयी और मजदूरों के खिलाफ जुल्म ढाया गया उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बनारसीदास—

गोली चलाने का जहां तक सवाल है, वह न तो प्रोजेक्ट आफिसर्स से सम्बन्धित है और न मुख्य अभियन्ता से। उन्होंने तो प्रापर्टी की रक्षा के लिए गढ़वाल और बिजनौर के अधिकारियों को सूचना दे दी थी।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जबकि जिस व्यक्ति ने गोली चलवायी, या जिनके कारण से इतना असन्तोष हुआ वहां जांच भी कर रहे हैं या उसी स्तर की जांच से जो दिक्कत पैदा होती है उसको देखते हुए क्या मन्त्री जी इस बात की कृपा करेंगे कि जो उस जिले से विधायक हैं उनकी एक सम्मिलित कमेटी भेज कर जांच करायें?

श्री बनारसीदास—

एक विधायक सत्यवीर जी तो फैसले के समय मौजूद थे, जिनके प्रयास से यह फैसला हुआ और उसकी शर्तों में यह भी है कि चिकित्सालय की सुविधा या और सुविधाएं बोनस आदि की सरकार की तरफ से दी जायंगी और उसके लिए सब प्रयास करेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या इसकी न्यायिक जांच करायेंगे कि प्रोजेक्ट आफिसर ने पहले तालाबन्दी की या हड़ताल पहले हुई मजदूरों द्वारा?

श्री बनारसीदास—

जब एक फैसला हो गया है तो उत्पादन की दृष्टि से इस मामले को फिर उठाना जनहित में या किसी के हित में नहीं होगा और न उन वर्कर्स के हित में होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। सूचना देने वालों में मेरा नाम है। मैं कम से कम २५ दफा खड़ा हुआ, लेकिन आपने कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया जबकि जिन लोगों का नाम नहीं है, उनको २–३ सप्लीमेंटरी करने के लिए पुकारा। तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था देंगे? क्या आपने उचित किया या अनुचित किया?

श्री अध्यक्ष —

यह आपका जो आक्षेप है वह इस अंश में ठीक है कि आपका नाम लिखा था, मैं आपको बुलाता लेकिन वह मिस हो गया। एक बात मैं आदरणीय सदन से और निवेदन कर दूं कि अगर १५–१६ माननीय सदस्य लिख कर किसी सूचना को देते हैं तो प्रत्येक माननीय सदस्य का यह अधिकार नहीं हो जाता कि वह इस पर प्रश्न करे। उसका मतलब यह नहीं होता कि उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो गये। आपके साथी बहुत से हो, उन्होंने तो प्रश्न कर लिये।

श्री रियासत हुसैन—

मेरे प्रश्न किसी ने नहीं पूछे।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर कहेंगे तो मैं आपको लोक सभा में हुई रूलिंग भी दिखा दूंगा कि अगर १५–१५ माननीय सदस्य प्रस्ताव देते हैं तो एक का ही उसमें अधिकार रहता है।

श्री रियासत हुसैन—

आपकी यह रूलिंग हो चुकी है कि जो भी माननीय सदस्य प्रस्ताव देंगे या जिन लोगों के नाम उसमें होंगे, उनको बोलने का मौका आप देंगे . . .

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मुझे बड़ा खेद है कि इससे मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। मैं दो मिनट के लिए सदन से वाक आउट करता हूं इसके विरोध में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप वाक आउट कर सकते हैं, लेकिन यह बातें अनियमित हैं।

(श्री रियासत हुसैन सदन के बाहर चले गये।)

"नेशनल हेराल्ड" में छपी विधान सभा की कार्यवाही के विवरण में त्रुटि के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं। माननीय रफी खां ने यह शिकायत की है कि नेशनल हेराल्ड पेपर ने अपने १३-३-६६ के पत्र में माननीय नायर का भाषण गलत छापा है। अखबार में यह छपा है—

"Mr. Nayar alleged that the Home Minister had stayed action against a Congress M.L.A., who was to be prosecuted on a charge of kidnapping a girl. The district magistrate and the C.I.D. had also written to the Government that the M.L.A. had been guilty of showing an ordinance factory to his brother from Pakistan and that his house was a centre of pro-Pakistan elements.

माननीय रफी खां का कहना है कि माननीय नायर ने ऐसा नहीं कहा था। माननीय नायर ने यह कहा था कि एक व्यक्ति इनके घर में पकड़ा गया था और उसके विरुद्ध कार्यवाही रोकी गयी।

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

एक और हैं जिनको माननीय हरगोविन्द सिंह ने रोका था।

श्री अध्यक्ष—

सवाल इतना है कि जो बात माननीय नायर ने नहीं कही वह बात पेपर में नहीं आनी चाहिए। जो माननीय नायर ने कहा वह बात आनी चाहिए।

समाचार पत्रों के जो प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं वे कृपया इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध किसी ने कोई आरोप लगाया हो और उसको वे छापें तो उस आरोप के सम्बन्ध में दोषारोपित माननीय सदस्य ने जो उत्तर दिया हो उसे भी उन्हें छाप देना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय रफी खां ने जो अपना उत्तर दिया है उसे भी उन्हें छाप देना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि नेशनल हेराल्ड ने जो कुछ छापा है वह उसको दुरुस्त कर देगा और भविष्य में इसका ध्यान रखेगा।

कतिपय विषय

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल कारों के परमिट के बारे में जो जवाब दिया गया था उसमें एक श्रीमती सोनी सहाय के बारे में श्री भगवान सहाय का नाम लिया गया था। उस सम्बन्ध में मैंने अपनी कुछ सफाई आपके सामने पेश की थी, ये कर्नल सहाय की पत्नी हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसमें यह लिखा है कि थ्रू सोनी साहब।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि अगर थ्रू भी है तो थ्रू कोई शब्द नहीं है। मन्त्री जी ने वह उत्तर भी नहीं दिया था, माननीय अध्यक्ष ने पढ़ दिया था।

श्री अध्यक्ष—

उसमें लिखा है द्वारा भगवान सहाय सदस्य। आप लिस्ट देख लें। अगर गलती है तो ठीक हो जाएगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कल माननीया मुख्य मन्त्री ने कहा था कि वे इलाहाबाद पर वक्तव्य दगी। मेरी प्रार्थना है कि वे इस पर वक्तव्य दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक लीफलेट पिजन होल में रक्खी थी आज भारत चीन विवाद के सम्बन्ध में पंडित सुन्दर लाल की लिखी हुई, जिसमें भारत का हिस्सा चीन को देने के लिए कहा गया है। इस पूरी पुस्तिका में चीन की दलाली की हुई है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है और सचिव भी मुझे यह बतला रहे ह कि कोई ऐसी पुस्तिका हमारे आदेश से नहीं रक्खी गई है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कल बटी है, इसमें चीन की दलाली है और भारत का हिस्सा चीन को देने के लिए कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—

हम देख लेंगे।

लोक लेखा, प्राक्कलन एवं अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन का परिवर्तित कायक्रम

श्री अध्यक्ष—

कल हमने यह घोषित किया था कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिए, जो नाम निर्देशन की तिथि थी, उसको २२ मार्च तक के लिए स्थगित किया जाता है तथा नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के उपरान्त २४ मार्च, १९६६ को अपरान्ह दो बजे सचिव विधान सभा के कमरे में नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा होगी। ३० मार्च, को सायंकाल नामों की वापसी की अन्तिम तिथि। यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो ६ अप्रल, १९६६ को विधान वाचनालय में १२ से ४ बजे के बीच में होगा।

इलाहाबाद जिले में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मान्यबर, अब मुख्य मन्त्री का वक्तव्य होना चाहिए।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैंने पहले भी यह कहा था कि सब नेता बैठकर तारीखें तय कर लें।

श्री अध्यक्ष—

हम सब तारीखें निश्चय कर लेते हैं तो नेता फिकर करते हैं वरना फिक्र नहीं करते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री कब वक्तव्य देंगी।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं तीन बजे दूंगी।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

तीन बजे तो वे अपना प्रस्ताव पेश करेंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, ६ तारीख जो आपने मुकर्रर की है, हम उस दिन शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए तारीख आगे बढ़ाई जाय।

श्री अध्यक्ष—

उस पर हम विचार कर लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, कल माननीय मुख्य मन्त्री ने निश्चित रूप से सदन में वक्तव्य देने का आश्वासन दिया था। मैं चाहता हूं कि आप उनसे वक्तव्य दिलवायें। तीन बजे के माने ये हैं कि उनका उस समय प्रस्ताव पेश होगा। तो क्या वे तीन बजे के पहले अपना वक्तव्य देंगी?

श्री अध्यक्ष—

हां।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय

*कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५–प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ५,००,४७,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ५,०० ४७,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १,७४,९५,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १,७४,९५,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या ४४—वन

*श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत ६,०७,७९,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६—६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय हमारे देश के आर्थिक जीवन में वनों का बहुत बड़ा महत्व है । हमारे प्रदेश में वनों का अनुपात १६ प्रतिशत है जब कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वह प्रतिशत होना चाहिये । पूरे देश में वह अनुपात २२ प्रतिशत है । हमारे प्रदेश में इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं । वनों के विस्तार के लिये हमने प्लान्टेशन योजना प्रारम्भ की । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १ लाख ५७ हजार एकड़ पर वनीकरण किया गया । इनमें ऐसे पेड़ भी हैं जो जल्दी तैयार होते हैं और जिनका औद्योगिक महत्व है और ऐसे भी हैं जो टिम्बर के काम के हैं । जमींदारी उन्मूलन से जो जंगल हमारे पास आये, उनमें भी नयी तरह से वनीकरण किया जा रहा है जिससे हमारे प्रदेश में वनों का विस्तार हो । औद्योगिक महत्व के वनों का जो प्लान्टेशन किया जा रहा है उससे हमारे प्रदेश में और पूरे देश में भवन निर्माण के लिये, रेलवे के स्लीपरों के लिये, फर्नीचर के लिये तथा प्लाई बुड के लिये लकड़ी मिलती है । इससे हमारे प्रदेश में बहुत से उद्योग चल रहे हैं जिसमें लाखों लोगों को रोजी मिलती है । हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता है । इसमें लगभग १५ सौ मजदूर काम करते हैं और ३.७२ लाख मन लीसा हर साल निकालते हैं । वनों के विस्तार के सम्बन्ध में मैं इतना और निवेदन कर दूं कि हमारे यहां कुमायूं और उत्तराखंड डिवीजन में कुछ सुरक्षित वन खंड का सरकार ने प्रदेशीयकरण कर दिया है और वह ४५०० वर्ग किलोमीटर जंगल है । इन जंगलों का प्रबन्ध पहले डिप्टी कमिश्नर वहां के करते थे । इतने बड़े क्षेत्र के लिये डिप्टी कमिश्नर के पास बहुत थोड़ा सा स्टाफ रहता था और उससे वह पूरी देखरेख उसकी नहीं कर सकते थे । अब उनकी सारी व्यवस्था एक वैज्ञानिक ढंग से होगी और अब तक जो लोग जंगलों को बरबाद करते थे वह अब उस तरह से बरबाद नहीं कर सकेंगे । जंगलों के बरबाद होने से पहाड़ों में भूमि-क्षरण या स्वायल इरोजन होता है, बरसात के दिनों में बारिश ज्यादा होने पर बाढ़ आ जाती है और बहुत हानि होती है । अब इन वनों की व्यवस्था वन विभाग के अन्तर्गत आने से उन की सुरक्षा भी होगी और बाढ़ के आने में भी रुकावट होगी । हमने अपने यहां एक योजना आरम्भ की है भूमिरक्षण की जो पूरे प्रदेश में चल रही है । यह योजना रामगंगा कैचमेंट क्षेत्र में आरम्भ की गई है और एक जमुना, चम्बल और बेतवा की घाटियों में आरम्भ की गई है । इन तीनों नदियों की घाटियों में ६४—६५ से अभी तक १२ हजार एकड़ में वनीकरण किया गया है और इसी तरह से जो हमारा रामगंगा का कैचमेंट क्षेत्र है उसमें ३७६१७ एकड़ में काम किया गया है । कुछ क्षेत्र में तो इसमें फलदार पेड़ लगाये गये हैं, कुछ क्षेत्र में वन के उपयोगी वृक्ष लगाये गये हैं और कुछ क्षेत्र की मेढ़बन्दी की गई है । औद्योगिक जातियों के वृक्षारोपण की योजना के अन्तर्गत इस बजट में ४५.९०२ लाख रुपये का विधान है और पुराने जंगलों के स्था नवीनीकरण के लिये ४ लाख रुपये की व्यवस्था है । पुराने जंगलों को ठीक करने के लिये और लगाने की विधियां जानने के लिये भी वन विभाग में तजुर्बा किया जा रहा है । इसके लिये भी उत्तरकाशी में ७.५०० लाख रुपये की व्यवस्था है ।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट तर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये ।)

रेजिन के लिये भी २० लाख की व्यवस्था की गई है, वहां पर टेलीफोन आदि की व्यवस्था के लिये भी २.५०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । आप को यह जानकर खुशी होगी कि पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें जो हमारे वन विभाग को हस्तान्तरित हुई हैं, उनके किनारे रोडसाइड एवेन्यूज के ४.५५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा हमारे सूबे में केन्द्र के द्वारा स्पान्सर्ड दो योजनायें चल रही हैं । एक योजना ७५ लाख की है और दूसरी २५.५०० लाख की भूमि संरक्षण और नदी घाटी योजना है । इस तरह से वन विकास के लिये और जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उद्योग धन्धे इन वन सम्पदाओं से चलते हैं उनकी प्रगति के लिये बराबर वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है। अधिष्ठाता महोदय, यह पुस्तिका जिसमें उत्तर प्रदेश के वन विभाग के प्रगति का विवरण दिया हुआ है, माननीय सदस्यों को वितरित की गयी है और यदि उन्होंने उसका अध्ययन किया होगा तो उसमें वन विभाग के कार्यों की गतिविधियों का विवरण देखा होगा। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस अनुदान के लिये बहुत कम समय है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस पुस्तिका के आधार पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किये जायेंगे, उन पर विचार करके उनका उत्तर दिया जायगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान ४४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय उप मंत्री ने अभी बताया है कि वनों से हमारा कितना गहरा सम्बन्ध है तो जब ऐसी बात है तो यदि हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा होगा और यह उसी प्रकार से होगा जैसे कि किसी के घर में चोरी हो और घर का मालिक वहां पर न हो जिससे चोरी का पता भी न चल सके।

माननीय उप मंत्री जी मानते हैं कि हमारे प्रदेश में वन केवल १६ प्रतिशत हैं जब कि और सूबों में हमसे कहीं अधिक हैं किन्तु उन्होंने यह बात कही किउसी की वजह से हम लोग प्लान्टेशन लगा रहे हैं। एक बात इस सम्बन्ध में उन्होंने वनों के नवीनीकरण के बारे में कही लेकिन यह बात समझ में नहीं आ सकी। प्लान्टेशन की बात तो समझ में आती है लेकिन किसी वन में प्लान्टेशन कर दिया जाय तो उसके एरिया का विस्तार कैसे होगा, यह बात भी समझ में नहीं आयी। उन्होंने यह भी कहा कि उसको बरबाद होने से बचाने के लिये हमारा कर्तव्य है और उन्होंने उसके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्कीम थी, उसको भी बताया है लेकिन हमारे जो तजुर्बे हैं, उन्हीं के आधार पर मैं कहना चाहता हूं और मैं अधिक डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, कि यदि माननीय मंत्री जी आडिट रिपोर्ट को देखें, मुझे तो सन् ६० से देखने का अवसर हुआ है, तो पता चलेगा कि जितना रुपया रोपावनियों में लगाया जाता है उसके ५० प्रतिशत में गड़बड़ी हुयी है। जब पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि साइट अच्छा नहीं था। जब विभाग की ओर से एक कालिज है जहां पर शिक्षा देकर उनको वह काम करने के लिये भेजा जाता है और वे वहां जाकर ही एस्टीमेट बनाते हैं। परन्तु बाद में यह कहना कि रोपावनियों के लिये साइज अच्छा नहीं है तो यह कहना किसकी जिम्मेदारी है, जिसको वे नेगलैक्ट करते हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वे इन त्रुटियों की ओर ध्यान दें और यह कोशिश करें कि इस विभाग में जो एस्टीमेट बनायें जायें, उनको कैरीआउट किया जाय।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आजकल के इस युग में जितने बांध बने, जितनी जंगलों के पास रेलें निकाली गयीं, या विस्थापितों को बसाया गया, सब का भार हमारे वनों पर ही पड़ता गया। हमारे वन भी उजड़ते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं और कटते भी जा रहे हैं? तो जब उनका रकबा उतना ही रहता है तो जो कमी है उसको आप इससे पूरा नहीं कर सकते हैं।

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)--

आपने जो आखिर में बात कही है, वह समझ में नहीं आयी है। उसे फिर से दुहरा दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्नूसिंह—

आप चाहें प्लान्ट लगायें, महंगे से महंगे दरख्त लगायें किन्तु जब बांध और विस्थापितों को बसाने की योजनाओं में जंगलों का रकबा कम कर देंगे तो वह कभी पूरा नहीं सकेगा । उदाहरण के लिये मैं बताता हूं केवल रिहन्द बांध के लिये १५० वर्ग मील वन भूमि ले ली गई । इस पर जितना जंगल रहा होगा उसकी कमी मैं पूछता हूं क्या मिर्जापुर डिवीजन से या उससे मिले हुये गोरखपुर डिवीजन से पूरी की जा सकेगी ? मेरा निश्चित मत है कि ऐसा नहीं हो सकता इस के अलावा मेरा एक सुझाव है, जिस को हमारे मुख्य वन अधिकारी भी मानते हैं, और उन्होंने कहीं रिकमेन्ड भी किया है कि प्रदेश के वन क्षेत्रों के संरक्षण के उद्देश्य से एक भूमि उपयोग परिषद् का स्थापित करना आवश्यक है और उसको स्टेट्यूटरी राइटस भी मिलने चाहिये, और मैं समझता हूं कि यह सही बात है कि वन की स्थिति से कम लोग परिचित होते हैं और कैबिनेट में बैठने के बाद जिन्होंने वन नहीं देखा है उनके लिये बहुत आसान हो जाता है कह देना कि वनों में लोगों को बसा दिया जाय, या बांध के लिये जमीन ले लें ।

बहराइज जिले में सुहलवा में मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वहां ७ बांध की सिफारिश की गई है जिनमें से २ बना दिये गये हैं, अगर ७ बांध बन जायगें तो वहां कुछ नहीं रह जायगा नैपाल के बार्डर से मुश्किल से ४ मील चौड़ा जंगल है । वहां अगर ७ बांध बना दिये गये तो वह जंगल खत्म हो जायगा और वह जंगल साल का है जो सबसे कीमती है । मैं चाहता हूं कि एक बोर्ड बना दिया जाय जो काटने के पहले सोचे कि यह जायज है या नहीं । अबालीशन के बाद जो आबादी में भी पेड़ हैं उनकी भी जंगल से कुछ दूरी निश्चित कर दी गई कि इतनी दूरी तक पेड़ों को नहीं काटा जा सकता । लेकिन वन विभाग उस तरफ विशेष रूप से ध्यान नहीं देता । रेवेन्यू विभाग से दरख्वास्त हुई और पता नहीं कैसे वे पेड़ कट जाते हैं । जब फारेस्ट विभाग को यह अख्तियार मिला हुआ है तो वह इस को बड़ी सख्ती से पाबन्द कराये ताकि पेड़ न काटे जा सकें । यह भी निश्चित है कि जंगल विभाग हम को सब से ज्यादा आमदनी देता रहा है किन्तु यह देखना है कि उन साधनों को हम कहां तक विकसित कर सकते ह । क्योंकि यूरोप में जंगलों से सिर्फ लकड़ी ही नहीं ली जाती है बल्कि वे मनोरंजन के भी बहुत बड़े साधन हैं और जब आदमी की तबियत काम से बहुत ज्यादा घबराती है तो वह एकान्त चाहता है और एकान्त में भी सौन्दर्य चाहता है और वह जंगल से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती । सिर्फ पिथौरागढ़ में मेरी सूचना है कि २१ ग्लेशियर हैं । अगर वहां जाने के अच्छे साधन उपलब्ध हों, सड़कें हों, डाक बंगले हों तो काफी फारेन ऐक्सचेंज हमको मिलेगा । ढिकाला में हमने देखा, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, काफी टूरिस्ट वहां आते हैं और उसमें हमें फारन ऐक्सचेंज प्राप्त होता है । इसी तरह उत्तर काशी, चमोली और मैदान के जंगलों में ऐसी जगहें हैं, जिनको टूरिस्ट के लिये आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सकता है । एक चीज मैं यह कहूंगा कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सन ६४–६५ का आया है । जो प्लान्टेशन लगाने के लिये एलाटमेंट होता है उसके क्रेब अप होने में और जहां प्लान्टेशन लगता है उसमें बहुत विलम्ब हो जाता है और पेड़ के मामले में होता यह है कि गाड़ी छूट गयी तो अगले साल मिलेगी । पेड़ लगाने का काम जून अथवा शुरू जुलाई में होता है । अगर उसका बजट नहीं पहुंचा या और कोई असुविधा हो गयी तो निश्चित है कि वह प्लान्टेशन नहीं होगा । मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि इससे प्लान्टेशन नाकामयाब हुये हैं । वहां के अधिकारी गलत गलत रिपोर्ट दे देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि सही बात लिखने से दिक्कत पैदा हो जायगी । वे लिख देते हैं कि साइट खराब था, पौधा खराब था ।

एक चीज यह है कि जो वहां के कर्मचारी हैं, उनका सेटिसफाइड होना भी बहुत जरूरी है और जहां के कर्मचारी सेटिसफाइड नहीं रहते वहां सुन्दर ढंग से काम नहीं हो सकता है, चाहे आप कितनी ही सुन्दर योजना क्यों न बनायें । ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि टेम्पोरेरी पोस्टस अभी तक टेम्पोरेरी चली जाती हैं, ८, १० साल से । जो प्रोमोशन केडर हैं उसको उचित रूप से प्रमोशन दिया जाय ताकि उसको विश्वास रहे कि अच्छा काम करने पर उसको प्रोमोशन मिलेगा । मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि २५ परसेन्ट से उसे ३३ परसेन्ट कर दिया गया है और इससे नीचे के कर्मचारियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और वे दिल लगा कर काम करेंगे ।

जंगल में जो सीजनल छोटे कर्मचारी काम करते ह अभी तक तो गुलामी की वजह से सब जगह गरीबी की वजह से बराबर समझी जाती थीं । उतना विकास नहीं हुआ था । सीजनल कर्मचारी को ४, ६ महीने के लिये रखा जाता है और उसे घर से ७०, ८० मील दूर भेज दिया जाता है तो जाहिर है अब वह चोरी से घर आयेगा और अब ६०, ७० रुपये में गुजारा नहीं कर सकता ।

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक महकमा बनाया गया और सुचारुरूप से काम शुरू हुआ लेकिन मालूम नहीं क्या दिक्कतें आई कि इसे विभाग के साथ विलीन कर दिया गया । अब उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन का एक महकमा रह गया और उनके नीचे कर्मचारी विभाग के साथ मिला दिये गये । मैं जंगल में रहता हूं । जब एसिस्टेंट वाइल्ड लाइफ वार्डेन एक डिवीजन में रहता था तब यह सुविधा जरूर रहती थी कि जब चाहे रात बेरात दौरा करता रहे लेकिन आज आप देखें कि उस विभाग में १० नौकर हैं और उनके अलावा २० टेम्पोरेरी आदमी रख दिये गये तो बीसियों की जरूरत हो जाती है । इस सम्बन्ध में शिकारदार से विभाग के या रेंजर वाडी० एफ० ओ० से एसिस्टेंट डी० एफ० ओ० और काम लेते हैं और जिस काम के लिये वे रखे जाते हैं, वह काम नहीं लिया जाता । इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा, मैं यह तो नहीं कह सकता कि वैसा ही कर दें लेकिन यदि मंत्री जी इस पर गौर करें तो यह जरूर महसूस होगा कि वह विभाग वैसे ही रहने दिया जाय, ड्राइंग और डिसबर्समेंट पावर चाहे जिसके पास रहे, लेकिन शिकारदार, असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ वार्डेन और चीफ लाइफ वार्डेन की एक जंजीर बनी रहे, उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । यह जरूर है कि उस पर चीफ कंजर्वेटर का कंट्रोल रहे ।

श्रीमन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के पेज ७६ पर यह लिखा है कि सरकारी भवनों का किराया निर्धारित करने में चूंकि सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य लोगों को किरायें पर दिये जाते हैं, असाधारण विलम्ब हुआ । श्रीमन्, अब जाहिर है कि जो रुपया देना चाहिये, वह नहीं दिया गया जिसकी वजह से सरकार को दो लाख कुछ हजार रुपये सिर्फ सूद के भरने पड़े । तो विभाग को देखना चाहिये कि वह किसकी गलती से नहीं दिया गया । कमेटी ने भी यही सिफारिश की है कि जिस आदमी की गलती से वह न दिया गया हो, उसको ताड़ना दी जाय ।

इसके अलावा जमींदारी एबालिशन में जो फारेस्ट्स का डिमार्केशन हुआ, जो आबादी से जमीन ली गयी, बहुत सी जगह जंगल लगाये गये, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी रह गयी कि जिस वक्त डिपार्टमेन्ट ने तय किया तो यह नहीं देखा कि कौन सी भूमि सब से अच्छी है जिसमें प्लान्टेशन लगाना चाहिये । यह जाहिर है कि अगर आपके पास चार घोड़े हैं तो आप पहले उसी घोड़े पर सवारी करेंगे जो सब से अच्छा होगा । तो यह जरूरी है कि उस जमीन पर प्लान्टेशन किया जाय जो सब से अच्छी हो । मैं सुहेलवा की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाता हूं जो बलरामपुर का खादर था, वह फारेस्ट में चला गया । वह मैदान वैसे ही पड़ा है । वह करप्शन का ऐसा जरिया है जिसको खत्म होना चाहिये ।

अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिये मैं अब बन्द करता हूं ।

श्री माधवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । लेकिन इसके पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूं आपके द्वारा इस माननीय सदन के और खासतौर से जितने नेता हमारे उभय पक्ष के हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप स्वयं देखें कि वन संसार के हर देश और प्रदेश की जिन्दगी में एक खास स्थान रखता है । भाई मुन्नू सिंह जी ने कहा कि जब आदमी थक जाता है तो उसे एकान्त और सौन्दर्य की बड़ी लालसा होती है । मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि यह दोनों एक ही जगह बहराइच और सुहेलवा के जंगलों में भरी पड़ी है । लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी आज इस सदन में केवल वही लोग बैठे हुए हैं जो जंगल के नजदीक रहने वाले हैं या जिनकी उसमें दिलचस्पी है । मैं चाहूंगा कि दोनों पक्षों के नेता अपने अपने दल के माननीय सदस्यों के दिलों में वन के

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

लिये रुचि पैदा करें ताकि वे यह समझें कि जिस विभाग का इतना बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र के लिये है उसमें उनका क्या कर्त्तव्य हो सकता है। इस विभाग की ओर से जो पुस्तक बांटी गयी है उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी राजस्व की मदें सरकार के पास हैं उनमें वन ऐसा कोई भी लाभप्रद मद हमारे पास नहीं है। वह वन जो १,३०० लाख रुपया राजस्व देता हो और जिसमें से ७६०.५१ लाख रुपये की बचत होती हो ऐसे विभाग के प्रति यह उदासीनता शोभनीय नहीं है। मैं यह सोचकर कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को वन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, उनकी आंख खोलना चाहूंगा। यदि आप नजदीक से देखें तो जो स्वयं वन विभाग में दिलचस्पी रखते हैं, वही इस समय यहां पर है। जहां तक जंगलात का सवाल है, उसमें वन विभाग को लकड़हारा और माली दोनों का काम करना पड़ता है। लकड़हारे की हैसियत से तो वह लकड़ी को बेचता है, स्वतः उगे और विभाग द्वारा लगाये वनों को काटता है और इस बात की जानकारी रखता है कि किस लकड़ी को कैसे काटा जाय। ताकि कटाने में कम से कम लकड़ी बर्बाद हो और दुर्गम स्थानों की लकड़ी भी बाजार में आ सके। वह खुद वन जब वन रोपण का काम करता है तब वह माली की हैसियत से काम करता है। उसे तरतीब देता है प्राकृतिक वनों को सवांरता है। नये उपयोगी वन लगाता है और देखता है कि कौन सा पेड़ कहां लगाया जाय। उसकी टेक्निकलिटी को देखना एक कुशल माली का काम है जिसे वन विभाग करता है। माननीय मुन्नूसिंह ने अपने भाषण में कहा कि जहां तक प्लान्टेशन का संबंध है, उनको उसमें ५० परसेन्ट असफलता ही नजर आयी। मैं तो अब तक यही समझता था कि विरोधी लोग ही कहा करते हैं कि जब कोई आदमी मंत्री रहता है तो उसके सोचने का तरीका दूसरा होता है और मंत्री पद से हट जाने पर उसके सोचने का तरीका दूसरा ही जाता है लेकिन आज मुझे एक नया तजुर्बा हुआ कि यदि कोई माननीय सदस्य.....

श्री मुन्नू सिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि मैंने स्वयं देखा कि ५० परसेन्ट प्लान्टेशन असफल रहे, बल्कि मैंने यह कहा कि आडिट रिपोर्ट में ५० परसेन्ट असफल होने की बात दी गयी है।

श्री यादवेन्द्रसिंह—

तो फिर आपको इसका कंट्राडिक्शन देना चाहिये था जो आडिट रिपोर्ट में है। तो मैं यह कह रहा था कि मुझे आज एक नया तजुर्बा हुआ कि जब कोई माननीय सदस्य जंगल देखने जाता है तब तो वह उनको देख कर खुश हो जाता है और कहता है कि सेंट परसेन्ट ऐचिवमेन्ट है, लेकिन वही बाद में जब विरोधी बेंच पर बैठ कर बात करता है तब उसके सोचने का तरीका दूसरा ही हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंग्रेज यहां थे और हम लोगों को उल्टा सीधा पढ़ाया करते थे तथा सही स्थिति का ज्ञान नहीं होने देते थे, उसी तरह से माननीय मुन्नू सिंह भी अगले चुनाव के लिये हमें वाक्य जाल में फंसाना चाहते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि वे चलकर देख लें हमारे मिर्जापुर, चकिया आदि में ५० परसेन्ट प्लान्टेशन असफल रहा है और यदि यह बात गलत साबित हो जाय तो मैं असेम्बली से पद त्याग करने के लिये तैयार हूं।

श्री यादवेन्द्रसिंह—

हम लोग ८, ९ तथा १० अप्रैल को वहां जा रहे हैं और हम इस चीज को अवश्य देखेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सीधे हस्तक्षेप न करें।

श्री यादवेन्द्रसिंह—

अब इस कार्य का एक दूसरा पहलू और है। जहां जंगलात विभाग का काम लकड़ी से संबंधित है, वहीं महकमा जंगलात के पास एक और भी विभाग है और वह है वन्य जन्तु संरक्षण विभाग। उसमें भी वह दो तरह का काम करता है, एक तो वन्य जन्तुओं का संरक्षण और दूसरा काम है शिकार को सही रूप में तरतीब देना। वन्य जन्तुओं के संरक्षण का काम, भारतवर्ष में सब से पहले उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया था पीछे जब अफ्रीका के जंगलों में कुछ विशिष्ट जानवरों का शिकारियों द्वारा भयंकर संहार होने लगा तो उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों में संरक्षण प्रारम्भ किया गया। उसी का नतीजा है कि आज भी वहां उन जन्तुओं का शिकार किया जाता है। क्योंकि वे संहार से बचाये जा सके और उनका शिकार शिकार की तरह हुआ, रोजगार की तरह नहीं। फ्रांस और हालैन्ड में अधीनस्थ क्षेत्रों में जहां इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उन स्थानों पर जानवरों का भयंकर विनाश हुआ और अब उन प्रदेशों और क्षेत्रों में आखेट हेतु वे वन्य जन्तु दुर्लभ हो गये। अपने यहां का जंगलात महकमा एक यह भी काम कर रहा है, लेकिन उसके तरतीब देने में थोड़ी बेतरतीबी हो रही है और वह यह है कि वन्य जन्तुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश को तमाम रीजन और रीजन को सर्किलों में बांट देना चाहिये। इस कार्य को देखने के लिये विभाग में एक अलग चेयर होनी चाहिये जो सिल्वीकल्चर, लैन्ड मैनेजमेन्ट इत्यादि उप विभागों के समान चीफ के मातहत होते हुए भी केवल इसी विशेष कार्य के जिम्मेदार हो और देखरेख करे।

माननीय मंत्री जी द्वारा ध्यानाकर्षण होने पर बिना किसी विशेष आर्थिक बोझ को विभाग पर बढ़ाये हुए उक्त कार्य को बेहतर तरतीब देते हुए स्कीम दे सकूंगा।

सूक्ष्म में कहना है कि इस विभाग का मुख्य अधिकारी जो मातहत चीफ कंजरवेटर के होगा उस चेयर का डाइरेक्टर या जो भी आप उसको संज्ञा दें वह ऐसा आदमी हो जो वन्य जन्तुओं में पूरी रुचि रखने वाला हो। इस विभाग को आप को दो विभागों में बांट देना चाहिये, इससे आपका काम ठीक से सफलतापूर्वक चल सकेगा। एक रिसर्च शाखा और एक संरक्षण शाखा दोनों इस विभाग में उप विभाग की तरह अलग अलग खोली जानी चाहिये। रिसर्च शाखा में वनों में पाये जाने वाले जानवरों के विषय में रिसर्च हो किस किस जानवर की क्या खास आदतें होती हैं, उनको कैसा भोजन और जलवायु चाहिये, वह किस चीज को पसन्द और किस चीज को नापसन्द करते हैं। इसलिये हमारे विभाग का एक भाग ऐसा भी होना चाहिये जो यह देखा करे कि किस जानवर को कैसे रहन-सहन की आवश्कता है और किस परिस्थिति में उसका अधिकाधिक विकास हो सकता है। जिस जंगल में जिस प्रकार के पशु न हो उनके लिये वैसी परिस्थिति उत्पन्न करके उन्हें उपलब्ध किया जाय और जो पशु वहां पर वर्तमान हों उनके प्रोटेक्शन और वृद्धि का समुचित उपाय किया जाय।

यहां लोग शेर मारना खूब पसन्द करते हैं, जिसने एक शेर मार लिया, वह समझता है उसने बड़ा भारी काम कर लिया। शेरों को मारने के लिये इंडिस्क्रिमिनेट शूटिंग को रोकने के लिये भी प्रयास किया जाना चाहिये और इस ओर सरकार ने ध्यान भी दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में ५० से ज्यादा शेर एक साल में नहीं मारे जायंगे। काला हिरन जो उत्तर प्रदेश का एक खास जानवर था, यहां से खूब पकड़ा और मारा गया। उसे यहां से पकड़ कर आस्ट्रेलिया आदि स्थानों पर वंश वृद्धि के लिये छोड़ा गया और उसका परिणाम यह हुआ कि यहां से तो वह गायब हो रहे हैं, और वहां खूब बढ गये हैं। इस प्राणी का भयंकर संहार हुआ। गांवों में बन्दूकों के लाइसेंस तो खूब बढ़े तो हैं ही और वह खेतों में रखने वाला जानवर है। जिसको आसानी से खोजकर उसका शिकार किया जा सकता है। उसको लोगों ने खूब मारा, लेकिन अब उसकी रोकथाम के उपाय हो रहे हैं लेकिन और अधिक होने चाहिये। सरकार की तरफ से यह भी प्रयास होना चाहिये और कानून में ऐसा एमेन्डमेन्ट किया जाय कि जंगली जानवरों और चिड़ियों का जो मांस दुकानों पर मिलता है, उसको

[श्री यादवेन्द्रसिंह]

कानूनन रोका जाए। उसको रोका जाए कि वह आमतौर से बिक न सके, जो उसके लिये विभाग द्वारा अथोराइज्ड हों और उसको उपलब्धि का पूर्ण व्योरा रखते हों वही बेच सकें। जब तक इसमें विशेष रूप से कर्मचारियों इत्यादि के लिये विशेष भत्ते की गुंजाइश नहीं होगी तब तक इससे लाभ नहीं होगा। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां पर वह वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं वह विल्ड लाईफ प्रोटेक्शन आर्गनाईजेशन के अन्तर्गत रिसर्च विंग की तरफ और सेवारत कर्मचारियों के जीवन रक्षा हेतु संरक्षण की ओर भी ध्यान दें। प्रोटेक्शन जो करते हैं उनका मुकाबला उन लोगों से होता है, जो साधन सम्पन्न हैं और मोटर पर शिकार खेलने आते हैं, उनसे विभागीय कर्मचारियों की जीवन रक्षा की तरफ आपको खासकर ध्यान देना चाहिये। संघर्षों में मृत कर्मचारी के परिवार को पुलिस विभाग की तरह ही मदद देने की आवश्यकता है, आप अपने कानूनों में संशोधन करें कि जिससे आप ऐसे मोटर पर आने वाले बन्दूकों से इंडिस्क्रीमिनेट शिकार खेलने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें। तथा उनके दिलो में भय उत्पन्न कर सकें। खेती के बारे में उसे ही अच्छा अनुभव होगा जो खेती के कानूनों के सबसे कड़ुवे फल चखे हैं या चखाये हैं। मैं एक शिकारी की हैसियत से जानता हूं और इसलिये आपसे कहूंगा कि आप क्या क्या करें कि जिससे वन्य जन्तुओं का प्रोटेक्शन होगा और आपके विभाग को लाभ होगा। आज का चीफ वाइल्ड लाफ वार्गन तथा अन्य वार्डेन केवल अपने ऊपरी अफसरों के स्टाफ अफसर मात्र रह गये हैं। वे अपना कार्य नहीं करते यह अनुचित

(लाल बत्ती होने पर)

है। मैं अभी तक जनरल बात ही कह रहा था अब मैं अपने मतलब की एक दो बातों पर आता हूं। गोरखपुर डिवीजन, फारेस्ट का किंग डिविजन कहा जाता है रेवेन्यु के संबंध में। किन्तु जहां तक उसकी उपलब्धियों का सवाल है, मैं समझता हूं कि उससे अधिक उपेक्षित डिवीजन अन्य कोई नहीं है। मैं चाहता हूं और जैसा होना भी आवश्यक है कि सब डिवीजनों के साथ सरकार की ओर से उपलब्धियों की दिशा में एकरूपता बरती जाए। जिसकी अभी तक सरकार की ओर से हमने नितान्त अभाव देखा है। गोरखपुर में जमींदारों के फारेस्ट बहुत थे। उस वक्त के जमींदार उसे ग्रामीणों को मिलने वाली उपलब्धियों को दिया करते थे। लेकिन जब जमींदारों का विनाश हुआ और जमींदारों के जंगल सरकार ने ले लिये तब इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और वाजिबुल अर्ज का करेक्शन नहीं हुआ। जमींदार को गरज नहीं थी आपके ग्राम सभापति को इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, अन्यथा उसने खुद उनको वाजिबुल अर्ज में दर्ज कराया होता। मैं पहाड़ों की बात नहीं करता, वहां पर बड़ी उपलब्धियां हैं और मिलनी भी चाहिये। लेकिन मैं कुछ मैदानी तराई के जिलों का नाम लेता हूं। जैसे बहराइच, खीरी, पीलीभीत। अभी हमारे मुन्नू सिंह जी, जो बहराइच जिले से आते हैं और उन्होंने जंगल की तमाम चीजों की तरफ ध्यान दिलाया है लेकिन उन्होंने एक बार भी गोरखपुर के लोगों के साथ वन विभाग की उपेक्षा की बात नहीं कही। वन विभाग ने लखीमपुर, खीरी के लोगों को सुविधायें देकर उनका मुंह बन्द कर दिया है और जगह भी यही हुआ है लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा मुंह बन्द कर दिया जाय। यह किया जाय कि मंत्री जी अपने कान मेरी तरफ लगाकर ज्यादा अटेंटिव हों ताकि हमें भी वह उपलब्धियां मिल सकें जो उनको मिल रही है, जो मैदानी या तराई के जिले हैं।

दूसरी बात यह है कि आजकल जो इमरजेन्सी के नाते हमारी वन विभागीय योजनाओं में कटौती हुयी हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारी आवाज को और भी ज्यादा बुलन्द करें और उनको रिस्टोर करावें ताकि जो कई कई डिवीजन्स एक में मिलाये गये हैं और जहां तक एक डी० एफ० आर० के लिये फीजिबिल नहीं है कि वह उनको कंट्रोल कर सके, उसे पुनः संगठित किया जा सके और विभागीय कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके इसलिये आपको उन कूटस को रिस्टोर करना होगा और अब तो इमरजेन्सी खत्म हो गयी है। जो सेटबैक हमारे कामों को लग गया है, उन्हें शीघ्र ठीक करने में बल मिलेगा, लोगों का

उत्साह बढ़ेगा और महकमा जंगलात का काम अच्छा होगा। पुनः इमर्जेन्सी के पूर्व की स्थिति लायी जाय। जिन अधिकारियों का स्थानाभाव के कारण रिवर्जन हुआ है, उन्हें उनके स्थान प्राप्त हो सकें। रैंकों से प्रमोशन का कोटा भर सके।

जहां तक रिवर्जन से पुनः प्रमोशन पर या सीधे रैंक से प्रमोशन पर जाने का प्रश्न है उसके लिये मैं कहूंगा कि जिस तरह से पी० डब्लू० डी० में रैंक से प्रमोशन की सीलिंग निश्चित है कि रैंकसे तरक्की करने वाले कहां तक जायेंगे और उसके बाद तरक्की नहीं होगी उसी तरह से बनों में भी तरक्की के लिये सीलिंग फिक्स होनी चाहिये ताकि डाइरेक्ट भर्ती जो लोग होते हैं उनके अन्दर भी काम करने की दिलचस्पी क्षमता बढ़े और इंसेटिव रहे कि वह अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको तरक्की मिलेगी। मेरा मतलब गजटेड रैन्क के सीधे भर्ती शुदा लोगों से है। जमींदारों से प्राप्त वन इम्प्रूव किये जाय। वन मध्यस्थित कृषि भूमि को तबादले के जरिये बनों के बाहर किया जाय जैसा कहीं-कहीं विभाग कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री मुन्नू सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहूंगा। वैसे मैं वन विभाग के अधिकारियों कंजरवेटर आफ फारेस्टस से लेकर फारेस्ट गार्ड तक, सभी ने अपने उत्तर प्रदेश के वनों की जिस उत्साह से रक्षा की है, की मैं तारीफ करता हूं। मैंने अन्य प्रदेशों में भी देखा है क्योंकि मैं भी जंगल का ठेकेदार हूं और उस नाते से मुझे महसूस हुआ कि अपने प्रदेश में जो हमारे वन के अधिकारी हैं उन लोगों ने बनों की रक्षा भली-भांति की है।

इसी के साथ मुझे एक बात का दुःख है कि इधर हमारे नाग श्री डिवीजन में कुछ इस तरह के प्लाट्स हैं जो हजारों साल में नहीं तैयार कर सकते थे और उनकी जड़ खोदान की गयी। मैं उनका नाम भी बताऊंगा। टेहरी ४–बी, ५६ यह बी० डी० वन में काट दिये गये जिसको अभी जड़ खोदान करा दी गयी। इतने अच्छे सुन्दर वन जिसको हम हजारों साल तक नहीं तैयार कर सके और इतने अच्छे पौधे जैसे साल के जंगल भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं उनका कटान किया है और जो हिस्सा बाकी है उसको भी काटा जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय और उसको रोका जाय। इसी प्रकार सोनाईपार रेंज में और लौक रेंज जो काटा गया और उनकी जड़ खोदान की गयी और जहां प्लांटेशन लगाया गया, वह प्लांटेशन कब शुरू होगा। इसी प्रकार लौकी १०—जो इस वक्त छपान किया जा रहा है, उस वक्त अगर आप देखेंगे कि इस प्रकार के जंगलों को काटकर जो नया प्लांटेशन कराया जा रहा है उसमें आप कहां तक सफलता प्राप्त कर सके हैं। इसी प्रकार से जो गलत पेड़ों का कटान हो रहा है उसको हमने देखा है। पीलीभीत में माला रेंज में २ प्लान्ट्स इस प्रकार के काटे गये और मैंने उसके बारे में पिछली बार कमेटी की मीटिंग में कहा था।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वहां जमीन आजकल बहुत बेकार है, उनका कोई उपयोग नहीं है। अगर उनको साफ कराकर वहां प्लांट्स लगाये जायं तो ज्यादा कामयाब होंगे बनिस्बत इसके कि जो अच्छे बन हैं उनकी कटान करके अपने अच्छे-अच्छे पौधों को आप खत्म कर रहे हैं। तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं २, ३ साल से देख रहा हूं कि पिछले साल जितनी आग बन में लगी थी उससे ज्यादा इस साल लगी है। उस आग के लगने से हमारे बन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने इस सवाल को अपनी स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया था कि इसके लिये प्रबन्ध किया जाय परन्तु सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाया यह अभी तक हमको मालूम नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं मंत्री जी अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालें। मैं चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि रामनगर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचरण शाह]

दुधवा और भीरा जैसे स्थानों में आग लगने से लाखों रुपये की हानि हुई तो ऐसे ही बड़े बड़े स्थानों पर वाटर टंकियों का कोई इन्तजाम होना चाहिये ताकि उन वनों की रक्षा हो सके। जहां पर हम पहुंच सकते हैं वहां के जंगलों की रक्षा होनी ही चाहिये। मैंने कई स्थानों का दौरा करते समय देखा है कि आग लगी हुई है। वहां पर अफसर मौजूद हैं। वे चेष्टा कर रहे थे तो हम लोग भी उनमें शामिल हो गये। जो हमको भी करना था वह हमने किया। इस कारण इसे आग से बचाने का इन्तजाम करना जरूरी है। यह देखकर दुख की बात होती है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है।

एक बात जंगली जन्तुओं के संरक्षण के विषय में भी कहना चाहता हूं। जब तक जंगली जन्तुओं के लिये वन को सुरक्षित नहीं रखा जायगा तब तक वन का सौन्दर्य नहीं रह सकता है। सेन्चुरी वन जो जंगली जानवरों के लिये रखा गया है वह बहुत जरूरी है और जंगली जन्तुओं की रक्षा होना बहुत जरूरी है। जितने वन जन्तुओं के लिये रखे गये हैं उनको रहना चाहिये। अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो हमारे वन का कोई सौन्दर्य नहीं रहेगा। जितना उनको सुरक्षित रखा जायगा उतने ही वन जन्तु सुरक्षित रहेंगे। इस तरह के वहां पर वन मौजूद हैं वहां वनों का कटान नहीं होना चाहिये।

एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से अधिकारी लोग जंगल में अन्दर तक नहीं जा सकते हैं। मैं मिसाल देकर बताऊं कि मिर्जापुर में दुद्धी डिवीजन है। उसके बंगल में ६० मील जाने पर दुद्धी का जंगल प्रारम्भ होता है। उस डिवीजन में अन्दर ऐसे बंगले बने हुए हैं जो आजकल गिर रहे हैं। वे अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

वहां पर वन के बंगले नहीं गिर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो, उस समय कोई दूसरा सदस्य न बोले तो अच्छा है। जब आपका अवसर आये बाद में तो तब आप स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामचरण शाह—

गोहड़ा और पोखरा ऐसे स्थान हैं जहां पर वन के अन्दर बंगले तो बने हैं लेकिन अधिकारी जाकर वहां नहीं ठहरते हैं। वहां पर अच्छे स्थान होते हैं वहीं पर अधिकारी जाकर ठहरते हैं। मैंने उन स्थानों को जाकर देखा है। दुद्धी डिवीजन के अन्दर ये स्थान जो मैंने बताये हैं ६० मील अन्दर पड़ते हैं। ये स्थान ६० मील दूर होने से बहुत कम वहां पर अधिकारी जाते हैं। मैं चाहता हूं मिर्जापुर के नजदीक रिहन्द डाम के पास ऐसे स्थान बना दिये जायं जहां पर डिवीजन के आफिस खोले जा सकें और वहां से अधिक निगरानी हो सके। मिर्जापुर में रहकर भी वहां अधिकारी जाकर अच्छी तरह से देख सकेंगे। इनके लिये भवन और दफ्तर बनाने में खर्चा उससे कम ही होगा जितना कि अधिकारियों के टी० ए० और डी० ए० में वहां ६० मील दूर जाने पर खर्च होता है। एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वह ऐसा इलाका है जहां पर नेपाल बार्डर लगा हुआ है। नेपाल में भी हमारा काम होता है। वहां पर हम काम करते हुए यह महसूस करते हैं कि वहां अधिकारी लोग जो डी० एफ० ओ० और कन्जरवेटर लोग हैं उनकी भावना को हमारे यहां के लोगों के कारण कुछ ठेस लगती है। हमारे यहां के लोग कुछ गलत ढंग से नेपाल के अन्दर से पेड़ काट कर निकाल लाते हैं और उनका संबंध यहां के अधिकारियों से भी है। अधिकारी वर्ग अगर चाहें तो उनको रोक सकते हैं। यह पीलीभीत में और खीरी जिले में होता है। नेपाल वालों ने इसको अपोज भी किया है और इसके लिये लिखा पढ़ी भी चल रही है, इसको ठीक किया जा सकता है। उनके पास पत्र भी आये हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको

चेक किया जाय और चोरी का माल यहां आना बन्द किया जाय। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि जो बातें मैंने रखी हैं उन पर मंत्री जी ध्यान दें। वैसे स्टैंडिंग कमेटी में वे मिलते हैं और हमारी उनसे बात होती रहती है और वे इन सारे सवालों पर विचार भी करते हैं लेकिन इस समय बहुत से पेड़ गलत ढंग से कट रहे हैं, प्लान्टेशन लगाने के नाम पर अच्छे पेड़ों को काट डाला जाता है। यह चीज रुकनी चाहिये। अच्छे पेड न काटे जायं और अगर प्लान्टेशन करना है तो उसके लिये उचित भूमि पर प्लान्टेशन किया जाय। इन शब्दों के साथ में अपना विचार प्रस्तुत करता हूं।

श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का समय प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सभी लोग जानते हैं कि देश की प्रगति और आर्थिक उन्नति वनों पर निर्भर है। इस दृष्टि से वनों का हमारे लिये बड़ा महत्व है और हमारी योजना की बहुत सी स्कीमें इन वनों पर ही निर्भर करती हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी काम काज आज कल होते हैं ते सब योजनागत होते हैं। योजना के अनुसार हमारी तीसरी योजना अब समाप्त होने जा रही है। उसका अवलोकन करने पर हम को पता चलता है कि हम ने वन के सम्बन्ध में कितनी रुचि दिखलायी है। पहली योजना में हमने १३८.८२ लाख रुपया वनों पर खर्च किया, दूसरी योजना में २६८.३९ लाख रुपया वनों पर खर्च किया गया और तीसरी योजना में ९५८.१६० लाख रुपया वनों पर खर्च किया। इस प्रकार हम देखें हैं कि वनों की तरफ कैसा हमारा ध्यान है। चौथी योजना में मान्यवर, इस समय हम ३९.१८ करोड़ रुपये वनों पर खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन इमरजेन्सी के कारण इस में भी हमें कटौती करनी पड़ रही है। तो मैं कह रहा था कि वनों का हमारे लिये बड़ा महत्व है। हमारा आर्थिक विकास उन्हीं पर आधारित है और हमारी प्रगति उन पर ही निर्भर करती है। हमको वनों से लीसा और दूसरे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। खेती के उपकरण भी हम वहीं से प्राप्त करते हैं। वनों का उद्योग में कितना महत्व है, उस दृष्टि से भी हम देखें तो लीसा उद्योग और कागज उद्योग ये सब चीजें जो जीवन के लिये बड़ी जरूरी है जो कि वनों से ही मिलती हैं।

मैं मंत्री जी का ध्यान पहाड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं। पहाड़ों में जंगलों का अधिक होना ठीक ही है, लेकिन कुमायूं में यह परीक्षण किया गया कि कुछ फलदार वृक्ष भी लगाये जायं। तो देहरादून की चकराता तहसील में भी मंत्री जी ध्यान दें तो बहुत से टुकड़े ऐसे हैं जहां पर हम फलदार वृक्ष लगा सकते हैं और उससे अधिक धन पैदा कर सकते हैं। ऐसी हालत में जो पेड़ लगायें या फलदार वृक्ष लगायें यह हमारा लक्ष्य, योजना के अनुसार रहता है। उससे जो जमीन बचती है उसको मैं ट्रांसफर करने के लिये नहीं कहता, लेकिन अगर १५–२० साल के लिये लीज पर दे दें तो बेकार जमीन जिसमें प्लांटेशन भी योजना के अनुसार नहीं होना है, अगर उसका सदुपयोग करें तो बहुत ही उचित होगा।

दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में ज्यादा ध्यान सड़क पर, यातायात पर वन विभाग को देना चाहिये। जब तक यातायात न होगा वन सम्पदा का सदुपयोग नहीं हो सकता। पहाड़ों में बहुत सी जगहों पर सड़क न होने से वन उपज बाजार में नहीं ला सकते हैं और वन विभाग को आर्थिक फायदा जितना होता वह नहीं मिल पा रहा है। तो बजाय इसके कि प्लांटेशन करें, मैं निवेदन करूंगा कि प्लांटेशन को तो वर्किंग प्लान के अनुसार ही करें और विशेष ध्यान यातायात पर दें तो वन विभाग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जायगी।

उत्तराखंड के लिये बजट में काफी पैसा है। मंत्री जी शायद कहेंगे कि सेंटर से आता है ठीक है, सेंटर से आता है तो वहां खर्च करें, लेकिन चकराता डिवीजन, देहरादून जिले से लगा हुआ है, टोंस डिवीजन है वहां आराकोट चिपा, पीपेबाला सड़क बन रही हैं। उसके टेंडर हुये

[श्री गुलाबसिंह]

पैसा खर्च हो गया लेकिन बीच में नदी आने से बनी हुई सड़क भी बेकार हो जाती हैं, जब तक कि पुल न हो। लेकिन चकराता डिवीजन में इतना पैसा नहीं है कि वहां एक पीपे वाला पुल लगा सकें तो इस कारण यह सड़क भी बेकार हो जाती है। यहां तक हुआ कि सड़क बन गयी, जीप भी विभाग ने दे दी लेकिन २०–२५ हजार रुपये का पुल न होने से उस सड़क का भी उपयोग नहीं हो रहा है। इतनी छोटी रकम का सवाल हो तो आवश्यकता को ध्यान में रख कर पुल का लगाना जरूरी हो जाता है और इतनी रकम का खयाल नहीं करना चाहिये। एक बात मैं और कहूंगा, लीसा निकालने के बारे में। पहाड़ों में लीसा निकाला जाता है और इससे लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे ज्यादा लीसा होता है लेकिन गढ़वाल और टेहरी में ही लीसा निकाला जाता है। कुछ वर्षों पहले, जहां तक मेरी जानकारी है, अल्मोड़ा के लिये सरकार ने यह व्यवस्था करी है कि इस से जो भी इनकम होगी उसका १० प्रतिशत जिला परिषदों को वहां उसके उत्थान के लिये दिया जायेगा। अगर वास्तव में यह वहां के लिये ऐसी व्यस्वथा है तो टेहरी, गढ़वाल और चकरौता आदि जिलों में भी यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। जहां-जहां लीसा निकलता है वहां की आय का १० परसेन्ट वहां के विकास खंडों को मिलना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। फारेस्ट लेबरर्स का प्रश्न बड़े महत्व का है। जब शहरों में आपने राशनिंग का उचित प्रबन्ध किया है तो उनके लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये। जो राशनिंग की व्यवस्था फारेस्ट लेबरर्स के लिये आपने की है, वह ठीक नहीं है, उसमें आपने इतनी कम मात्रा उनके लिये रखी है कि वह उनके लिये नाकाफी है जिस से मैंने देहरादून में देखा कि जब आक्शन का टाइम आया तो ठेकेदारों की यूनियन ने एका कर लिया और कोई बोली नहीं बोली गई। इस से बनों की कीमत को बड़ा आघात पहुंचा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार फारेस्ट लेबरर्स के लिये उचित राशनिंग की व्यवस्था करे।

श्री ऊदल—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुन्नू सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय यादवेन्द्र सिंह जी जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सेन्ट परसेन्ट प्लान्टेशन सफल हुआ है। मैंने बीच में टोका भी था। मेरा तो यह निश्चित मत है क सेंट परसेंट तो प्लान्टेशन सफल प्रदेश के किसी कोने में भी नहीं हुआ होगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झांसी डिवीजन को देखने की कृपा करें। झांसी में नवगढ़ और मिर्जापुर की तरफ जो प्लाटेंशन हुआ है, उसकी जांच करा ली जाय। मैं तो चाहूंगा कि सरकार माननीय यादवेन्द्र सिंह जी की ही अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें जो पूरे झांसी डिवीजन में जा कर देखे, नवगढ़, चकिया, जनमोहनी आदि जगहों में जो प्लान्टेशन हुआ है, वह बिलकुल असफल हुआ है। मैं तो कहता हूं कि वह कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी उसको मैं सही मान लूंगा। मान्यवर, वहां हाल यह है कि सड़क के किनारे किनारे तो पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन बीच बीच में प्लान्टेशन हुआ ही नहीं है और जो हुआ है वह सूख गये हैं। बहुत से जगह गड्ढे तो खोद दिये जाते हैं मगर पौधे नहीं लगाये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को उन्नाव ही ले जाना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत सी जमीन को वन विभाग ने ले ली। कानपुर अगर आप जायं तो देखेंगे कि एक बिसवां दो बिसवां में तो बबूल के पेड़ दिखाई देंगे, किन्तु बहुत सी जगह पर एक भी पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा और लाखों रुपया वहां पर खर्च किया गया है। सरकार ने कभी भी जहमत गवारा नहीं की कि जो रुपया प्लान्टेशन के लिये दिया जाता है उसके बाद में देखे कि वह कितना सफल हुआ, कितने पेड़ लगे या नहीं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में जांच की जाय। एक बोर्ड नियुक्त करना चाहिये जो जांच करे कि इसमें इतना रुपया लगाने के बाद कितना प्लान्टेशन सफला हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने जंगल विभाग को बधाई दे दी और कहा कि वे जंगल विभाग के ठेकेदार है, गोंडा जिले में एक ठेकदार

को डी० एफ० ओ० साहब ने ठेका दिया और उसको वह ठेका एक लाख कुछ हजार में दिया। जब मंत्री जी को यह केस मालूम हुआ तो उन्होंने ठेके को कैंनिसस किया और उसका नीलाम बाद में दो लाख के ऊपर हुआ। आज जंगल विभाग में मामूली भ्रष्टाचार नहीं है। नेशनल सम्पत्ति का जिस तरह से दुरुपयोग और जिस तरह से उसका इस्तेमाल आज व्यक्तिगत मुनाफे के लिये हो रहा है इसको देखना चाहिये और सरकार को इस पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि किसानों के जो हकूक है जिनका श्री यादवेन्द्र सिंह जी ने हवाला दिया, वहां किसानों तथा जंगल में रहने वाली जनता को नहीं मिल रहा है। जो जंगल हैं उनमें से किसी किसी में चराई बन्द है और कुछ में चराई होती है। लेकिन जंगल विभाग के अधिकारी दोनों में चराई कराते हैं और चराई वाले जंगलों से लोगों के जानवर पकड़ते हैं तथा उनके ऊपर मुकदमा चलाते हैं और इस तरह से जनता को परेशान किया जाता है क्योंकि वे मनमानी करते हैं। श्रीमन्, आज अन्न की पैदावार कितनी कम है। भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। हमारे यहां चकिया में सैटिलमेंट हो रहा है और उसकी हालत यह है कि जो किसान काबिज हैं और जिनके नाम कागज में दर्ज हैं उनको बेदखल किया जा रहा है। इस बात की कमिश्नर ने मौके पर जांच की और उन्होंने लिखा कि सैटिलमेंट आफिसर ने मौके की जांच नहीं की, और लिखा कि २० वर्ष से खेत की मेंढ़ है, यह खेत है, यहां २५ साल से खेती होती होगी।

एक सदस्य—

कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ऊदल—

माननीय वन मंत्री कह रहे हैं कि आप झांसी कब गये थे। मैं माननीय मंत्री को चुनौती देता हूं कि इनके जो प्लान्टेशन और तार का जो खम्भा लगाया जाता है वह उसमें न लगकर, इसका पैसा वन विभाग के कर्मचारियों ने ल लिया है। हमारे नौगढ़ में चन्द्रप्रभा डिवीजन में जो तार के खंम्भे हैं वे सब टूट गये हैं। अगर खम्भे और तार टूटे हुये मिलते हैं तब तो आप मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो दंड आप देंगे मैं उसे मानूंगा। फर्जी प्लान्टेशन हो रहा है और लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है पर उसकी जांच पड़ताल कुछ नहीं हो रही है। विजयपुर, बिजौरा गांव में १४० एकड़ जमीन किसानों की ८ साल से जंगल विभाग वालों ने अपने कब्जे में कर रखी थी जब कि वन विभाग हार गया था। मैंने मंत्री जी को कई बार लिखा और सवाल भी किये। ७ साल के बाद ८० एकड़ जमीन छोड़ी गई। नवम्बर, १९६५ को मंत्री जी चकिया गये। इसके पहले सदन में जवाब दिया गया था कि सारी जमीन छोड़ दी गई है, लेकिन पूरी जमीन नहीं छोड़ी गयी थी।

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय मित्र से कहूंगा कि यदि वह बगैर गुस्से के और शान्ति से बोलें तो बात ज्यादा समझ में आ सकती है।

श्री ऊदल—

आपने अपने अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जिन्होंने आप से गलत जवाब यहां दिलाया था। चितनी एक गांव चकिया में है जहां के किसान जीत गये हैं। नवम्बर में मंत्री जी गये थे। वहां के किसानों से जंगल विभाग लगान लेता है परन्तु मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कोई लगान नहीं लिया जाता है। यह जवाब गलत है, मंत्री जी इसकी जांच करावें।

[श्री ऊबल]

लीसा में बहुत चोरी हो रही है। प्राइवेट कम्पनीज को बेचा जा रहा है। बेरजा और तारपीन का बहुत बड़ा काम लीसा से सरकार को करना चाहिये और सरकार को अपनी फैक्टरी खुद लगानी चाहिये।

बहुत से किसान जंगल के आस पास बसे हैं। उनके जानवर जंगल विभाग वाले पकड़ लेते हैं और रुपया ले कर छोड़ देते हैं। मछागाई चकिया में एक ८ महीने की बछिया चली गई। उसे पैसा लेकर जंगल विभाग के लोगों ने छोड़ा। इसकी रोकथाम होनी चाहिये।

मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार एक आयोग का गठन करे जो यह देखे कि तीसरी योजना में पैसा किस प्रकार खर्च किया गया और प्लान्टेशन की क्या हालत है।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामप्यारे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जब मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं तो मैं जंगल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। जो वन के बीच में रहते हैं उनको अच्छा अनुभव हो सकता है। जैसा कि इस पुस्तिका में लिखा गया है। वन का मनुष्य जीवन के साथ कई तरह से सम्बन्ध है, आर्थिक भी है। संकटकालीन स्थिति में भी वन का बहुत बड़ा महत्व है। पिछले १५ वर्षों में, तीन योजनाओं में, जंगल की वृद्धि के लिये जो प्रयास विभाग ने किये हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यों तो मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन माननीय ऊबल जी ने कहा कि विभाग को सफलता नहीं मिली है। लेकिन सेंट पर सेंट असफलता भी नहीं रही है। अगर आप मिर्जापुर के बांस के प्लान्टेशन को देखें तो जहां ऊब ड़-खाबड़ था वहां बांस लहलहा रहे हैं। जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि दुद्धि में अंग्रेजों के समय के डाक-बंगलों की हालत बहुत खराब है। दुबेजी जी को मालूम है, शिकार खेलने जाते हैं। जहां भी बंगले हमने देखे, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि दुद्धि डिवीजन का आफिस मिर्जापुर से ६० मील है। बात सही है। लेकिन इस सुविधा को करने के लिये ही एक ऐस० डी० ओ० रिहन्द में मुकर्रर कर दिये गये हैं जो वहां से जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करते हैं। शायद ऐसी स्पेशल नियुक्तियां १ या २ डिवीजनों में ही हैं। इलाहाबाद वृत्त व दुद्धि डिवीजन बड़ा महत्वपूर्ण है जंगल के हिसाब से। लेकिन वहां पर आने जाने की असुविधा जंगल के विकास में बहुत बाधक हो रही है। वहां कच्ची सड़कें हैं और बरसात में तो आना-जाना बिलकुल बन्द हो जाता है। अगर वहां पुल बना दिये जावें तो कुछ सुविधा हो सकती है।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि राबर्टसगंज और दुद्धि में सैटिलमेंट हो रहा है फारेस्ट का। हमारा क्षेत्र पैदावार की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां रोटेशन से खेती होती है। जिन आदि वासियों ने इस साल खेती नहीं की, उनकी जमीन बंजर दर्ज कर दी गई। लेकिन वहां उनके घर, कुवें, बाग-बागीचे और खेती सब कुछ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आदिवासी लोगों की चीजें जंगल से बाहर कर दी जांये। वहां जो सुविधायें जैसी जंगल विभाग से मिलती थीं वे मिलती रहनी चाहिये और आबादी जो कि अब वहां बढ़ गई है, उसके अनुपात से लकड़ी का शैड्यूल भी बढ़ना चाहिये। अधिक लकड़ी अब मिलनी चाहिये।

एक सुझाव और महत्वपूर्ण यह है कि हमारे यहां जंगल के अलावा काश्तों में भी पेड़ हैं। ठेकेदार लोग वासियों को बहुत एक्सप्लाइट कर रहे हैं। उनसे ४–४ आने में बहुत सी लकड़ी ले कर बाहर उसे बहुत दामों में बेचते हैं। इस से वे काफी पैसा कमाते हैं। मैंने पिछले साल भी कहा था और फिर कहता हूं कि फारेस्ट ऐक्ट में कोई ऐसा संशोधन लाने की कृपा करें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस से जब तक हमारा डी० एफ० ओ० या फारेस्ट डिपार्टमेंट को कोई और अधिकारी संतुष्ट न हो जाय कि उस किसान को वाजिब कीमत मिल रही है तब तक उसे एक्सपोर्ट की इजाजत न दें। इससे यह समस्या हल हो सकती है।

राबर्टसगंज में तीन रेंज हैं। बुद्धि से मिला हुआ है, बनारस से मिला हुआ है और सोन से मिला हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसका अलग से डिवीजन हो जाय। मैं डिवीजन कम करने से सहमत नहीं हूं। इस से कोई इकानामी नहीं हो सकती। इस तरह से कमी नहीं होनी चाहिये। फारेस्ट गार्ड अपने तमाम क्षेत्र को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है। मिर्जापुर में इन तीन रेंजों को मिलाकर एक डिवीजन हो जाय तो जंगल के विकास में बड़ी सुविधा होगी।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इतना ही नहीं, वनों का सम्बन्ध भूमि संरक्षण से होने के कारण इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज देखा जाता है कि अन्न उपजाउ योजनाओं पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। ऐसे समय में भूमि को बचाने की और भी जरूरत हो जाती है मैं चाहूंगा कि सरकार भूमि संरक्षण के लिये जितना ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च कर सकती हो, करे, ताकि जमीन को बेकार होने से बचाया जा सके। जमीन को कटने से बचाने के लिये वृक्षारोपण की आवश्यकता है।

वृक्षारोपण के सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट में तथा अन्य रिपोर्टों में यह बताया गया है कि वृक्षारोपण में दिक्कत इसलिये भी आती है और इसलिये देर लगती है कि जो जमीन उसके लिये अलाट की जाती है, बहुत देर में मिलती है। यह हमारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। वृक्षारोपड़ में हमें ९० प्रतिशत सफलता मिलनी चाहिये। लेकिन आडिट रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि ५० से ५७ प्रतिशत तक ही हमें सफलता मिली है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। एक कमेटी इसलिये स्थापित करना चाहिये जो यह जांच करे कि वृक्षारोपण पर कितना खर्च किया गया, कितने गड्ढे उसके लिये खोदे गये और उनमें कितनी सफलता मिली। इस कमेटी के जरिये जांच करके वृक्षारोपण की खराबियों को मालूम करना चाहिये और उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, तभी हम उन्नति कर सकते हैं।

पेड़ों को गिराने का एक कानून बनाया गया है। छोटे-छोटे पेड़ और बड़े पेड़ जो उस पेड़ की बगल में होते हैं, उनको काफी हानि पहुंचती है। लोग छोटे-छोटे पेड़ों की टहनियों को दिखा देते हैं और बेजा फायदा उठाते हैं। इसके लिये अगर एक रेट कायम कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक वाइल्ड एनीमल लाइफ के प्रोटेक्शन का सवाल है। बहुत से जंगलों में पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं दलदल हैं और बहुत से पशु उनमें फंस कर मर जाते हैं और दूसरे वहां जा नहीं पाते। इसलिये उनके लिये पानी का इन्तजाम होना बहुत आवश्यक है ताकि उनको मरने से या वहां से भाग जाने से बचाया जा सके।

वन विभाग की ग्रासी लैंड भी होती है। उसमें कुछ तो ओपिन होती हैं और कुछ बन्द होती हैं। बन्द जमीन में भी लोग रुपया दे कर अपने पशुओं को चराते हैं और अधिक से अधिक जंगलात विभाग वाले लोगों से रुपया वसूल करते हैं। अगर कोई किसान नहीं देता है तो ओपिन लैंड में से भी उसके पशुओं को पकड़ कर रुपया वसूल कर लेते हैं। माननीय ऊदल जी ने जिक्र किया गोंडा में एक नीलाम १ लाख रुपये में हुआ। माननीय मंत्री जी ने उसको कैंसिल करके फिर नीलाम कराया जो २ लाख में हुआ। माननीय मंत्री जी का यह कदम सराहनीय है। आशा है, इस प्रकार से मंत्री जी इस विभाग के करप्शन को बन्द करने में सफल होंगे और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

ऐसे कार्य अगर होंगे तो मैं समझता हूं कि यह वन विभाग सफलता प्राप्त करेगा और जहां तक १३ सौ लाख का प्रश्न है, ७ लाख का लाभ यादवेन्द्रदत्त जी ने बताया है लेकिन इस से २५-३० करोड़ का भी लाभ हो सकता है अगर ठीक से कंट्रोल किया जाय।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़ वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने मंत्री महोदय को बधाई दूंगा कि वह एक ऐसे विभाग के अधिष्ठाता हैं और एक ऐसे विभाग का नियंत्रण कर रहे हैं जिसको मैं कहूंगा कि वह सरकार का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि सरकार को एक पैसा भी अपनी गांठ से नहीं लगाना पड़ता और वह विभाग सरकार को सात करोड़ की आय देता है, एक पैसे का भी खर्च इसकी जेब से नहीं है और आय हो रही है। यह आय इसको कहां से होती है? यह जंगलों से होती है . .

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था आपको चाहता हूं कि अभी माननीय मुकन्दी लाल जी ने कहा है कि वह इस विभाग के मंत्री हैं, वह सरकार के जमाई हैं। तो वह जमाई किसके हैं? सरकार के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं या विभाग के हैं, किसके हैं? क्या आप इस तरह से जमाई शब्द को संसदीय मानते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

यह अपना-अपना समझना अपने-अपने साथ रहेगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

इसमें एक भारी आइटम है जिससे जंगल को कोई नुकसान पेड़ों को नहीं पहुंचता और डेढ़ करोड़ की आय है। वह पेड़ है पाइन फारेस्ट का जिसे आप चीड़ कहते हैं। उससे लीसा निकलता है। उसके निकालने में जो सरकार का डेढ करोड़ रुपया खर्च होता है। वह वहां के लोगों को लीसा निकालने में डेढ करोड़ मिलता है और आय, विभाग को भी होती है। मंत्री जी बधाई के पात्र इसलिये भी है कि उनकी वजह से वन विभाग को अब अच्छी आय वन सम्पदा से होने लगी है। इसके अलावा यह लीसा ऐसी चीज है कि जिसके निकालने से चीड़ के वृक्ष को कोई हानि नहीं होती। जिस वृक्ष से लीसा निकाला जाता है उसमें केवल ५ प्रतिशत ही हानि लीसे से रेजिन स्प्रेटाश बनाने में होती है। उससे रेजिन बनता है। और टरपेनटाइन तेल बनता है जो हमारे कई उद्योगों में काम आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय मैं बरेली की टरपेनटाइन फैक्टरी में मैनेजर था तो दस रुपया मन में फारेस्ट विभाग उसको लीसा देता था और अब वह ३५ रुपया मन में दिया जा रहा है। नतीजा यह होगा कि लीसे की कीमत अगर सरकार ने कम नहीं की तो फैक्टरी वहां की बन्द करनी पड़ेगी। वहां रेजिन इतनी पैदा हो गयी है कि अगर सरकार ने सबसिडी देकर उसको एक्सपोर्ट करने का बन्दोबस्त न किया तो बहुत मुश्किल हो जायगी, इसलिये उस उद्योग को कायम रखने के लिये जरूरी है कि सरकार सबसिडी दे और रेजिन की बिक्री का इजन्तजाम करे। इस तरह से हमें फारेन एक्सचेन्ज भी मिल सकता है। इसके अलावा जब सरकार को इस विभाग द्वारा जंगलों से इतनी आय है और जब आप जंगलों की रक्षा कर रहे हैं तो वहां के लोगों को जो अधिकार इन वनों में हैं उन की भी रक्षा होनी चाहिये। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा और घास, लकड़ी चराई के हक जंगलों में आदिम काल से हैं। वन विभाग के मंत्री को मेरा सुझाव है कि कम से कम तीन साल तक नये अफसरों की ट्रेनिंग बंद कर दी जाय ताकि वर्तमान योग्य डी०एफ०ओ० का प्रमोशन स्थगित न किया जाय और ट्रेनिंग में जो रुपया खर्च होता है तीन लाख प्रतिवर्ष उसकी भी बचत होगी।

श्रीमन्, मैं कई वर्ष से इस बात को कहता आया हूं कि पहाड़ों के जंगलों में वहां पर भोटिया लोगों द्वारा ४ हजार भेड़ पाली जाती थी। अब चूंकि तिब्बत से ऊन नहीं आ सकती है तो यह

और भी जरूरी हो गया है कि अधिक भेड़ें पाली जायं और उनसे ऊन हमारे प्रदेश में मिल सकें। गढ़वाल के भोटिया लोगों के पास अब ४०,००० भेड़ें हैं, जिनको जाड़ों में जंगलों में चुगाना होता है। मेरा सुझाव है कि लैन्सडाउन, रामनगर और हल्द्वानी के इलाके में भेड़ों की चराई का सरकार प्रबन्ध करे जिससे वहां पर भेड़ें पाली जा सकें और हम लोगों को ऊन मिल सकें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं भी आपका आभारी हूंगा कि यदि आप अपने भाषण को ५–६ मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्रीमन्, मेरा इस विषय पर बोलने का इरादा नहीं था परन्तु जब से मैं यहां पर बैठा हूं मैंने देखा कि कुछ भ्रम सा पैदा हो गया था वन विभाग के सम्बन्ध में। जहां तक वन विभाग की ईमानदारी का प्रश्न है इस देश के भिन्न भिन्न सूबों के वन विभाग के अधिकारियों का जितना अधिक मुझे अनुभव है, शायद कम लोगों को हो, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का वन विभाग इन्टेग्रिटी और एफिशियेन्सी के मामले में देश के अन्य प्रदेशों के वन विभाग से कहीं ऊंचा है और मैं इस सदन के फ्लोर पर पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जब मैं दूसरे प्रान्तों में जाता हूं और वहां जो मुझे अनुभव होता है तो मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है कि हमारा वन विभाग इतना स्वच्छ है और इसके अधिकारी इतने कर्त्तव्य परायणता और निष्ठा से काम करते हैं जो दूसरे प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। यह तो सम्भव है कि जहां पर २० या ५० हजार आदमी काम करते हों, उनमें एक या दो अच्छे आदमी न हों, लेकिन इन दो आदमियों के लिये हम सारे विभाग को दोषी ठहरायें वह उचित नहीं है। एक दूसरा उदाहरण दूसरे प्रदेश के अधिकारियों का मैं यहां पर देना चाहता हूं। वहां के एक गजेटेड अधिकारी ने यह कहा कि अगर आप यह कर लेंगे तो कानून टूट जायगा और आपको इतना फायदा होगा, तो जब इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो मैं उनकी क्यों न प्रशंसा करूं। अभी मिर्जापुर के एक मित्र ने बतलाया कि डाक बंगले नष्ट हो रहे हैं। आज हमारे अफसर जंगलों के अन्दर नहीं जाते हैं। यहां पर यह कहा गया कि वहां पर बड़ा अच्छा प्रबन्ध है। एक डी० एफ० ओ० पीपरी में नियुक्त हो गया है लेकिन जो कार्य मुख्य अधिकारी का है, उसे सहायक अधिकारी कर ले यह सम्भव नहीं है।

यह सही बात है कि बुद्धी रेंज का डी० एफ० ओ० मिर्जापुर न रख कर उनको अपने Division में पिपरी में रहना चाहिये और उनके लिये सरकार को दफ्तर की तथा आवास की इमारत की व्यवस्था करनी चाहिये। (इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये।) अन्यथा दौरे में आने जाने पर सरकार को १२० मील का टी० ए० उनको मुफ्त देना पड़ता है जो ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइंट आफ व्यू से सही नहीं है। ऐडमिनिस्ट्रेशन का मूल मन्त्र है कि जो आप इनवेस्टमेन्ट करते हैं उस का आप को अधिक लाभ मिलना चाहिये। खाली मिर्जापुर से हमको सिनेमा मिल गया इसलिये हम वहां बैठे रहें और वैसे आने जाने में सरकार का पैसा खर्च हो, जो कि बचाया जा सकता है, यह कोई ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो जो हमारे मित्र ने टिप्पणी की वह शायद ऐडमिनिस्ट्रेशन के अनुभव से जरा दूर रहने के कारण की।

जो अभी कहा गया प्लान्टेशन के बारे में, मैं यह नहीं मानता कि सारे प्लान्टेशन में लूटमार है। हो सकता है कि दो, चार जगह गड़बड़ हुई हो, परन्तु अधिकांश में नहीं। क्योंकि जब

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

इतने बड़े सूबे का प्रशासन हाथ में लोगे तो २, ४ जगह की गड़बड़ी पर सारे प्रशासन को गड़बड़ नहीं कहा जा सकता है । प्लान्टेशन इस प्रान्त में हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है । यह हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हो, उस की जांच होनी चाहिये ।

एक, दो सुझाव मैं देना चाहता हूं । साधारणतः मैं देख रहा हूं कि लोगों के मन में यह भाव खड़ा हो गया कि वन में यह करो, वह करो । परन्तु वन में जो वास्तव में प्रकृति ने किया है उसके बारे में किसी को विचार नहीं है । साधारणतः यह अनुभव आया है कि १ एकड़ भूमि में जितना खाद्य पदार्थ निकलता है उसके का ४, ५ गुना खाद्य एक एकड़ में वन में पशुओं से भोजन मिल सकता है । तो यह जो प्रिजर्वेशन की चीज है, प्रीजरवेशन और उसकी नस्ल को बढ़ाना इस ओर अभी जितना हमारा ध्यान जाना चाहिये उतना नहीं गया । मेरे पास इतना समय नहीं जो पूरे आर्गूमेन्ट दे सकूं, परन्तु चौधरी साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसे और देशों में वाइल्ड लाइफ प्रीजरवेशन और नेशनल पार्क सर्विस है वैसी ही हमारे यहां भी होनी चाहिये । हमारे डी० एफ० ओज लकड़ी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, परन्तु पशु जगत् का जो ज्ञान चाहिये वह नहीं है और उस के अभाव से आज आप इस का न प्रिजरवेशन कर सकते हैं और न इस की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं । इसलिये इस के लिये सर्विस स्टेट का निर्माण करें । वन विभाग में और फौर दी सम वर्क सेम पे होनी चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि अगर एक आदमी वाइल्ड लाइफ में आ गया तो जिन्दगी भर ३५० पर ही लटका रह गया । एक आदमी जब उतना ही काम करता है, अगर वह डायरेक्टर आफ नेशनल पार्क है तो उस का भी ग्रेड डी० एफ० ओ० या कन्जरवेटर के समान होना चाहिये और उसे भी बढ़ने का पूर्ण अवसर होना चाहिये ।

एक बात और मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, कई जिलों में, मैं सब का नाम तो नहीं लेता, और जैसा माननीय रामचरण सिंह ने बताया, जो जंगल के अन्दर गांव हैं और उन गावों में रहने वाले लोगों को जो वर्षों से सुविधायें प्राप्त थीं उन को आप बन्द न करें अभी जैसा मुझे बताया गया खीरी में उन लोगों को यह अधिकार था कि जंगल में जब आग लगती थी तो वे उस को बुझाने के लिये जाते थे और उस की एवज में आप उन को पैसा न देकर चरागाह, घास आदि की सुविधा देते थे । मैं चाहूंगा कि इस को आप बन्द न करें । इसी तरह से गोरखपुर या गोंडा डिवीजन में भी जो लोगों को सुविधायें हैं उन को बन्द न करें और सरकार को चाहिये कि जो सुविधायें लोगों को प्राप्त थीं वे बन्द नहीं होनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों का भी कि हम लोग सब इस ओर ध्यान दें क्योंकि हमारी बहुत भारी संपदा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है । इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह नष्ट हो जायगी । सबसे बड़ा प्रमाण न वन विभाग के Officer and servants की कर्त्तव्य निष्ठा का यह है कि मध्य प्रदेश में हमारे यहां से चौगुना जंगल है लेकिन हम रिसोर्सेज में और आमदनी में उनसे आगे हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई है यह देख कर कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने वन विभाग के काम के प्रति अपनी संतुष्टि प्रकट की है । वन की हमारी अर्थ व्यवस्था से क्या जगह है उसके सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता वह सबको स्वीकार है और जब मैं कहता हूं कि सबको स्वीकार है तो एक प्रकार से गलत ही कह रहा हूं क्योंकि मुझे यह कहना चाहिये कि जितने चिन्तनशील व्यक्ति हैं उनको स्वीकार है । वन विभाग को आम तौर से लोग यह समझते हैं कि यह गैर जरूरी चीज है । जहां वन खड़ा हुआ है उसे काट कर वहां खेती हो जाय और दरख्त काट कर वहां खेती की जाय और दरख्त काट कर इस कार्य के लिये जमीन का उपयोग कर लिया जाय तो ज्यादा इसमे लाभ होगा । इसलिये वन विभाग के मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ कंजरवेटर और वन के दूसरे कर्मचारियों पर बराबर चारों

ओर से यह मांग और दबाव रहता है कि यह जमीन फलां काम के लिये और यह जमीन फलां काम के लिये दे दी जाय क्योंकि जमीन खाली पड़ी हुई है । उसमें कोई वन नहीं लगता है अगर खेती हो जाय या अमुक काम हो जाय तो जनहित का ज्यादा सम्पादन होगा । लेकिन इन दरख्वास्तों को अगर वन विभाग के कर्मचारियों ने और जिम्मेदार लोगों ने एक बार स्वीकार करना शुरू कर दिया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि दस साल के अन्दर वन विभाग की आवश्यकता नहीं रहेगी। कारण यह है कि हमारे यहां जो भूमिहीन व्यक्ति हैं हमको उन्हें भी जमीन देनी है । वन काटकर भी उनकी पूरी जरूरत को हम पूरा नहीं कर सकते । इसके अलावा तकाजा यह है कि एक्स सर्विसमेन हैं । अभी लड़ाई हो रही है रिटायर होने के बाद उनकी औलाद को जमीन चाहिये जो पोलीटिकल सफरर्स हैं या डिसप्लेस्ड पर्सन्स हैं उनको जमीन अमुक काम के लिये चाहिये क्योंकि गवर्नमेन्ट ने उनकी जमीन ले ली थी । इस तरह से अनेक तकाजे हैं और जैसा अर्ज किया वन से सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ कर उन्हें इंकार करता है तो दूसरे लोगों के क्रोध का वह पात्र होता है और यह सब वन विभाग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को बरदाश्त करना पड़ता है। आनेवाली संतति को ध्यान में रख कर मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितने माननीय मित्र यहां बैठे हैं वे वन विभाग के मंत्री, सेक्रेटरी और चीफ कंजरवेटर की सहायता करें इस मामले में कि उन पर कोई दबाव न डालें और दबाव डालने वालों को समझायें कि वन को रखना नितान्त आवश्यक है। मैं तो वन की सम्पदा को अधिक मूल्यवान समझता हूं बनिस्बत कारखानों के, महलों के, जहाजों के और ताजमहलों के । अगर वन नहीं रहता है तो यहां की भूमि नहीं रहेगी, भूमि क्षरित हो जायगी, यहां पानी नहीं रहेगा, फसल नहीं होगी, मनुष्य नहीं रहेंगे जानवर नहीं रहेंगे । इसलिये जब कभी वह वन की भूमि की तरफ निगाह डालें तो अपनी कलम को रोक लें, अपने बोझ को मुझ पर न डालें कि हम तो तुम्हारी सिफारिश किये देते हैं, अब वन मंत्री का काम है, वह बुरे बनें । यह मैं वन मंत्री की हैसियत से कहता हूं, निजी हैसियत से नहीं कहता हूं । कल को तो मैं वन मंत्री नहीं रहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जैसा कि हमारे मित्र गुलाबसिंह जी ने कहा कि फलां जगह जमीन खाली पड़ी हुई है उसको आप फलां काम के लिये दे दीजिये शायद हार्टीकल्चर के लिये कह रहे हों। तो मैं इस सम्बन्ध में हमारे डाक्टर परमार, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका जो पत्र आया है माननीया सुचेता जी के पास उसका जिक्र करना चाहता हूं । हिमाचल प्रदेश में हार्टीकल्चर सब से ज्यादा होता है । हजारों रुपये की आमदनी वहां के काश्तकारों को हो रही है । तो वे हमारे यहां का प्लान्टेशन देखने आये थे । उन्होंने पत्र लिखा है माननीय मुख्य मंत्री जी को कि यह जो वन के पेड़ काट कर फलदार पेड़ लगाने की स्कीम आपके यहां है यह गलत है, ऐसा हर्गिज न किया जाय । जो प्राइवेट किसानों की जमीन है उसमें हार्टीकल्चर को प्रोत्साहन दीजिये । आपका कहना यह है कि वह जमीन खाली पड़ी हुई है । लेकिन आज खाली पड़ी हुई है, कल को वहां वन लग सकता है। जिस जगह खेती हो सकती है वहां वन अवश्य लग सकता है । तो यह कहना कि आज जमीन खाली पड़ी है, इसे कृषि के लिये दे दो, तो थोड़ी सी जमीन को छोड़ कर जहां वन खड़ा है, सब जगह खेती हो सकती है । तो यह कोई दलील नहीं है । आज जहां वन नहीं है कल को वहां लग जायगा । आज हमारे पास पैसा नहीं है, कल को हमारे पास पैसा आ जायगा। आज पंजाब को छोड़ कर, सब जगह के मुकाबले में वन का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कम है । तो हमें वन का परसेंटेज बढ़ाना है न कि घटाना है । लेकिन चारों तरफ से तकाजा है कि घटाओ ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक मित्र ने कहा था, गालिबन मुन्नूसिंह जी ने कि रिजरवायर, सड़कें, बिल्डिंग वगैरह के लिये हम जमीन दे रहे हैं । इस तरह से तो आखिर में वन क्षेत्र रहेगा ही नहीं । उनकी बात बिलकुल ठीक है । मैंने पिछले आंकड़े जब से आजादी हुई है इकट्ठे किये तो मालूम हुआ कि तब से १९० वर्ग मील वन कट गया है, यानी १ लाख २१ हजार एकड़ जमीन से वन कट गया । आबादी बढ़ती जाती है । लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिये जरूरी है कि

[श्री चरणसिंह]

औद्योगीकरण हो । उसके लिये जरूरी है कि कच्चा माल हो । कच्चे माल के लिये एक बहुत बड़ा स्रोत हमारा वन है । तो एक तरफ तो हम लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर हम वन क्षेत्र कम करते हैं तो मैं उस पालिसी को क्या कहूं ? बस यही कहूंगा कि कल्पनारहित है । यह हमारी इंटीग्रेटेड थिंकिंग नहीं है । तो मैं फिर अपनी दरख्वास्त को दोहराऊंगा कि जब वन क्षेत्र लेने की बात हो तो दस बार सोचें फिर मंत्री का ध्यान उस ओर दिलायें । एक बात यह कही गयी कि प्लान्टेशन अनसक्सेसफुल रहा । उसका जवाब मेरे दोस्तों ने ही दे दिया है । सम्भव है कि कहीं प्लान्टेशन गलत हुआ हो, मान लीजिये ५० जगह प्लान्टेशन हुआ और दो जगह नाकामयाब रहा, जिसे शायद माननीय ऊदल सिंह जी ने देख लिया, तो उसी को देख कर जेनरलाइज कर देना कि सब प्लान्टेशन अनसक्सेसफुल रहा, उचित नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्लान्टेशन का जो टार्गेट था उस टार्गेट को केवल पूरा ही नहीं किया बल्कि उस टार्गेट को भी हम एक्सीड कर गये । जितना लक्ष्य था उससे अधिक प्लान्टेशन किया है और सक्सेसफुल प्लान्टेशन किया है । अगर प्लान्टेशन के सक्सेस पर ही वन विभाग की सफलता नापी जाय तो मैं यह कहूंगा कि जितने लोग बाहर से यहां आकर प्लान्टेशन को देखें हैं वे खुश होकर गये हैं और उन्होंने एप्रिसियेशन में चिट्ठियां लिखी हैं । रूमानिया के मंत्री यहां आये थे शायद रूमानिया में सबसे ज्यादा फारेस्ट एरिया है, उन्होंने भी वन विभाग की तारीफ में पत्र भेजा है, परमार साहब ने भी पत्र भेजा है और नेपाल के महाराजा ने भी एप्रिसियेशन में पत्र भेजा है । यूनियन गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर श्री सुब्रह्मण्यम और फारेस्ट के डिप्टी मिनिस्टर भी यहां आये और उन्होंने भी वन विभाग के सम्बन्ध में अपनी अच्छी राय दी है । दूसरे सूबों के भी मिनिस्टर्स आये और उन्होंने भी अपनी अच्छी राय दी है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्मती यह है कि एक चीज हमने देख ली और सब के लिये कह दिया । माननीय ऊदल जी इस समय मौजूद नहीं हैं, वे बड़े आवेश और जोश के साथ बोल रहे थे । मैंने उनसे पूछा कि कभी आप झांसी तशरीफ ले गये हैं, तो वे चकिया और उरई की बात कहने लगे । अगर झांसी में या कहीं और दो चार जगह प्लान्टेशन फैल्योर हो गया तो उसी को लेकर जेनरलाइज कर देना अन्याय होगा राज्य कर्मचारियों के साथ और जो लोग उसके लिये जिम्मेदार हैं उनके साथ ।

जहां तक उन्होंने यह कहा कि वे काश्तकार बेदखल हो गये, वे काश्तकार बेदखल हो गये, एक बार मैंने डी० एफ० ओ० को बुलाया । वहां के कोई कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री ईश्वर शरण या और कोई थे उन्होंने ३० बातें लिख कर भेजी थीं, मैंने उनको भी बुलाया और एक तारीख उसके लिये तय कर दी । उस दिन चीफ कंजरवेटर को भी बुलाया और एक-एक प्वाइंट पर उनसे बातचीत हुई । उस इलाके के जो एम० एल० ए० थे उनको भी बुलाया और दो दिन तक बातचीत करके उन सारे सवालों का जवाब डी० एफ० ओ० ने दे दिया और अपने जवाबों से उनको सन्तुष्ट कर दिया । यह कहा गया कि किसानों के साथ ज्यादती होती है । इसके लिये एफ० एस० ओ० का एप्वाइंटमेंट कर दिया गया है जो डिप्टी कलेक्टर के रैंक का होता है, और जो फारेस्ट तथा प्राइवेट व्यक्तियों के बीच कोई झगड़ा होने पर उसका फैसला करता है । अगर फैसले से किसी को एतराज होता था तो पहले उसकी अपील कमिश्नर को हुआ करती थी, लेकिन अब जो अमेंडमेन्ट हुआ है उसके अनुसार अब अपील डिस्ट्रिक्ट जज को हुआ करेगी । अब जनता के दिमाग में भी इससे सन्तोष होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला सही होता है ।

माननीय मुन्नूसिंह ने एक बात कही कि बोर्ड होना चाहिये । न मालूम किस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया, मैंने उस रिपोर्ट को अभी देखा नहीं है लेकिन उनका मतलब शायद यह था कि जो जमीन फारेस्ट के लिये या सार्वजनिक काम के लिये ली जाय उस मामले को बोर्ड ही तय करे । आपके इस सुझाव पर मैं विचार करूंगा । मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे डिपार्टमेन्ट वाले फारेस्ट डिपार्टमेन्ट वालों को यह मान कर चलते हैं कि वे बड़े ही नैरो माइंडेड हैं और उनका रिजिड ऐटिट्यूड है जिससे दरख्त काटने के वे बिलकुल खिलाफ हैं । मैं आपको

बतला दूं कि इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी जो बोर्ड सम्बन्धी सुझाव है उस पर हम विवाद करेंगे और जो रिपोर्ट है उस पर भी विचार करेंगे ।

यह कहा गया कि एलाटमेंट आर्डर जारी नहीं होता है, यह बात ठीक है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी । अब उसमें अस्थायी राज्य कर्मचारियों में कुछ असन्तोष था । ३ वर्ग के राज्य कर्मचारी, जिसमें असन्तोष था हमसे बात चीत करना चाहते थे । हमने उनको इस बात का मौका दिया और उनका डेपूटेशन हमसे मिला और उससे हमारी तीन दिन तक बातचीत हुई और मैं बातचीत के उपरान्त कम से कम इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह अब सन्तुष्ट हो गये हैं और अब उनमें कोई असन्तोष नहीं है । एक बात प्रमोशन के बारे में थी कि फारेस्ट सर्विस में जितना प्रतिशत प्रमोशन से जायेगा । यह सन् ६० में २५ परसेन्ट से फिक्स किया गया, उसके हिसाब से भी उनका स्थायीकरण नहीं हुआ तो मैंने उनका तजुर्बा प्राप्त किया । हमने पी० एस० सी० को स्थायीकरण करने के लिये लिखा, लेकिन दो साल तक वह किन्हीं कारणों से पड़ा रहा, लेकिन अब हो जायेगा । इसके बारे में कि ३३ प्रतिशत प्रमोशन यदि हो जाये, तो हम हमदर्दी से इस पर विचार करेंगे ।

वाइल्ड लाइफ की जो देख-रेख करते हैं, उसका इन्ट्रीग्रेशन कर दिया गया है फारेस्ट के रेगुलर स्टाफ के साथ जो कि पहले अलग अलग थे, यह मैंने ही किया । लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह अलग हो जाना चाहिये और एक फुलफलेज्ड डिपार्टमेन्ट इसके लिये खोल दिया जाना चाहिये जैसा कि इसके लिये दूसरे स्थानों पर व्यवस्था है । कौन नहीं चाहता कि हमारे पास प्रत्येक कार्य के लिये विशेषज्ञ न हों और उनसे सम्पन्न केवल इसी कार्य के लिये एक अलग विभाग न हो । लेकिन हमारी इच्छाओं पर सीमा लग जाती है हमारे साधनों की कमी के कारण । कहां है वह रुपया जो हमें एक फुल फलेज्ड डिपार्टमेन्ट के लिये चाहिये ? माननीय यादवेन्द्र जी एक फारेस्ट में इन्ट्रेस्ट रखने वाले व्यक्ति की हैसियत से बोल रहे थे । अपोजीशन के एक जिम्मेदार आदमी हैं । बढ़ाने के लिये तो वह बतायेंगे, लेकिन बढ़ाने के लिये साधन कहां से आयेंगे यह नहीं वह बताते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा पहले भी कहा कि कहीं कांग्रेस पार्टी हार जाये और विरोधी पार्टी के भाइयों की एक बार गवर्नमेन्ट बन जायें, ताकि ऊंट एक बार पहाड़ की तलहटी में निकल जाये तो उसे असलियत मालूम पड़े । जब तक जिम्मेदारी नहीं आती है, तब तक गैर जिम्मेदारी की बात होती रहती है । लेकिन मुश्किल तो यह है कि आप लोग ६–६ मुखतलिफ पार्टियों में बंटे हुये हैं, लेकिन यदि एक में आप हो जायें, मिलकर चलें तो हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा । कांग्रेस पार्टी हार जाये, तो कोई देश की हानि होने वाली नहीं है । देश स्वतंत्र हो चुका है, सब देशप्रेमी लोग हैं । अब हम अपने आप तो हार नहीं सकते, तो आखिर क्या किया जाये ? तो आपकी योग्यता ऐसी हो, प्रोग्राम ऐसा हो, मेल ऐसा हो और परमात्मा करे तो आपका अनुभव हो जाये, तो ५ साल बाद फिर जब आप उधर बैठें तो जो हमें गैर जिम्मेदारी की बातें सुननी पड़ती हैं वह न सुननी पड़ें । एक सदस्य ने कहा कि सड़कें बढ़नी चाहिये, वह भी ठीक है, लेकिन रुपया कहां से आये ? गांव समाज को जमीन दी गयी है उनमें जो प्लान्टेशन किया गया है वह फेल हुआ है यह माननीय ऊदल जी ने कहा । मुझे मालूम नहीं कि वहां क्या हुआ । गांव वालों को सन् ५४ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से गांव समाज की जमीन फारेस्ट को यों दे दी गयी कि वह जमीन खुर्द बुर्द न हो जाय । गांव समाज मैनुअल में एक नियम यह था कि गैर मजरुआ जमीन के सारे रकबे के १० प्रतिशत तक जमीन किसी को उठाई न जाय और उससे जायद जमीन लगान पर उठा दी जाय । लेकिन जहां जमीन गैरमजरुआ ५० प्रतिशत से ज्यादा थी वह हमारे फारेस्ट डिपार्टमेन्ट को इसलिये दे दी गयी ताकि मुमकिन हो सके तो वृक्षारोपण किया जाय । वह नहीं हुआ । वह उनके पास मौजूद है । मैं विचार कर रहा हूं कि उस जमीन का क्या हो । लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर गांव समाज को सारी जमीन वापस कर दी जाय तो गांव सभा के सभापति और पंच लोग आमतौर पर अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उससे गवर्नमेन्ट की सम्पत्ति के खुर्द बुर्द हो जाने का अन्देशा है । बाकी मैं यह जानता हूं कि वह जमीन ऊसर है कुछ लगना मुमकिन नहीं ।

[श्री चरणसिंह]

अब रही फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में करप्शन की बात, तो उसका जवाब माननीय राजा साहब ने दिया । करप्शन होगा मैं इन्कार नहीं करता लेकिन कोई दोस्त जब करप्शन की बात कहते हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उस बात को कहने से पहले वह यह सोच लें कि क्या उन्होंने करप्शन की कोई मिसाल गवर्नमेन्ट की नोटिस में दी है और अगर नहीं लाते हैं तो उन सज्जन को करप्शन की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

चौधरी साहब, आप अपने विभाग की बात कह रहे हैं या सारे मंत्रिमंडल की ?

श्री चरणसिंह—

मैं तो मंत्रिमंडल की कह रहा हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तब तो मैं एक नहीं दसों गिना दूं । आप अपनी बात कहिये तो हमें कुछ नहीं कहना है ।

श्री चरणसिंह—

माननीय ऊदल जी ने कहा कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में जितना करप्शन है उसको कहना मुश्किल है । लेकिन उन्होंने उसकी एक भी मिसाल हमारे पास नहीं भेजी । अब समय नहीं है और मेरे दोस्त बलदेवसिंह जी को भी बोलना है इसलिये इन शब्दों के साथ मैं मित्रों से आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव किया गया है उसको मंजूर करें ।

*श्री मुन्नूसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं । विशेषकर के माननीय यादवेन्द्रसिंह जी का, उन्होंने कहा कि मुझको बहराइच जिले में माफी वगैरह मिलती रहती है इसलिये मैंने गोरखपुर की सिफारिश नहीं की है । लेकिन वह तो सरकार के पास ही है और उनको यह हक हासिल है कि वह हमारी सिफारिश सरकार से करें और उसमें से हमें भी दें जो हक उनको हासिल है । श्रीमन्, मैं तो चार साल से सरकार से कहता चला आ रहा हूं कि जो सुविधा किसी भी डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति को इस प्रदेश में दी जाय वही सबको मिलनी चाहिये । अगर मुझे कोई विशेष सुविधा दी गयी है और मेरे माननीय दोस्त को नहीं है तो मैं मंत्री जी से कहूं कि उनको भी वह मिलनी चाहिये । उनका यह कहना सही है कि गोरखपुर में माफी का तरीका नहीं है और इस पर जरूर पुनर्विचार होना चाहिये । मेरे मित्र मिर्जापुर के श्री रामप्यारे जी ने कहा था कि दुद्धी की सड़कों के निर्माण के बारे में मंत्री जी और विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिये । मेरे खयाल में वह बात बहुत संकुचित-सी हो जायगी लेकिन मैं सरकार को एक सुझाव दे दूं । दुद्धी ही नहीं, पी० डब्लू० डी० के मुकाबले में जंगल की सड़कें सस्ती बन जाती हैं इसलिये हर जगह प्लेन एरिया में न हो लेकिन वह सड़कें जो पहाड़ी एरिया में हैं जहां ब्रिक बैलेस्ट और स्टोन बैलेस्ट मिल सकता है वहां पर वन विभाग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । जो रिकरिंग एक्सपेंडीचर कच्ची सड़कों पर होता है, उसको बचाने के लिये एक दफा कंकरीट डलवा दें तो रिकरिंग एक्सपेंडीचर बहुत कम हो जायगा और वह आल वेदर के लिये हो जायेंगी । जैसा कमलासिंह जी ने कहा कि जानवरों की रक्षा के लिये एक अलग बन सुरक्षित कर दिया जाय जिससे वे सुरक्षित रहें । वैसे वाइल्ड लाइफ एनीमल के लिये आपने कुछ इलाका ऐसा सुरक्षित किया है पर यह देखा गया है कि वहां पर पानी की दिक्कत है । उसमें मैं आपको बतलाऊं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बी०आई०पीज० के लिये एक परमानेन्ट शूटिंग ब्लाक धौलखंड के नाम से है। वह ब्लाक अंग्रेजों के समय से बी०आइ०पीज० के लिये चला आता है। वहां पर पानी की कमी रहती है। जो केवल बी० आई० पीज के लिये रखा गया है उसमें जब गर्मी के मौसम में पानी नहीं रहता होगा तो वहां पर जानवर कैसे रहेंगे यह विचार करने की की बात है। इसी प्रकार से भिंगा क्षेत्र में मैंने देखा है कि गर्मी के मौसम में वहां पानी नहीं रहता है। वहां पर जानवर बहुत हैं। वे बेचारे पानी न रहने की वजह से बाहर जाकर मारे जाते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस स्थान का भी सर्वे होना चाहिये। वहां पर ट्यूबवेल है लेकिन वहां पर कोई चैनल नहीं है जिससे पानी दूर तक ल जाया जा सके। ऐसी दशा में वहां पर चैनल बनाकर पानी का इन्तजाम किया जाय जिससे जानवरों को पानी प्राप्त हो सके।

हमारे मित्र मुकन्दी लाल जी ने कहा कि लीसा पर संकट आ सकता है। ऐसा है कि पहले १० रुपये मन के हिसाब से लीसा फैक्टरी लेती थी और आज उसका भाव ३५ रुपया मन हो गया है। यह तय है कि पहले से अब उसका बहुत भाव बढ़ गया है। इस कारण यह हो सकता है कि उनके पास सरप्लस स्टाक हो और वे खरीदना बन्द कर दें तो लीसा पर संकट आ सकता है। तो सरकार को इसके लिये सावधान रहना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव में भाग लिया। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने प्रेस करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो आपत्ति उठाई उनका विस्तार से माननीय वन मंत्री ने जवाब दे दिया है। मैं समझता हूं कि बन मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे उनको सन्तोष हो गया होगा। अगर कोई बात बाकी रह गई हो तो वे उसके लिये सुझाव दे सकते हैं और उन सुझावों पर फिर विचार हो सकता है। मैं एक बात माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि आज हमार प्रदेश और देश में खाद्यान्न की कमी है। हमारा जो प्लान्टेशन का एरिया है, जहां पर वृक्षारोपण करते हैं वहां हम ५ साल से अन्न उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। एक एकड़ में हमने ३० मन के लगभग उगाया है। हमने पिछले वर्ष ४ लाख ५० हजार मन गल्ला पैदा किया है। यह काम हमने वृक्षारोपण क्षेत्र में बराबर किया है और करते रहे हैं। इस तरह से हमने अपने प्रदेश में अन्न के उत्पादन में भी बन क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया है। मैं अधिक न कह कर यह निवेदन करूंगा कि बन मंत्री जी काफी प्रकाश डाल चुके हैं और माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं या जो सुझाव दिये हैं सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी और उनसे लाभान्वित होगी। मैं माननीय सदस्यों को फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—वन के अन्तर्गत ६,०७,७९,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद जिले में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, १३७३ फसली में आम तौर से...

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इस वक्तव्य की प्रतिलिपि हमको मिलनी चाहिये। ऐसा ही होता रहा है। पिछले १५ सालों का हमारा अनुभव है कि किसी भी वक्तव्य की प्रतिलिपि हमको पहले दी जाती है।

मालमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

आज कापियां तैयार नहीं हैं। एक ही कापी है। अगर आप चाहें तो कल कापियां देने के बाद बयान दे दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इतनी भीषण स्थिति है। बयान आज ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है। बयान आज हो जायगा और कापियां कल वितरित हो जांयगी। (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि कापियां तैयार नहीं हैं। इसलिये या तो बयान आज हो जाय और कापियां कल दे दी जायं अथवा कल कापियां बंटने के बाद बयान हो जायगा। लेकिन जब आप इन्फार्मेशन मांगते हैं तो उसके लिये कापियां देना आवश्यक नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम तो यह रियायत बरतते थे कि आप को कापियां दे देते थे। आज इत्तफाक से कापियां तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहें तो कल कापियां दे सकता हूं। आप बयान आज स्थगित करवा दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बयान आज ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है। बयान आज हो जायगा और कापियां कल दे दी जायंगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप इसे कल के लिये ही स्थगित कर दें। कापियां मिल जाने के बाद तो हम लोग प्रश्न भी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है। यह कल के लिये स्थगित किया जाय। (किसी के आपत्ति न करने पर) तो ठीक है। यह कल के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप से निवेदन किया गया था कि इस पर बहस होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं हो सकती।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ९--सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १०--आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दो ग्रान्टस हैं। मैं दोनों को पेश किये देती हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले दो सालों से वार्षिक रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अनुदान प्रस्तुत होने के पहले बंटती रही है। इस वर्ष सरकार ने अभी तक हम लोगों को नहीं दी है। ऐसी हालत में कैसे यह संभव होगा कि हम इस अनुदान के विवाद में सही रूप से भाग ले सकें। श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जाहिर है कि वार्षिक रिपोर्ट तो जरूर वितरित हो जानी चाहिए, लेकिन....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष जी, आप दोनों पक्ष को खुश करने की कोशिश मत कीजिये। यह रूलिंग हो चुकी है कि सामान्य प्रशासन अथवा कोई अनुदान हो तो उसकी रिपोर्ट पहले सदन में वितरित होनी चाहिये उसके बाद बहस होने में आसानी होती है। लेकिन आप लीपापोती करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन उसकी वजह से ग्रांट नहीं रुक सकती। ग्रांट तो ठीक टाइम पर चलेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

हाउस की परम्परा रही है कि अनुदान के पहले माननीय सदस्यों को ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट मिल जाती है जिससे अनुदान पर वादविवाद में सहायता मिल जाय। तो कृपया मुख्य मंत्री से आप कह दें कि वह रिपोर्ट बटवा दें अनुदान पर बहस भी शुरू हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट तो मंगवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह रिपोर्ट तैयार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

रिपोर्ट कुछ बंट भी गयी है। अगर नहीं बंटी है तो बंट जायगी। अलग-अलग डिपार्टमेंट की अलग-अलग होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं आयी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

किस-किस को मिल चुकी है ? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बंट चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

सदन में मुख्य मंत्री ने यह कह कर कि रिपोर्ट बट गयी है, गलतबयानी की है। मैं इस पर प्रिविलेज का नोटिस देता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैंने कहा कि मेरे इंस्ट्रक्शंस थे डिपार्टमेंट वालों को बांट देने के। नहीं बटी है तो बट जानी चाहिए।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आप उसके पहले अनुदान पेश न करें, जब तक यंट न जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय की यह व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट अनुदान के समय हो चुकी है कि जितना भी साहित्य है वह सदन में बंट जाना चाहिए। या तो माननीय मुख्य मंत्री यह कहें कि वह नहीं छपवायी है, इकोनामी करनी है, तब तो ठीक है, हमें एतराज नहीं होना चाहिए। अगर छप गयी है तो बंट जानी चाहिये। जब तक रिपोर्ट न आ जाय सदन में, माननीय सदस्य न पढ़ लें तब तक यह ग्रांट पेश नहीं होनी चाहिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

यह भी प्रशासन की ढिलाई है कि आदेश हो चुके थे और आशा थी कि कुछ बट गयी होगी, लेकिन बटी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको चलने दीजिये, रिपोर्ट बट जायगी। बहस कीजिये और इस बात को भी क्रिटिसाइज कीजिये आप।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

गलती हो गयी है तो माननीय मुख्य मंत्री माफी मांगें सदन से और सदन माफी दे वरना पेनेलाइज करे। वह इसलिए यहां नहीं बैठी हुई हैं कि जो अपने मन से चाहें काम करते रहें। यह सामान्य प्रशासन है, इस मसले की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

आप मित्तल साहब से बात कर रहे हैं। श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा नियम अथवा संविधान का आर्टिकिल है जिसके अनुसार यह मांग की जा रही है कि जब तक रिपोर्ट पेश न हो जाय, ग्रान्ट पेश नहीं की जा सकती?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, इसकी एक परम्परा पड़ गयी है कि ग्रान्ट पेश होने से पूर्व संबंधित विभाग का साहित्य सभी माननीय सदस्यों को मिल जाया करता है। यदि कोई परम्परा पड़ गयी है तो उसका प्रभाव भी उतना ही होता है जितना कि किसी नियम आदि का होता है। विरोधी पक्ष के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से तथा इस दृष्टि से कि माननीय सदस्य कुछ रचनात्मक सुझाव बहस के दौरान दे सकें, यह परम्परा पड़ गई है और यह व्यवस्था सदैव रही है कि बजट पेश होने से पहले रिपोर्ट हमें मिलती रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कोई ऐसा कायदा बताइये कि जिसके आधार पर ग्रान्ट पेश ही नहीं हो सकती हो।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह जो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट बंटनी चाहिये यह सही बात है, मगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कहां बंटती है ? इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, पावर डिपार्टमेंट की तथा और डिपार्टमेंट्स की बंटती है। आज माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी है, कल सबेरे जो-जो रिपोर्ट नहीं बटी है वह बांट दी जायेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बात कही कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कब बटती है, बहुत दिनों की बात तो मैं नहीं जानता, १० वर्षों की बात जानता हूं, बजट से पहले सदैव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट मिली है और वह पिजिन होल्स में रखी जाती रही है या हमको मिल गयी है। इसी वर्ष देखिये कि पुलिस विभाग से संबंधित रिपोर्ट हमको होली की छुट्टियों के पहले मिल गयी। अब सेक्रेटरियट की गलती या अपात्रता के कारण ही यह हो सकता है कि इस बार वह नहीं बंटी है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने नियमों को पढ़ा और नियम में स्पष्ट यह दिया हुआ है कि " . . . इस प्रक्रिया में कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया जायेगा, न किसी प्रकार की बाधा ही डाली जायेगी और न उसके सम्बन्ध में कोई विलम्बकारी प्रस्ताव ही किया जायेगा "। यह श्रीमन्, मांगों पर मतदान के सम्बन्ध में नियम दिया हुआ है। आय-व्ययक के सम्बन्ध में श्रीमन्, और भी निश्चित नियम दिये हुये हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके अनुसार अनुदान न पेश हो सके। फिर विवाद की एक निश्चित सीमा बंधी हुई है और उसी सीमा के अन्दर विचार करना होता है। यह परम्परा जरूर रही है कि साहित्य बंटता है, मगर कोई नियम नहीं है। इसका कोई अधिकार हमें नहीं है कि जिनके आधार पर हम यह कह सकें कि यह अनुदान पेश न किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मान्यवर, माननीय रामायण राय जी की बात को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ओर तो वह कहते हैं कि यह परम्परा रही है, दूसरी ओर कहते हैं कि कोई नियम नहीं है। परम्परा यह रही है कि ग्रान्ट पेश होने से पहले सरकारी रिपोर्ट विभाग से संबंधित मिलती रही है। पारसाल तक सामान्य प्रशासन रिपोर्ट मिली है। स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी के जमाने से आज तक, श्रीमती सुचेता कृपालानी जी के जमाने को छोड़ कर, सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट मिलती रही है और यह जो श्री रामायण राय जी दलील दे रहे हैं यह निरर्थक है। यह लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं है। यह बात हो सकती है कि मुख्य सचिव तैयार न किये हों। इसकी सजा तो उनको दें। लेकिन यह बात सदन के सामने आनी चाहिये कि आखिरकार सामान्य प्रशासन की रिपोर्ट हमको क्यों नहीं दी गई। इसके लिये कुछ अधिकारी दोषी हो सकते हैं। उनको सजा देने के लिये माननीया मुख्य मंत्री क्या कहना चाहती हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर दो प्रश्न उठाये गये। एक प्रश्न तो यह है कि माननीया मुख्य मंत्री अपना अनुदान प्रस्तुत करें और बहस हो। दूसरा प्रश्न है कि यहां पर डिबेट के लिये साहित्य मिलना चाहिये। वे यह कह सकती हैं कि मुझे अफसोस है कि रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। लेकिन वे कहती हैं कि रिपोर्ट तैयार हो गई है और किसी कारण से बंट नहीं पाई। श्रीमन्, आपको याद होगा कि एक बार पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने अनुदान प्रस्तुत किया था तो उस समय भी

[श्री मेकराम शर्मा]

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिये थी। चूंकि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई थी इसलिये मिनिस्टर ने उसके लिये सदन में माफी मांगी थी। हमारी केवल एक मांग है कि जिन कर्मचारियों ने गलत काम किया है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री क्षमा मांगें और खेद प्रकट करें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सन् १९६२–६३ और सन् ६३–६४ में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स मिलीं और उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से खर्च हो रहा है यह नहीं मिल रहा है। अगर मुख्य मंत्री के नीचे जो मुख्य सचिव रहते है, उनके कारण गड़बड़ी हो रही है तो प्रान्त के सारे जिलों का प्रशासन कैसे होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात की सदन में घोषणा करें कि तमाम लोग जो इस गलती के लिये जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। या मुख्य मंत्री इस बात को स्वीकार करें कि यहां सामान्य प्रशासन है ही नहीं। जो इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाय तभी सारे प्रान्त में प्रशासन चल सकता है, नहीं तो नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को रिपोर्ट बंट जायेगी। किन्हीं कारणों से रुक गई है। इसके लिये जो आदमी जिम्मेदार हैं, उनको मैं जरूर सजा दूंगी।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,५५,९८,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९,९५,३०,५०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता था कि वे अपने भाषण म हम लोगों के दिल की बात को भी टटोलेंगी कि हम विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि बढ़ी हुई चार आना की मालगुजारी वापस लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हें बोलने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जब हमारी बात सुनने को तैयार हैं तो ये रामायणराय जी क्यों टोक रहे हैं। मैं श्रीमन्, यही कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री कृपया अपने भाषण में यह बतायें कि क्या वह चवन्नी मालगुजारी को वापस ले रही हैं, क्या भूमि भवन कर को वापस ले रही हैं और क्या माननीय गृह मंत्री, जिनके बारे में प्रदेश में बहुत नाराजी है, उनको उस पद से हटा रही हैं या उनके पद को बदल रही हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वह अपने भाषण में क्या कहे क्या न कहें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह मजबूर नहीं कर रहे हैं। वह तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने भाषण में वे इन बातों पर भी प्रकाश डाल दें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं इस समय माननीय सदस्यों को केवल इतना याद दिला देना चाहती हूं कि यह अनुदान सामान्य प्रशासन से संबंधित है। पैसा कैसे इकट्ठा किया जाय इसके लिये वित्त मंत्री अपने अनुदान के समय कुछ कहेंगे। वही बतायेंगे कि कौन कर लगाना है या कौन नहीं लगाना है।

आज बीच में मुझे रोक देने से बहुत सा समय भी निकल गया है और इस अनुदान पर कल तक बहस चलेगी तथा इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को भी बहुत सी बातें कहनी हैं तथा बहुत से मूल्यवान सुझाव भी देने हैं, इसलिये मैं चाहती हूं कि उनको इस विभाग की समालोचना करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, मैं इस समय ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगी। आप लोगों की समालोचना सुनने के बाद जो कुछ मुझे कहना होगा, कह दूंगी।

श्री उग्रसेन—

चार आना लगान माफ करो और गृह मंत्री को हटाओ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन और अनुदान संख्या १०—आयुक्तयों (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग की राशि को घटा कर एक-एक रुपया कर दिया जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर विवाद करने में संकोच हो रहा है। आपने स्वयं ही देखा कि उत्तर प्रदेश का शासन ऐसा अशोभनीय हो रहा है कि उसके कार्यकलापों का विवरण भी सदन को नहीं दिया जा सका। माननीया मुख्य मंत्री जी ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिये हमें अन्धकार में ही विवश होकर बहस करनी पड़ेगी। इसलिये उपाध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहूंगा यदि कहीं विषयान्तर की बात हो जाय।

मान्यवर, ऐसा अनुभव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का सामान्य प्रशासन आज चौपट हो गया है। माननीया मुख्य मंत्री जी अनुदान प्रस्तुत करते समय यदि कुछ विचार व्यक्त करतीं तो हमें उससे कुछ प्रकाश मिलता और यह भी जानकारी प्राप्त होती कि पिछले वर्ष में सरकार ने और विशेषकर माननीया मुख्य मंत्री जी ने अपने इस विभाग को सुधारने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये। किन्तु माननीया मुख्य मंत्री जी ने शायद व्यवस्था के प्रश्न के उठाये जाने से कुछ विचलित हो गयी, कुछ नाराज होकर इस विभाग के कार्यकलापों के बारे में अपने भाषण से हमें कुछ जानकारी नहीं करायी और हमें उससे वंचित कर दिया। मान्यवर, पिछले वर्षों में काफी प्रचार सरकार की तरफ से किया गया कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सुधारने के लिये, उसकी कार्यकुशलता के लिये, किफायतशारी के लिये बहुत से कदम उठाये गये हैं। लेकिन मुझे खेद है कि इस संबंध में भी कोई रिपोर्ट, कोई विवरण इस सदन के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार ने विभाग में कार्यकुशलता लाने के लिये, सरकारी मशीनरी को ठीक करने के लिये या सामान्य प्रशासन के व्यय में किफायतशारी करने के लिये कौन-कौन सी योजनायें बनाईं, उससे कितना लाभ हुआ और कितने रुपए की बचत की गई। इसकी भी

[श्री मैनेजरसिंह]

कोई जानकारी नहीं कराई गई। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उन्हें देखकर हमें खेद होता है। पिछले दस साल की दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में जहां सामाजिक (सोशल) और विकास संगठन (ओर्गेनाइजेशन) पर हमारा प्रशासनिक व्यय सन् ५५-५६ में २ करोड़ ९६ लाख के करीब था वहां वह १९६५-६६ में अब २ करोड़ ६१ लाख के ही लगभग रह गया है। इस तरह से इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है बल्कि कुछ कमी ही हो गई है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन के व्यय में इन २ पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में चौगुनी वृद्धि हो गई है। यह व्यय सन् ५५-५६ में २ करोड़ ७५ लाख २० हजार ७ सौ रुपया था वह आज ११ करोड़ ४१ लाख ४ हजार ६ सौ रुपए तक पहुंच गया है। हमें इसका खेद है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां सोशल और विकास संस्थाओं के व्यय में कमी हुई है वहां यह प्रशासनिक व्यय पिछले दस साल में इतना क्यों बढ़ाया गया है? आयुक्त और जिला प्रशासन के व्यय में चौगुनी वृद्धि कैसे हुई है? इससे क्या हम यह नतीजा निकालने में सही नहीं होंगे कि योजनाओं की अवधि में भी प्रशासन का खर्चा बढ़ा है। योजना के नाम पर जो यह इतना पैसा व्यय हो रहा है, उसका अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बड़ी पलटन पर, उनकी वेतन, भत्ते और सुविधाओं पर व्यय हो रहा है। मैं माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह हमारे आदरणीय श्री धीरेन्द्र भाई जी द्वारा लिखित यह छोटी सी पुस्तक "संकट की जिम्मेदारी किस पर" पढ़ें, वह उनके सहोदर भ्राता हैं और देश के माने हुए रचनात्मक कार्यकर्त्ता है। आदरणीय महात्मा गांधी जी के खादी संबंधी विचार की योजना के अनुसार संचालित करने का श्रेय देश के माननीय नेता आचार्य कृपालानी जी को है और उस कार्य क्रम को सफल बनाने का श्रेय इन्हीं तीन, चार महारथियों को प्राप्त हैं जिनमें हमारे श्री विचित्र भाई, माननीया मुख्य मंत्री जी के सहोदर भ्राता, धीरेन्द्र भाई, कपिल भाई आदि हैं, जिन्होंने महात्मा जी के स्वप्नों को चरितार्थ किया है। ऐसे त्यागी और विचारवान् पुरुष की लिखी हुई यह छोटी सी पुस्तक है। जिसमें उन्होंने बड़े कष्ट के साथ लिखा है कि इस स्वराज्य की मालिक जो आम जनता है उसे मिला क्या है? केवल एक वोट का अधिकार उसे मिला है और वोट देने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। वोट देने तक ही हम आप उसकी कद्र करते हैं और उसके बाद हमारे यह सरकारी अफसर और कर्मचारी उनके मालिक बन जाते हैं। सरकारी ढांचे में लेखपाल से लेकर कमिश्नर और ऊपर के अफसर स्वराज्य का जो मालिक, किसान और मजदूर हैं उसके यह मालिक बन जाते हैं।

धीरेन्द्र भाई ने इस पुस्तक में लिखा है कि वोट के दिन तो उसकी बड़ी पूछ होती है लेकिन बाद को वही स्वराज्य का अधिकारी जब कलेक्टर के यहां जाता है तो उनको झुककर सलाम करता है, और कहता है हुजूर सलाम। कलेक्टर साहब क्या कहते हैं। वे केवल सिर हिला देते हैं। यही नहीं, मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रशासन के ढांचे में जो अधिकारी वर्ग हैं वह यह चाहता है कि इस सदन के माननीय सदस्य उनको सलाम करें और कुछ सदस्य ऐसा करते भी हैं। आज तो उल्टी गंगा, इस प्रदेश में बह रही है। आज जो नौकर है वह मालिक बना हुआ है और जो मालिक है वह नौकर बना हुआ है। आज जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो पेट काट कर जमा किया जाता है, उससे राज्यपाल का, विधान सभा के माननीय सदस्यों का और इस मंत्री मंडल का खर्चा चलता है। उसी पेट के काटे हुए पैसे से आपकी नौकर शाही की बड़ी फौज का खर्चा चल रहा है। आपके ५ लाख सरकारी कर्मचारियों भी को जनता पेट काट कर खर्च देती है। आज जनता की दुर्दशा फिर भी असहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि १८ साल के प्रशासन में सरकार ने क्या किया? माननीय चौधरी चरण सिंह जी चले गये, वे ललकार कर कह रहे थे कि कोई उदाहरण भ्रष्टाचार का दिया जाय। उस पर तो मैं ज्यादा जिक्र करना नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय चरण सिंह जी इस बात को

बतायें कि क्या उन्होंने इन १८ सालों में इस प्रदेश के किसानों को, नागरिकों को स्वाभिमान से खड़ा होने लायक बनाया है? क्या आपकी देन है? क्या आपने किया है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अपने जिले में गये होंगे। आपको अपने क्षेत्र में जाने का अवसर होता होगा। आपके जो मालिक हैं, जिन्होंने आपको चुना है और जिनके बल पर आप यहां पर आये हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। जिनको वोट के लिये आप सलाम करते हैं वे लेखपाल और आपके सिपाहियों को प्रतिदिन सलाम करते हैं। यह हमारे प्रशासन का ढांचा है।

लोग कहते हैं कि नौकरशाही बढ़ती जाती है। लेकिन इसका दोष मैं उन्हें नहीं देता हूं। उनमें क्या हालत है? वे क्या करते हैं? हम स्वयं अपने कर्मों से मजबूर हैं, अपने कर्त्तव्यों से विवश हैं। आज हम नौकरशाही के इशारे पर चल रहे हैं। वे हमारी रीति, नीति और हमारे कार्यक्रमों को प्रभावित कर रहे हैं। यह राजनीतिक लोगों की कमजोरी है। केवल नौकरशाही को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है। नौकरशाही में भी कुछ अच्छे लोग हैं। इस आदरणीय सदन में भी एक से एक उपयुक्त आदमी हैं। ऐसे भी बहुत से अधिकारी हैं जो एक भी सरकारी कागज को अपने निजी काम में प्रयोग नहीं करते हैं और बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो खूब रिश्वतें लेते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति हर क्षेत्र में होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत से गलत लोग हैं। यहां पर भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं और केन्द्र में भी ऐसे व्यक्ति हैं। केन्द्र में माननीय पटनायक, टी० टी० कृष्णमचारी और श्री केशव देव जी ऐसे लोग हैं भ्रष्ट आई० सी० एस० नौकरशाही के सदृश ही हैं। जिस पार्टी का शासन देश में है उसी पार्टी के नेता ने साबित किया कि ये लोग भ्रष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में भी उसका असर है। हम राजनीतिक लोग यहां पर मांग करते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज जो प्रदेश की हालत है उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो सामान्य प्रशासन है वह चौपट हो गया है। यहां के मंत्रि परिषद् में भी एक राय नहीं होती है। हर समस्या पर हमेशा मंत्री परिषद् की दो तरह की राय होती हैं। वे इस प्रकार की राय यहां पर भी और बाहर भी प्रकट करते हैं। यह भी एक कारण है कि प्रदेश का सामान्य प्रशासन चौपट हो गया है। आज सरकारी अफसर भी पार्टी के गुटों में बंटे हुए हैं। आज यह कहा जाता है कि अमुक कलेक्टर अमुक नेता का आदमी है। आज इस प्रकार की आम बातें रास्ते में और चौपाल और चाय की दूकान में होती हैं। अफसर कहते हैं कि मैं क्या करूं फलां अफसर फलाने नेता से संबंधित है। आज जो शासक दल में गुटबाजी है उसका ही दुष्परिणाम है कि सामान्य प्रशासन चौपट हो गया है। हमारे अफसर राजनीति में रुचि लेने लगे हैं, राजनीतिक कार्यों में उनका इस्तेमाल हो रहा है। जो ईमानदार अफसर हैं, चरित्रवान है, जो अपने विवेक से काम करना चाहते हैं उनको आज काम करने नहीं दिया जा रहा है, फलस्वरूप ऐसे ईमानदार और कार्यकुशल अफसर का इनीशियेटिव उनकी प्रेरणा, समाप्त होती जा रही है। वे धीरे धीरे सोचने लगे हैं कि अब किसी प्रकार से नौकरी चलाओ और देश, समाज और न्याय की चिन्ता से काम चलने वाला नहीं है। यह दुर्दशा इस प्रशासन की है। मैं चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री जी जब इस विवाद में भाग लें तो इन सारी बातों पर हमें समझाने की कोशिश करें।

मान्यवर, मैं यह भी मानता हूं कि आज जो प्रशासन चौपट हो रहा है उसमें सरकारी पक्ष की आपस की गुटबाजी भी प्रमुख कारण है, साथ ही हमारे सदस्यगण की भी कम जिम्मेदारी नहीं है। आज हर अफसर के हाथ में कोई न कोई मिनिस्टर है तो एक दरोगा और कलेक्टर के हाथ में २, १ एम० एल० ए० हैं। इस हद तक प्रशासन चौपट हो गया है। कलेक्टर चाहे तो एम०एल० ए० से कोई बात यहां कहला सकता है। मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सचिवालय में बैठे हुए अधिक अवधि के अफसरों को हटाने की कोशिश की। मैं अनुभव करता हूं कि काफी उनको परेशानी उसमें उठानी पड़ी होगी क्योंकि वे अफसर काफी पायेदार थे, वे राजनीति में भी कुछ हाथ रखते थे। लेकिन उन्होंने उनको हटाया और उसके

[श्री मैनेजरसिंह]

लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। दो, एक और हैं उनको आप हटावें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस आदरणीय सदन को आश्वासन दिया था कि तीन साल का जो नियम है, उस पर सख्ती से अमल किया जायगा। लेकिन वह नहीं हो रहा है। आज एक अफसर का स्थानान्तरण होता है उसमें ऐप्रोचेज होते हैं, हर कर्मचारी के लिये हम लोग २, १ एम० एल० ए० खड़े हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह कांग्रेस पार्टी के लोग ही करते हैं, विरोधी लोगों का भी इस्तेमाल होता है। जब आप चाहते हैं कि प्रदेश का प्रशासन सुदृढ़ हो, उसमें सुधार हो, सुन्दर हो। तो जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार का जो हस्तक्षेप है मंत्रियों की तरफ से और माननीय सदस्यों की तरफ से, उस पर रोक लगनी चाहिये। एक निश्चित नियम बना करके नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिये यदि हम चाहते हैं कि ईमानदारी से प्रशासन में सुधार हो। मुझे एक साथी ने बताया कि जिलों में २५, २५ ऐसे राजपत्रित अधिकारी है जो तीन साल से अधिक अवधि के हैं।

तो मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सी कठिनाई है कि आप द्वारा घोषणा होने के बाद कि तीन साल के बाद ट्रांसफर जरूर होगा, आपने स्थानान्तरण क्यों नहीं किया? क्या आप पर दबाव पड़ रहा है? माननीय नवल किशोर जी इस पर बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह कारण है। जिस कारण की तरफ आप के दल के महामंत्री, श्री नवल किशोर जी ने वक्तव्य दिया था? उन्होंने कहा था कि माननीया मुख्य मंत्री जी का नेतृत्व ठोस नहीं है, वह दिखावटी नेतृत्व है। नेतृत्व तो है गुप्ता जी और त्रिपाठी जी के हाथ में। यह अखबारों में आया है, अगर गलत हो तो मैं वापस कर लूंगा और क्षमा भी मागूंगा। मैं आपकी तरफ से महामंत्री की बात कह रहा हूं। आपके ऊपर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, आप जिस बात की घोषणा कर चुकी हैं उसे पूरा नहीं करती हैं। आप हमारे देश के महान नेता, महात्मा गांधी के साथ काम कर चुकी हैं। मैंने कई जगह पढ़ा कि आपने कई बार महात्मा गांधी की राय के खिलाफ भी काम किया क्योंकि जो आप उचित समझती थीं उसे ही करती थीं। क्या कारण है कि शासन तंत्र में आने के बाद आपके हाथ पैर बंध गये और आप नियमों का पालन नहीं करा पा रही हैं? मुझे जाती अनुभव है कि जौनपुर के डी० एस० पी०, श्री शर्मा का स्थानान्तरण कई बार हुआ, लेकिन गृह मंत्री के हस्तक्षेप से बराबर रुक गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वह तो हो गया है।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं धन्यवाद देता हूं कि जौनपुर का उनसे पिन्ड छूट गया, लेकिन आप उनसे इस प्रदेश की जनता का भी पिन्ड छुड़ा दें। आज सब से ज्यादा हस्तक्षेप (इंटरफियरेंस) है चीफ सेक्रेटरी महोदय का। मैं इसे बुरा नहीं मानता, लेकिन माननीय सदस्यगण कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी महोदय का फूलों की तरफ बड़ा ध्यान है। हमारे एक साथी डाक्टर कृष्णदेव सिंह जी ने अभी हाल में ही मुझ से कहा कि आप विद्यालय पर आते तो पहले फूल और पौधे की ही बहुत देख रेख करते हैं। जितना वक्त इसमें लगाते हो उतना कालेज की व्यवस्था में लगाओ। मैंने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उस पर चिन्तन किया और सोचा कि हमारे मित्र की शंका सही है। मैंने यह तय किया कि अपनी गलती का सुधार करूंगा और विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान दूंगा। माननीया मुख्य मंत्री जी अपने मुख्य सचिव को हिदायत करेंगी कि गृह मंत्री के हस्तक्षेप से वह बचेंगे क्योंकि उससे प्रशासन चौपट हो गया है। जौनपुर में एक शिवशंकर बी० डी० ओ० थे वे निर्दोष फंसाये गये। उनके ऊपर मुअत्तली की कार्यवाही चल रही थी माननीय सामुदायिक विकास मंत्री और माननीया मुख्य मंत्री ने उनकी मुअत्तली की कार्यवाही स्थागित करने का आदेश दिया लेकिन गृह मंत्री ने स्वयं फोन करके चीफ सेक्रेटरी से मुअत्तल करा दिया। माननीय विकास मंत्री तथा मुख्य मंत्री के लिखने का कोई असर नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी जो इस प्रशासन के मुख्य अंग

हैं, मेनस्ट्रीच हैं उनका इस्तेमाल कोई दूसरा करेगा तो कैसे हमारा प्रशासन का ढांचा ठीक होगा ? उचित यही होगा कि उस हस्तक्षेप से इस प्रशासन को बचाया जाय। आप देखें कि एक गांव में एक कर्मचारी नहीं है। हिसाब आप लगायें, आज ५.५ लाख सरकारी कर्मचारी हैं इस प्रदेश में। हर गांव के हिस्से में ११ आते हैं। किन्तु एक गांव में एक कर्मचारी भी नहीं है। एक पंचायत सेक्रेटरी के जिम्मे ५–१० गांव हैं। एक पतरौल के जिम्मे २–३ गांव हैं। एक सुपरवाइजर के जिम्मे ३–४ गांव हैं। एक चौकीदार था, वह भी कहीं-कहीं ३–३, ४–४ गांवों में एक है। तो नीचे तो खोखला है और ऊपर शासन तंत्र बहुत बड़ा हो गया है। सेक्रेटेरियट में आकर तो और विशाल हो गया है। मुझे कुछ अन्दाज नहीं था। महंगाई भत्ते के सिलसिले में जब हमारे सचिवालय के कर्मचारी गेट पर खड़े होते थे तब मैं अनुभव करता था कि सरकार की कितनी बड़ी फौज है। माननीया मुख्य मंत्री इस पर विचार करें और कोई बहुत सख्त कदम उठायें या कोई ऐसी उच्चस्तरीय कमेटी बैठायें जो इस पर विचार करे और विचार कर के रिपोर्ट दे कि सारे ढांचे में आमूल परिवर्तन होना चाहिये।

हमारे कई माननीय देश के नेताओं का ऐसा खयाल है कि जो ढांचा बना हुआ है यह अंग्रेजी राज्य का बना हुआ है। यह शोषण के लिये है और शासन के लिये नहीं है। इसको बिना पूरी तरह परिवर्तित किये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको बिलकुल तोड़ मरोड़ कर नष्ट करना होगा और प्रशासन के ढांचे का नव निर्माण करना होगा। यदि इस प्रकार का कदम इस देश और प्रदेश में नहीं उठाया गया तो स्वराज्य की गंगा अफसरों और मंत्रियों की जटाओं में ही घूमती रहेगी, वह गांवों में जाने वाली नहीं है। मैं माननीया मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि मैं आपसे ही उम्मीद कर सकता हूं। यदि आप चाहें तो कर सकती हैं। एक साल की अवधि अभी बाकी है, इसमें चाहें तो कर दें। हमारे नेता लोग भी यह अनुभव करते हैं कि यह जर्जर ढांचा खराब हो चुका है। इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शेर कुछ दिन के लिये ही पालतू हो सकता है। हमारे राजा साहब की तरह कोई एक शौकीन शिकारी थे। वह जंगल से एक शेर का बच्चा पकड़ लाये। उन्होंने कहा यह बच्चा है, इसको मारेंगे नहीं। बच्चा सयाना हो गया। वह शिकारी उसको पुचकारा करते थे तो वह उनका हाथ चाटा करता था। एक दिन चाटते चाटते उनके हाथ से खून निकल आया तो शौकीन शिकारी ने अपना हाथ खींचना चाहा। झट से शेर ने पंजा दबाया और गुर्राया। जब खून उसके मुंह में लगा तो उसे याद आया कि इसके तो सारे शरीर में खून है और खून पीना तो उसका स्वभाव ही है। इस ढांचे को यदि आप पालना चाहें तो पाल कर ठीक नहीं कर सकते। यह व्यवस्था खराब है, इसको आप बदलिये।

एक बात की तरफ मैं और ध्यान ले जाना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन का आज जो ढांचा है, उसके कारण जनता का विश्वास आज सरकारी मशीनरी को प्राप्त नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री ने हाल ही में एक दिन इस आदरणीय सदन में कहा था कि सब से आवश्यक है विश्वास पैदा करने की, घृणा फैलाने से यह देश टूटेगा और देश के सामने संकट उपस्थित होगा। मान्यवर, यह सही बात है और आज यह बात प्रत्यक्ष रूप से देश के सामने है, जो कुछ आज बंगाल में हुआ है और हो रहा है, जो कुछ आज पंजाब में हुआ है और हो रहा है उसकी तरफ हमारा आपका सब का ध्यान जाना चाहिये। माननीय श्रम मंत्री जी ने आज एक वक्तव्य दिया राम गंगा प्रोजेक्ट कालागढ़ के संबंध में कि वहां झगड़ा क्यों हुआ ? माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि जिला अधिकारी सेना बुलाने की चेष्टा में थे लेकिन मेरे रोकने से वे रुक गये। अब आप सोचें कि अगर सेना बुला ली जाती तो कितनी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती। आज जो बंगाल व पंजाब में घटना हो रही है, दिल्ली जैसे केन्द्रीय स्थल पर जो घटना हो रही है क्या उन घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती थी और क्या इससे उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा हो जाती ? इस प्रदेश में भी कुछ लोग हैं जो यहां अराजकता पैदा करना चाहते हैं, आपकी सरकार में भी कुछ मंत्री हैं जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, आपके दल में भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि गड़बड़ी हो और सरकार बदनाम हो।

[श्री मैनेजरसिंह]

मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ कि आज जनता में क्षोभ पैदा हो रहा है और एक अविश्वास का सृजन सरकारी मशीनरी के खिलाफ हो रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। आज आपका जो लेखपाल है, पुलिस का सिपाही या दरोगा है, उनके व्यवहार का काफी असर जनता के ऊपर पड़ता है। अगर जनता उनसे पीड़ित होती है तो जनता के दिल व दिमाग में सरकार के प्रति नफरत पैदा होती है। इसलिये आज परम आवश्यक है कि जब देश में चारो तरफ संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उत्तर प्रदेश की जनता सन्तुष्ट रहे और इस प्रदेश में विश्वास का वातावरण हो। आपने कई बार विरोधी पक्ष के लोगों से सहयोग के लिये कहा है और आज भी अखबारों में मैंने देखा कि कल एक बैठक हुई थी जिसमें विरोधी पक्ष के नेतागण को बुलाया गया था और उसमें परस्पर सहयोग और विश्वास की बात हुई थी। उसमें मैंने देखा कि विरोधी पक्ष के नेताओं ने मुख्य मंत्री के सामने दो तीन बातें रखी थीं, जिनमें एक माननीय गृह मंत्री को हटाने वाली बात भी थी। उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अगर आप गृह मंत्री को न हटावें तो उससे हमारा तो लाभ ही होगा, आप उनको रखें। लेकिन मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से और खासकर अपने आदरणीय नेता, राजा साहब, जौनपुर से यह कहना चाहता हूं कि आप यह प्रयास करें कि माननीय गृह मंत्री सन् १९६७ तक अपने पद पर बने रहें। अगर वे सन् १९६७ तक अपने पद पर रहेंगे तो जौनपुर में कांग्रेस शून्य हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

आपको उसकी चिन्ता क्यों है ?

श्री मैनेजरसिंह—

मुझे चिन्ता इसलिये है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में विरोधी पक्ष की भी जिम्मेदारी है देश के संचालन में मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। लेकिन आज जो स्थिति है उस हालत में आप और बड़ोत्तरी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे कोई चिन्ता नहीं है, मैं तो अपने मित्रों से कहता हूं कि ५० बेगुनाह लोगों को मर जाने दीजिये, साल भर में ५०,१०० लोगों को सरकार द्वारा मारे जाने दीजिये, ५०–१०० बेगुनाह लोगों का कत्ल हो जाने दीजिये, डकैती पड़ जाने दीजिये और इसके लिये माननीय हरगोविन्द सिंह को साल भर तक बर्दाश्त कीजिये लेकिन सन् ६७ में कांग्रेस को जौनपुर में जरूर हरा दीजिये। जब सन् ६७ में जौनपुर में कांग्रेस हारेगी तब इनका दिमाग ठीक रहेगा, कांग्रेस नेताओं का दिमाग ठीक होगा, और माननीय नवलकिशोर जी जैसे पदाधिकारियों का दिमाग ठीक होगा।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

इधर से लोग उधर गये हैं, उधर से इधर नहीं आये हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

मान्यवर, माननीय जे० पी० मिश्र कहते हैं कि इधर से उधर लोग गये हैं, किन्तु उधर से इधर नहीं आये हैं, यह ठीक भी है क्योंकि उधर काफी लोग जे० पी० मिश्र जी जैसे हैं कि यदि वह इधर आएं तो उनके हथकड़ी लग जाएं।

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

इनको परेशानी यह है कि इनको कांग्रेस में आना है, इसलिये ये चाहते हैं कि जौनपुर म कांग्रेस मजबूत बने।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इसमें मैनेजरसिंह को कोई एतराज नहीं है।

(हंसी)

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

आपने क्या व्यवस्था दे दी कि उनको आपत्ति नहीं है इसमें ?

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय गृह मंत्री जी के विरुद्ध इतनी बातें कहीं गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने एक दिन तो गुस्से में फाइल फेंक दी थी। अब माननीय मुख्य मंत्री जी जानें। इन न्याय मंत्री और गृह मंत्री के रहने से देश में असन्तोष का वातावरण फैल रहा है। यदि आप का यही रवैया रहा तो आपको विरोधी पक्ष का सहयोग नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके ३५ मिनट हो चुके हैं, अभी आप कितना समय और लेंगे ? पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मैनेजरसिंह--

अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, पांच मिनट में क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, १० मिनट बोल लीजिये और फिर समाप्त कर दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि शासन के ऊपर का ढांचा ठीक हो। ऊपरी ढांचा जो है मंत्रि परिषद् यदि ठीक हो जाए, तो शासन ठीक हो सकता है। हमारे यहां की जो न्याय सम्बन्धी हालत है वह बहुत खराब है। वहां पर जो सरकारी वकील और आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये उनकी नियुक्ति में पक्षपात और ज्यादती बरती गयी। जैसे कि मुगलिया दरबार हो गया न्याय मंत्री का यह विभाग और यह दफ्तर। हमारे जिले में एक सरकारी वकील बहुत ईमानदार थे जिनको इधर और उधर के सभी बैठने वाले समान रूप से ईमानदार कहते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बेईमान सदस्य ने उसके लिये न्यायमंत्री से सिफारिश की।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आये दिन आज यह हालत हो गयी है कि हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है। डकैती और कत्ल की रिपोर्ट लिखाने में और कचहरी तक में रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव और जूडीशियरी को अलग-अलग कर दिया जाय। इस मांग को कांग्रेस पार्टी ने भी माना है, उसको अमली जामा पहनाने का प्रयत्न आवश्यक है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के मातहत पूरी तौर से जूडिशियरी को कर दिया जाय, ताकि जनता को सही न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और प्रशासनिक व्यय भी कम हो जाय। तीसरी बात मान्यवर, यह है कि आयुक्त का पद बिलकुल समाप्त

[श्री मैनेजरसिंह]

किया जाय । आये दिन सदन में मांग की जा रही है कि आयुक्त का पद व्यर्थ है, उसको समाप्त किया जाय । उसके उत्तर में कहा गया सरकारी पक्ष से कि नियोजन के काम में आयुक्त लोग सहयोग कर रहे हैं । क्या सहयोग हो रहा है, उनका विकास कार्यक्रम में ? यह केवल इंस्पेक्शन करते हैं । लेकिन सरकार को इंस्पेक्टरों की संख्या और इंस्पेक्शन की प्रवृत्ति खत्म करनी चाहिये । किफायतशारी में ऐसे कामों को पहले लेना चाहिये । जिले के प्रशासन को जो व्यय बढ़ता जा रहा है, उसको इस तरह से खत्म किया जाना चाहिये ।

पुराने जमाने का, अंग्रेजी राज्य की गुलामी का प्रतीक जो कलेक्टर का पद है, उसको भी समाप्त किया जाना चाहिये , ऐसा ताज खत्म किया जाना चाहिये । हमारे बहुत से आफिसर्स लालायित रहते हैं ऐसे पदों के लिये और इसके लिये सिफारिशें करते हैं कि उनको वह मिल जाय। जो ईमानदार और निष्पक्ष आफिसर्स है वह कलेक्टरी लेना पसन्द नहीं करते हैं लेकिन जो बुरे लोग हैं, उसमें जाने के लिये तिकड़में करते हैं । ऐसा क्यों है ? इस पर विचार होना चाहिये । यह इसलिये कि इसमें इतने ग्लैमर हैं, इतने मनमानी घरजानी करने का अधिकार उसमें है कि बुरे आफिसर लालायित रहते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन होना चाहिये । जब पंचायतें, क्षेत्र समितियां और जिला परिषदें आपने बनायीं तो उसी तरह से प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाने की जरूरत है । जिले के एस० डी० एम० हैं इनका पद समाप्त किया जाय । न्याय को अलग कर दिया जाय और वे उच्च न्यायालय के मातहत काम करें । विकास का जो काम है उसमें एस० डी० एम० को सिर्फ एक्जीक्यूटिव आफिसर बना दिया जाय । नायब तहसीलदार, कानूनगो और तहसीलदार की पलटन खत्म हो जाय तो गुलामी की असली निशानी खत्म हो । कृषि के और कोआपरेटिव के जिस प्रकार ए० डी० ओज हैं उसी प्रकार से माल विभाग का ए० डी० ओ० हर ब्लाक पर हो और कलेक्शन का काम ब्लाक के आधार पर किया जाय । ग्राम पंचायतों के द्वारा यह काम कराया जाय और उसमें हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिले ।

आज जिलों में वही जिला अधिकारी काम कर पाता है जो किसी न किसी गुट से मिलकर काम करता है और ईमानदार अधिकारी जिलों में रह नहीं पाता । इसी कारण जिला प्रशासन चौपट हो गया है । इसको सुदृढ कीजिये ।

एक बात मैं शीतकालीन दौरे के संबंध में कहूंगा । पहले रिवाज था अंग्रेजी जमाने में, अफसर बंगलों में रहते थे । अंग्रेज सरकार ने सोचा कि एक दो महीने के लिये उनको जाना चाहिये पिकनिक की तौर पर तफरीह के लिये और कुछ जन-सम्पर्क के लिये जाना चाहिये । लेकिन आज क्या होता है ? हमारी गांव सभायें हैं, क्षेत्र समितियां हैं, आप कलेक्टरों को हिदायत करें कि वे गांव पंचायतों की बैठकों में जायें । हमारे जिले में १८ विकास खन्ड हैं । कलेक्टर को हिदायत दीजिये कि विकास समितियों की बैठकों में जायें, पंचायतों की बैठकों में जायें । अब क्या होता है ? एस० डी० एम० और कलेक्टरों के शीतकालीन दौरे होते हैं । हजारों रुपये उन पर खर्च होते हैं और इसका बोझ लेखपाल पर जाता है। आज लोग शिकायत करते हैं कि पटवारी चार आना लेता था लेखपाल तो ५ रुपये और १० रुपये से कम में बात नहीं करता । अगर वह न ले तो क्या करे । क्या आपने कभी इस पर विचार किया ? उसको शीतकालीन दौरों के लिये पैसा जुटाना पड़ता है घर से लाकर अगर उसे करना हो तो लेखपालो करने क्यों आवे । वह पैसा लेता है और लेगा । इसलिये शीतकालीन दौरों की गुलामी जमाने की प्रथा समाप्त करें । आज ९९ फीसदी बी० डी० ओ० हैं जो नाईट हाल्ट फर्जी दिखलाते हैं, रात में गांव में नहीं रहते और टी० ए० लेते है । क्या आपने कभी इस पर विचार किया ? यह सही है हमारा ब्लाक प्रमुख टी० ए० लेता है, लेकिन ऊपर देखकर नीचे चलता है । इस प्रथा को समाप्त होना चाहिये । एक सबसे बड़ा रोग जो इस प्रशासन को लगा हुआ है वह सरकारी गाड़ियों का है । आप जहां भी जाइये, हर सड़क पर सरकारी गाड़ियों को ले लीजिये । एक बार निर्णय

हमारे माननीय गुप्त जी के जमाने में इस बारे में हुआ था कि इन सारी गाड़ियों को समाप्त किया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इन सारी गाड़ियों को ले लीजिये और जिन अधिकारियों को दौरा करना है वे चाहते हों तो उनको किस्त पर दे दें और उनको कुछ छूट दे दें।

सरकारी अफसरों को गाड़ी दी जाय और उनको गाड़ी खरीदने के लिये ऋण दिया जाय जिससे वे अपनी निजी गाड़ी खरीद सकें। सरकार उनको टी० ए० दे तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और सरकार का बहुत पैसा बचेगा। बहुत से अफसरों में जो यह होड़ होती है वह मिट जायगी। यह राज्यपाल महोदय का पद बहुत बड़ा पद है। इतना बड़ा बंगला उनके पास है जिसमें खेती हो रही है। इस सारी जमीन को लेकर गरीब किसानों को दी जाय। जो लखनऊ के आसपास गरीब किसान रहते हैं उनको एक एक एकड़ जमीन उसमें से दी जाय। वह किसान आकर मेहनत के साथ उसमें खेती करेंगे और अपने पेट भरेंगे और अपने परिवार का पेट भरेंगे। माल मंत्री जी के पास बहुत बड़ा अहाता उस बंगले का है। उसमें से भी एक-एक एकड़ किसानों को बांट दिया जाय तो वे आसानी से उसमें पैदावार कर सकते हैं। आप उनको खाद दें, पानी दें, तो वे बहुत उन्नति कर के उस जमीन से लाभ उठा सकते हैं। तो इस खर्चे में यह भी कटौती होनी चाहिये कि इस राज्यपाल महोदय के पद पर यह निरर्थक व्यय हो रहा है तो इसको समाप्त किया जाय। यह देश तो गरीब लोगों का है। तो गरीब लोगों के प्रतीक स्वरूप में उनका पद रहना चाहिये। उनके लिये एक झोपड़ी फूस की बनाई जाय और वे उसमें जाकर रहें तो देश की जनता का प्रेम और श्रद्धा उनमें और बढ़ेगी। यह उनकी कोठी जो है इसको सिविल अस्पताल को दे दीजिये और उनके लिये एक सुन्दर फूस की झोपड़ी बना दीजिये। वह उसमें जाकर रहें तो बहुत देश का लाभ होगा। उनको जनता से कोई खतरा नहीं है और न होना चाहिये। इतनी बड़ी जो उनको आपने फौज दे रखी है उसको समाप्त किया जाय। इससे बड़ी भारी किफायतशारी होगी और प्रदेश का लाभ होगा।

दूसरी बात मैं इस बजट में यह देखता हूं कि किफायतशारी की बात तो कही जाती है कि इतना पैसा बचाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पदों को स्थायी करके उसको पूरा कर दिया जाता है। इससे क्या किफायत होती है, यह समझ में नहीं आता। यदि सचिवालय में १०० पद समाप्त कर देते हैं और आप किफायतशारी करते हैं तो दूसरी तरफ इस बजट में १०० पदों को स्थायी कर दिया जाता है। तो इस तरह से किफायतशारी नहीं होती है। जब आप यह समझते हैं कि सचिवालय के अन्दर अधिक लोग हैं तो उनके पदों को समाप्त करने में दृढ़ता के साथ कटौती कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैनेजर सिंह जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और उनके साथ मेरी बड़ी सहानुभूति है लेकिन, श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को चौपट साबित करने में उन्होंने अपने भाषण को ही चौपट कर दिया। यह गलती उनसे इसलिये हुई कि माननीय मैनेजरसिंह ने मुख्य मंत्री जी के भाई की पुस्तिका पढ़ी थी लेकिन मुख्य मंत्री जी का प्रशासन इस समय कैसा चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, इसका अवलोकन करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैनेजर सिंह जी की राय में उत्तर प्रदेश का प्रशासन बिलकुल निकम्मा, अक्षम्य, अकर्मण्य और चौपट है। मैं माननीय मैनेजर सिंह जी का ध्यान आज देश की राजनैतिक स्थिति और राजनैतिक नक्शे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्व में जहां नागालैन्ड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, वह फेल हुआ और वहां सेना को बुलाना पड़ा। यही हालत बंगाल में हुई कि वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन असफल हुआ और वहां की व्यवस्था को दबाने के लिये सेना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

को बुलाना पड़ा। आज यदि आप पंजाब को भी देखें तो वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शांति स्थापित करने में असफल सिद्ध हो रहा है। दिल्ली में जहां पर कि केन्द्रीय सरकार है वहां पर भी आग लगी हुई है। अगर कुछ दिन पहले का चित्र आप देखें तो केरल में, आन्ध्र में, महाराष्ट्र में, बहुत जगह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन योग्य सिद्ध नहीं हो सका है और वह वहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है, वहां की जनता की असुविधाओं को दूर करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है। हिन्दुस्तान की एकता में जिनका भी विश्वास है और जो देश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं उनको यह देख कर गर्व का अनुभव होगा कि इस देश में केवल उत्तर प्रदेश का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रहा है जो कि सभी समस्याओं का अगर समाधान नहीं कर सका तो कम से कम उनको इस प्रकार व्यवस्थित अवश्य कर सका है कि जिससे यहां की शांति और व्यवस्था नष्ट नहीं हुई है। आज हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के लिये यदि आवश्यक समझा जाय तो मेरी समझ में केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है कि जहां का सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिये क्षम्य सिद्ध हुआ है कि यहां पर वह शांति और व्यवस्था को स्थापित कर सके और यहां इसके लिये कभी सेना आदि बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समस्याओं की कमी रही हो। जो समस्यायें हम पंजाब, बंगाल, केरल या महाराष्ट्र में देख रहे हैं वे हमारे प्रदेश में भी विद्यमान हैं। यहां भाषा के प्रश्न को ही ले लीजिये। अगर यहां विभिन्न भाषायें नहीं तो विभिन्न बोलियां और संस्कृति यहां रही ही हैं। बस्ती जिले की संस्कृति और पश्चिमी जिलों की संस्कृति में बड़ा अन्तर है। यहां के लोगों का आर्थिक स्तर भी भिन्न-भिन्न हैं। पश्चिम और पूर्व की बात मैं नहीं कहता, लेकिन यहां धनी और गरीब, मजदूर और मिल मालिक सभी वर्गों के लोग यहां हैं। सन् १९६२ में चीन ने जहां लद्दाख और आसाम में आक्रमण किया वहां उसके साथ ही उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा और चीनी सैनिक उत्तर प्रदेश की सीमा, बाराहोती, तक दिखायी पड़े थे। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो यह प्रदेश, जो पाकिस्तान को जन्म देने वाला था, उसमें भी सांप्रदायिक तत्व अलीगढ़ आदि में दिखायी पड़े। इसके अतिरिक्त अन्न के संबंध में यह प्रदेश कमी वाला प्रदेश रहा है। तो चाहे अन्न का प्रश्न हो, चाहे भाषा का प्रश्न हो या संस्कृति का प्रश्न हो, चाहे अन्तराष्ट्रीय दबाव का प्रश्न हो, जो भी प्रश्न आसाम और नागालैन्ड में, बंगाल और पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन को असफल सिद्ध करने में कामयाब रहे हैं, उन सब के होते हुए भी यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारा उत्तर प्रदेश का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन सब पर हावी रहा है। और हम यह गर्व के साथ कहना चाहते हैं और इसके लिये सरकार को और यहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहते हैं कि वह उन समस्याओं को यदि पूर्ण रूप से सफल करने में नहीं, तो कम से कम संजोने में सफल सिद्ध हुआ है और उसके कारण यहां कोई गड़बड़ नहीं होने पायी। एक आरोप लगाया जाता है और केवल विरोधी दल के द्वारा ही नहीं, वरन हमारे दल के कुछ विचारक लोगों के द्वारा भी, जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूं, कि वर्तमान मुख्य मंत्री के काल में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ा है, नौकरशाही मजबूत हुई है। माननीय उग्रसेन जी कह रहे हैं कि बात सही है। मैं चाहता हूं कि हम लोग यह समझें कि हमारी विधान सभा लोक तंत्र की एक बड़ी इकाई है और उसके सदस्यों को इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि लोकतंत्र में यह नौकरशाही की मजबूती और कमजोरी का अर्थ क्या होता है। नौकरशाही का अर्थ भारतीय संविधान की दृष्टि से क्या हो सकता है। क्या उत्तर प्रदेश का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन संविधान में दिये गये कर्त्तव्य और अधिकारों से ऊपर उठ कर कार्य करता है, या उसमें दिये गये जो कर्तव्य और अधिकार उसके हैं उनसे अधिक का वह उपभोग करता है और दूसरी संविधान में जो दी गयी इकाइयां है, जैसे कैबिनेट या विधान मंडल, वह अपने अधिकारों को उसके पक्ष में छोड़ती चली जा रही है? यह भी हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव अधिक बढ़ जाय। मैं आपके माध्यम

से, श्रीमन्, अपने आदरणीय मित्रों से यह बात कहना चाहता हूं कि क्या यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन सिवाय उन नीतियों के जो कि उत्तर प्रदेश का कैबिनेट या उत्तर प्रदेश का विधान मंडल निश्चित कर देता है, उनके इम्प्लीमेन्टेशन को छोड़कर उनसे अलग जाकर क्या अपनी नीतियां बनाता है अथवा अपनी नीतियां बनाना उसने शुरू कर दिया है? क्या बजट बनाना शुरू कया है ?, आर्थिक प्लान बनाना शुरु किया है ? कौन से संविधान के अन्दर हमारे अधिकारों को उन्होंने टेक-अप कर लिया है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं याद दिला दूं कि विधान सभा ने जो कानून पास किया यूनिवर्सिटी ऐक्ट, उसके खिलाफ गवर्नर ने आर्डिनेन्स जारी कर दिया ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं बहुत ही नम्रता से निवेदन करूंगा कि आर्डिनेन्स पास करना भारतीय संविधान में उतना ही लोकतंत्रीय है, जितना कि यहां कानून पास करना ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कामन मैन गुलाम हो गया है आज.....

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक वे खड़े रहें आप न बोलिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

लोकतंत्र में लिखित संविधान है कि जितने कार्य होते हैं जुडीशियरी करे, कार्यपालिका करे वह सब लोकतंत्रीय माने जाते हैं, यही परम्परा है । मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे अन्दर भी विचारक हैं जिनके दिमाग में यह प्रश्न उद्वेलित हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इस प्रदेश मे बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो केबिनेट और विधान मंडल को नीति निर्धारण करने, प्लान और बजट को बनाने का विधान है उसे क्या सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया है और जो भारतीय संविधान में आपकी पास की हुई नीतियों और बजट को इम्प्लीमेंट करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है क्या सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उस अपने काम को छोड़ दिया है । संविधान में सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन को कुछ उत्तरदायित्व दिया गया है, अगर उसका वह निर्भाव नहीं करते तो आपकी शिकायत ठीक थी । यह कि सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन का आज जनता पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है, यह बात स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के लोग कहें । आज और यह कहें कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जीवन के हर कदम पर भार पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उनकी बात मैं समझता हूं कुछ हद तक, क्योंकि वह लोग तो स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के पोषक हैं । लेकिन समाजवादी भाई और कम्युनिस्ट लोग और गोविन्द सहाय जी जो प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब विधान मंडल और संसद में बैठ कर हम स्टेट की पालसी बनाते हैं कि राजनीति, आर्थिक जीवन में और प्रदेश के विकास करने में अधिक से अधिक नियंत्रण हो तो क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा ? यदि हम प्रस्ताव पास करते हैं कि सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो क्या बस ओनर्स के व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ता और उनको हम अपने अधिकार में नहीं लेते ?

आज, जैसे हम प्रस्ताव पास करते हैं कि तीसरी योजना के लिये ६० करोड़ रुपया इनकमटैक्स से ले लिया जाय, तो जनता की जेबों से इसे अवश्य निकालना होगा और वह कार्य सिविल

[श्री कृष्णानन्द राय]

एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यात्रियों पर कर लगाना पड़ता है, ४ आने की लगान में भी वृद्धि करनी पड़ती है, और भी टैक्स लगाने पड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टेट ज्यों ज्यों अपने परों को फैलाती जाती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रदेश क्षेत्र में आना पड़ता है, जिन्दगी के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ता है। (व्यवधान)

मैं, श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा हूं जैसे जैसे स्टेट अपनी योजनाओं को बढ़ायेगी, अपने कार्यों को बढ़ायेगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी त्यों-त्यों विस्तृत होता जायेगा और वह कार्य सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना होगा, उसका मतलब यह कदापि नहीं होगा कि ब्योरोक्रेसी का प्रभाव बढ़ रहा है या वह हावी हो रही है। मैं तो श्रीमन्, यह कहूंगा कि सारी समस्याओं के होते हुये भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने कार्य में काफी सफल सिद्ध हुआ है। माननीय मैनेजर सिंह जी ने कोई आंकड़ा दिया, मगर वे यह भूल गये कि पहले बजट का आकड़ा क्या था। पहले बजट ३४ करोड़ का हुआ करता था, आज वह बढ़ कर ३०० करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश में अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरे बजट का खर्च देखें तो वह श्रीमन्, कुल बजट का १३ या १४ प्रतिशत आता है। और जो छोटे-छोटे प्रदेश हैं उनके मुकाबले में यह खर्च बहुत कम है। आन्ध्र, बाम्बे, माइसोर आदि छोटे छोटे प्रदेशों में कुल बजट का खर्च १७–१८ परसेंट है। उसको देखते हुये आपके यहां इस पर खर्चा बहुत कम पड़ता है। (व्यवधान)

मान्यवर, तीसरी योजना में, मैं समझता हूं, ५५० करोड़ का लक्ष्य पूरा किया गया और उसके अनुसार कार्य किया गया। इस प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार शान्ति व्यवस्था के साथ चल रहा है वह प्रशंसनीय है और उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। चौथी योजना जो कि हम १,४०० या १,५०० करोड़ के लगभग की बना रहे हैं उसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ही पूरा करना है। उन्हीं से हमें काम लेना है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

रिंग बांध अभी तक क्यों नहीं बना? क्या एफीशियेन्सी है!

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे आशा है माननीय सदस्य जहां इस विभाग की आलोचना करेंगे वहां इसकी क्षमता और इसके कार्यों की सराहना भी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं बड़े ध्यान से माननीय मित्र का भाषण सुन रहा था और दो बात समझ में आई कि उन्होंने प्रशासनिक कार्य पटुता का उदाहरण यह दिया कि जिस समय देश में सब तरफ आग लगी हो तो उत्तर प्रदेश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैं यह नहीं समझ पाया कि यह कार्य पटुता का उदाहरण कैसा। यह सबसे बड़ा उदाहरण तो गुड सेन्स जिसे कहते हैं वह इस प्रान्त की जनता की गुड सेन्स है और उस गुड सेन्स को आप अपनी सिविल सर्विसेज पर लगायें तो आश्चर्य है। मैं माननीय मित्र को एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहता हूं कि बी० एच० यू० का इंसीडेन्ट हुआ। उस दिन सारी पुलिस शहर से विदड्रा हो गई और उस समय दिन भर एक भी इन्सीडेन्ट

न तो ट्रैफिक के एक्सीडेन्ट का और न चोरी का इतनी बड़ी काशी नगरी में हुआ। इसका क्या कारण था ? तो यह जनता का स्वयं का सद्भावना है। यह उसका द्योतक है, वास्तव में। जनता के सद्भाव को हम प्रकाशन की ओर खींचने लगें यह गलत बात है। प्रशासन कितना ढीला और पैनिकी है इसका उदाहरण आपके सामने प्रश्न के समय में आया था। कालागढ़ में जो घटना हुई। कलेक्टर तथा अन्यत्र अन्यान्य अधिकारी तमाम फौज को बुलाने की तैयारी करने लगे। जब मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी पी० ए० सी० ही काम कर रही है तब वह फौज नहीं बुलाई। अब विचार करने की बात है उपाध्यक्ष महोदय, गड़बड़ हुई। मैं आगे बताऊंगा कि गड़बड़ी का कारण क्यों होता है। गड़बड़ बंगाल में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, पंजाब में गड़बड़ है। हमारे अधिकारी तमाम फौज बुलाने लगे। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि ये अधिकारी अपात्र हैं। किसी भी संकट का सामना करने के लिये जो अधिकारी घबड़ाया और घबड़ा कर, डर कर कोई जल्दबाजी में कदम उसने उठा लिया तो आप निश्चित मानें कि वह अधिकारी अपात्र है और यह अपात्र क्यों है। मैं यही संख्या तो दे नहीं सकता परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है यह अपात्र इसलिये है कि अधिकांश जिलाधीश अनकन्फर्मड लोग हैं।

एटा का मामला रोज उठता है। एटा के जिलाधीश पर स्पष्ट आरोप लगा है कि वह व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है। मैं जौनपुर का उदाहरण दे दूं कि जौनपुर की सुरक्षा में एक कमेटी बनी। अब मेरी समझ में नहीं आया कि कलेक्टर महोदय की सुरक्षा कमेटी खास थी और जनता की सुरक्षा कमेटी कोई दूसरी थी। सुरक्षा तो सबकी होती है। देश की सुरक्षा के लिये सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था इसके सम्बन्ध में। तो इस प्रकार की प्रशासनिक अपात्रता क्यों दिखाई देती है ? यह उसी का प्रमाण है कि अनकन्फर्मड लोग कलेक्टर बनते हैं और उसका गठबन्धन हो गया आज राजनीतिज्ञों से। आज जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है इस भ्रष्टाचार के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अयोग्य अधिकारी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, इनका गठबन्धन हो गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, होता यह है कि इलेक्शन आ रहा है। हर राजनीतिज्ञ चाहता है कि हमको कुछ जरा वोट मिले। हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि वोट मिलने का तराजू नौकरी दिलाना, परमिट दिलाना और लाइसेंस कोटा दिलाना, ट्रांसफर कराना, इत्यादि है। अगर कलेक्टर महोदय अनकन्फर्मड हैं तो यह मानव स्वभाव है कि जो आदमी नौकरी करने के लिये चला है वह अपनी तरक्की चाहेगा। वह क्यों चाहेगा कि वह नीचे जाय ? आज राजनैतिक हस्तक्षेप इतना जबरदस्त हो गया है कि अधिकारियों को डर लगा रहता है कि मिनिस्टर महोदय से अगर शिकायत कर दी तो उसका तो पत्ता ही गोल है और अगर एम० एल० ए० ने शिकायत कर दी तो कनन्फर्मेशन में गड़बड़ हो जायगा।

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि एटा में जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव के लिये कलेक्टर को लिखा है कि जल्दी करा दें। जल्दी के क्या मानें होते हैं ? क्या १० वर्ष या १०० वर्ष या १,००० वर्ष होते हैं ? दलगत संघर्ष है। अगर उपाध्यक्ष भी एक गुट का हो तो कहा जा सकता है कि चलो ठीक है। दूसरे गुट का अध्यक्ष हो जाय तो क्या होगा ? चुनाव केवल इसलिये नहीं हो रहा है कि डी० एम० अनकन्फर्मड है। इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप से जनता त्रस्त है। विद्रोह होता क्यों और कब है ? क्या विद्रोह कोई दियासलाई है कि किसी ने जलाया और आग भड़क गई ? विद्रोह तभी होता है जबकि साधारण जनता शासन के दुष्कर्मों से ऊब जाती है। उसके सामने और रास्ता जब नहीं रहता है तो वह विद्रोह करने पर उतारू होती है। आज उसकी कठिनाइयों और समस्याओं का और उसकी आकांक्षाओं का हल सरकार से नहीं होता है तब वह विद्रोह करने पर मजबूर हो जाती है। अखबारों में रोज पढ़ते हैं और यहीं काउन्सिल हाउस के सामने देखते हैं कि हजारों सरकारी कर्मचारी

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

डिमांस्ट्रेशन करते हैं। यह किस लिये ? यह क्या बताता है ? जब आप अपने कर्मचारियों को ही, जिनकी संख्या सीमित है, जिनकी कठिनाइयां और आकांक्षायें सीमित हैं, संतुष्ट नहीं रख सकते हैं, तो ये सब विद्रोह के लक्षण हैं। 'पे कमेटी' बैठाली आपने। उसमें आई०ए०एस० और आई०सी०एस० के लिये लूट मचा डाली। मानो सरकार का खजाना उनके लिये चरागाह हो गया। एनामली कमेटी बनाई, तो ऊपर से लीपा-पोती लेकिन नीचे से मामला साफ। यह क्या है ? जिस शासन वर्ग में यह पात्रता ही नहीं है कि अपने अस्त्रों को, कर्मचारी उसकी अस्त्र ही होते हैं, संतुष्ट रख सके, उस शासन की आप प्रशंसा करते हैं ? इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि जहां प्रशासन में इस तरह की असंतोष की भावना आई, शासन के प्रति इस तरह की उदासीनता की भावना आई, वहां जनता की समस्याओं को शासन हल नहीं कर सकता, जहां इन परिस्थितियों का समागम हुआ वहां क्रांति होकर रहती है।

मुझे आश्चर्य होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज इस राज्य में छोटी-छोटी बातों के लिये के लिये भी आन्दोलन करना पड़ता है। आप विधान सभा में वायदा करते हैं कि आपत्तिकालीन ४ आना रेवेन्यू बढ़ाते हैं लेकिन आज भी उसे वापस लेने के लिये तैयार नहीं हैं। पंच-तंत्र में स्पष्ट कहा है कि जैसे शरीर का सार श्वास है वैसे ही हुकूमत का सार वचन है। शासक वर्ग जो वचन दे उनको पूर्ण करना भी उसका उत्तरदायित्व है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रशासन बिलकुल ढीला हो गया है, विडम्बना मात्र है, ढोंग मात्र हो कर रह गया है। उस विडम्बना का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार ने भी इस बात को माना कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिये। लेकिन इनके द्वारा एक जुडीशियल आफीसर नियुक्त किया जाता है लेकिन उसकी डोरी कहां रख दी जाती है। उसके करेक्टर रोल में एन्ट्री छुट्टी और कारगुजारी सारी बातें कलेक्टर के हाथ में रख दी गयी हैं। यह क्या सेपरेशन हुआ ? मुझे एक ऐलीजावेथ की घटना याद आ गयी। हाउस आफ कामन्स में लोग बैठे और एलीजावेथ के विवाह के लिये मांग करने की बात तय हुयी थी। उनकी बात को ऐलीजावेथ ने सुन लिया और उन सबके भाषणों को सुनने के बाद वह बोली कि तुम लोगों को बकवास करने का अधिकार है, उस बकवास को कार्यरूप में परिणत करने का अधिकार नहीं है। (यू हैव राइट टू टाक बट नो राइट टू एक्ट)। यही आपकी बिडम्बना है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने नगरमहापालिकायें बनायीं, मेयर बनाये, डिप्टी मेयर बनाये लेकिन उन दोनों के ऊपर नगर प्रमुख को बैठा दिया गया। आप कांस्टीट्यूशन को बनाने वाले हैं। आप मंत्री, उप मंत्री सब बनाते लेकिन चीफ सेक्रेटरी के एप्वाइंटमेंट के बारे में यह रख देते कि वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जायगा, वही उसकी तरक्की कर सकेंगे और वही उसको डिमोट कर सकेंगे, तो फिर आप क्या रह गये ? आपका नौकर आपका मालिक बन गया। यही बिडम्बना नगर महापालिकाओं के साथ है। अगर यही बिडम्बना आप जारी रखेंगे तो जनता में आपके प्रति विश्वास उठ जायगा। आप लाख प्रयास करें लेकिन उससे आपको अपने प्रशासन में सहयोग मिलने वाला नहीं है। इसलिये यह बिडम्बना बन्द करो। छोटे बड़े कर्मचारियों को संतुष्ट करो। मैं यही बात बजट पर बोलते समय कह रहा था तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह लाजिकल फेलेंसी है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपका यह प्रशासन लाजिकल फेलेंसी है। आप तो केवल उस चन्द्रमा की तरह हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, किसी दूसरे का ही भाष्य कर रहा है। आप तो तभी सही कदम उठा सकते हैं जब आप समाज के दृष्टिकोण से सोचेंगे। लेकिन जब तक आप इस तरफ सोचते रहेंगे कि कहीं यह नाराज न हो जाय, कहीं वह नाराज न हो जाय, कहीं यह गुट कमजोर न हो जाय, तब तक प्रशासन आप ठीक से नहीं कर सकते। उसमें कोई शक्ति न होगी। नवाबों की बात सुनी जाती थी लेकिन आज पूरी नवाबी हालत हो रही है। आज ही इसी सदन में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया। पहले तो घोषणा की गयी कि ट्रान्सपोर्ट में इम्तहान होगा। फिर घोषणा

हुई कि इम्तहान कैंसिल हो गया, फिर से इम्तहान होगा। यह तो बिलकुल नवाबी हालत है। जहांपनाह की मर्जी में यह आया तो यह हो गया और उनकी मरजी में आया तो यह खत्म हो गया। अगर प्रशासन आपको करना है तो प्रशासन को दृढता से चलाओ, तभी चलेगा।

मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि लोगों को बिला लिहाज कार के परमिट दे दिये जाते हैं। किसी के पास एक गाड़ी है, अफसर होने के नाते हमने फियट कार का परमिट दिया और उन्होंने पिछले साल वाली गाड़ी को ८–१० हजार में बेच दिया। मैं चाहता हूं कि सरकारी कोटे की कारों की इंक्वायरी होनी चाहिये। वह उनको मिलना चाहिये कि जिनको आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता नहीं है और केवल मुनाफे के लिये लेते हैं उनको नहीं देना चाहिये। इस तरह से केवल रिप्लेसमेंट के लिये परमिट देना बिलकुल गलत है। मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें।

एक छोटा सा उदाहरण मैं और दूंगा। आज ही सदन के सामने एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट की बात आई। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह सबको मिल जायगी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने आज्ञा भी दी होगी लेकिन क्या आज्ञा देना ही काफी है? आपने अपने सेक्रेटरी को आज्ञा दे दी या पत्र लिख कर दिया तो क्या इस से ही काम हो गया? अगर उस आज्ञा का पालन न हुआ और उल्लंघन हुआ और वह काम पूरा न हुआ और वह रिपोर्ट न बटी तो फिर फायदा क्या हुआ। तो जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है उनको देखना चाहिये कि उनकी आज्ञाओं का कहां तक पालन होता है, दुर्लक्ष तो नहीं होता। कोई भय आपके अधिकारियों में है या नहीं है या वह स्वेच्छाचारी हो रहे हैं उनमें आपके प्रति सम्मान है या नहीं है। ऐसी चीजों से प्रशासन की कमजोरी जाहिर होती है जो प्रशासन में नहीं रहनी चाहिये।

मैं एक और उदाहरण दे कर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमारे जौनपुर जिले में एक डिप्टी कलेक्टर थे, उनका गाजीपुर तबादला हो गया था, वह हमारे यहां कचेहरी में एक बयान देने आये। वह कुछ ऐसी ही वेशभूषा में थे। इस पर जज महोदय ने कहा कि यह उचित नहीं है क्या व्याकुल भारत का जागृत स्वरूप। उन्होंने हंसकर कहा कि जरा ठीक वेशभूषा में आयें। इतने पर ही उन्होंने वहीं अदालत में न जाने क्या अन्ट शंट बका और जल्दी से बाहर निकलते निकलते गाली दे कर न जाने क्या-क्या बुरा भला कहने लगे। इस तरह से उन्होंने कन्टेम्ट आफ कोर्ट किया और वह पास में ही कलक्टर का बंगला था वहां जल्दी से औरतों के हिस्से में घुस गये। उन पर कन्टेम्ट का केस चला और फिर उसके बाद किस तरह से उस मामले की लीपापोती हुई! मैं यह नहीं कहता कि विभागों में अधिकारियों को काम करने के लिये सुविधायें न दी जायं लेकिन उनके अधिकारों का दुरुपयोग न होना चाहिये। इस तरह से गाजीपुर के डी० पी० ओ० ने बयान देने जाने पर हरकत की। इस तरह से प्रशासन का कंट्रोल जब चले तो कैसे काम चलेगा? इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन कमजोरियों की तरफ ध्यान देंगी और समय रहते शासन को मजबूत करेंगी।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये आपके सम्मुख हाजिर हूं। मैं माननीय विरोधी दल के नेताओं और सदस्यों का बड़ा आभार मानता हूं कि जितनी शक्ति और जितनी कार्यक्षमता संभव है सकती है उसका प्रदर्शन भी उन्होंने विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर बड़ा अच्छा परिचय उन्होने दिया। सामान्य प्रशासन का यह अनुदान है और आप करीब ढाई बजे से ५ बजे तक यहां रोज रहते हैं इस सदन में सभापति के आसन पर लेकिन आपने देखा कि माननीय विरोधी दल के सदस्यों के पास कोई ठोस या कांस्ट्रक्टिव

[श्री जे० पी० मिश्र]

सुझाव नहीं रहते और खोई रचनात्मक आलोचना भी उनके पास नहीं रहती। सब डल रहती हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इधर की बैन्चेज का या उधर की बैन्चेज का। अगर असंतोष है, उत्तर प्रदेश में तो उसके जिम्मेदार श्रीमान्, आप हैं, मैं हूं और यह सरकार है। अगर संतोष है तो छोटी दुर्बीन से काम नहीं चलने वाला है। मैं आपकी आंखों में बड़ी दुर्बीन लगाना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन को देखने के लिये एक लम्बी टैलिस्कोप चाहिये। उनके पास एक छोटी सी घटी है जिसको अपनी आंख पर लगाये हुये हैं। आप देखें सामान्य प्रशासन की २–३ साल से क्या हालत है। पाकिस्तान की जंग आयी, लेकिन सामान्य शासन में कहीं भी जुम्बिश नहीं खोयी। विरोधी पार्टियों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं हो पाये, न ही कोई आर्थिक उपद्रव हो पाये, न कोई सामाजिक और न कोई राजनीतिक उथल पुथल हुयी। कांग्रेस की नाव स्मुथली बहती गयी। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इससे ही अन्दाज हो जायगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के कितने मुआफिक है। इनका सारा आन्दोलन ४ वर्षों का फिजिल आउट हो गया है। उसमें कोई दम बाकी नहीं रह गया है। यह आप विश्वास रखिये कि अगर प्रदेश की जनता संतुष्ट है तो वह कांग्रेस से ही संतुष्ट है और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जितने पक्के समाजवादी थे वे सब इस तरफ बैठे हैं और जो नकली ५–६ समाजवादी बाकी हैं वे, और जन संघ माननीय दूबे जी की आड़ में इधर बैठे रह गये हैं। अगर दूबे जी की पार्टी उनका साथ न दे तो माननीय उग्रसेन आदि भी साथ में हो जायें।

मैं अपनी सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि वे आवाड़ी से जयपुर तक के जितने सिद्धान्तवादी प्रस्ताव हैं, उन पर अगर विचार करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश में अशान्ति होने का कोई कारण नहीं है और सामान्य प्रशासन में किसी किस्म की कमजोरी आना असंभव है। मुझे यह भी निवेदन करना है कि सामान्य प्रशासन में अड़चनें उसी वक्त हो सकती हैं जब कि गरीब जनता की तरफ से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान हट जाय। यदि आज उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूर जिन्दा हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक नहीं २०० जन संघ और एस० एस० पी० पार्टियां बन जायं परन्तु कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार की उत्तेजना, अड़चन, बरगलाना और बहकाया नहीं जा सकता है। यदि आज हमारे मजदूरों में शान्ति है, तो प्रदेश के शासन में किसी किस्म की कमी नहीं आ सकती है और यह सुचारु रूप से चलता रहेगा। अगर किसानों में संतोष है, वे कांग्रेस पार्टी के सिद्धान्तों से संतुष्ट हैं तो माननीय यादवेन्द्रदत्त जी की पार्टी इस सरकार का बाल बांका नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार से जनता और तमाम विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आशा करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन का नेतृत्व करने वाली माननीय सुचेता कृपालानी आज प्रदेश में मजदूर शान्ति का बीड़ा जरूर अपने सामने रख लेंगी और माननीय राजस्व मंत्री इस पर विचार करेंगी कि किसान को क्या दिक्कतें हैं और क्या उनकी जरूरतें हैं। उन्हें दूर किया जाना चाहिये। बगावत हो सकती है, आन्दोलन हो सकते हैं, अड़चनें पैदा की जा सकती हैं, विरोधी दल के लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं; चुनाव का साल है।

मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर नीति सामान्य प्रशासन को बल देगी, किसान नीति सामान्य प्रशासन को बल देगी और नीचे के जो लो पेड हैं उनको क्या दिक्कतें हैं, उन पर भी गम्भीरतापूर्वक मुख्य मन्त्री की सरकार विचार करे। कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों पर कांग्रेस पार्टी और सरकार मजबूती से अपना कदम उठा कर आगे चलेगी तो कोई कारण नहीं है कि सामान्य प्रशासन में कोई कमजोरी आए। और अगर आज अपने सिद्धांतों पर मजबूती से कदम उठा लें तो उस कोने तक हम बैठे हुए मिलेंगे, कुछ किनारे की ८, १० सीट्स भले ही विरोधियों को मिलें।

सामान्य प्रशासन के सिलसिले में माननीय मैनेजर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि तहसील के वकील जो दलीलें देते हैं और अपना केस साबित नहीं कर पाते और आखिरी में हार कर अपने मुवक्किल को भी ले बैठते हैं और अपने पेशे को भी चोट करते हैं वही हाल, उसी तरीके से कटौती का प्रस्ताव माननीय मैनेजर सिंह ने इस सदन में पेश किया। और माननीय दुबे जी का जहां तक सम्बन्ध है, पंजाब और दिल्ली प्रान्त तो यह है नहीं, यह तो उत्तर प्रदेश है और इतना बड़ा प्रदेश है और उसकी सरकार का नेता भी कोई कमजोर नहीं है। माननीय मैनेजर सिंह ने मिसाल दी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर बयानों का असर नहीं पड़ता है। हमारे ऊपर असर पड़ता है फैसले का। यह प्रदेश जानता है कि माननीय सुचेता कृपालानी सर्वसम्मति से नेता चुनी गयीं। कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास न होता तो सर्वसम्मति से इस पार्टी का नेता चुना जाना बड़ा कठिन है। माननीय उग्रसेन जी आपका और मेरा तो आखिरी साल है, एक ही मतालबा है माननीय मैनेजर सिंह साहब का, उन का यह कहना है कि माननीय हरगोविन्द सिंह को बरखास्त कर दिया जाय। माननीय हरगोविन्द सिंह को चुनाव के दर्शन नहीं करने हैं दो साल तक और जौनपुर में दुबे जी परेशान हैं कि कैसे हरगोविन्द सिंह जी को लिकुइडेट किया जाय। नेता सदन ने ऐसे आदमी को गृह मन्त्री चुन कर रखा है जिसको हटाना मुश्किल है। मैं यदि मांग करने लगूं कि डाक्टर अहमद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उनको बरखास्त कर दिया जाय तो यह मेरी अनधिकार चेष्टा होगी। इसी तरह से आपको भी अधिकार धेले भर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का फैसला उसके नेता करेंगे। आप उस में बुसड़ पंथी करने वाले कौन हैं? मेरा दावा है कि कांग्रेस पार्टी ६७ में आई, ७२ में आई और ७७ में भी लिकुइडेट होने वाली नहीं है और १५ वर्ष की मैं कह सकता हूं उसे कोई हटाने वाला नहीं है। किसी को सोने की लंका और सोने का मृग दिखाई देता हो तो दूसरी बात है।

मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से आखिरी निवेदन यह करना चाहता हूं कि समाजवादी सिद्धांतों पर विचार करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी की मीटिंग अवश्य बुलाइए और सब बैठ कर विचार करें कि मजदूर तथा किसान संबंधी नीतियों में उसे क्या परिवर्तन करने हैं। आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगी।

एक सुझाव यह भी देना है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी तथा विरोधी दल के सम्मानित सदस्य क्या कहते हैं, इसके लिए मुख्य मन्त्री अपने सेक्रेटरीयट को आदेश दें कि सम्बन्धित सदस्यों को बुला कर उस बात के सम्बन्ध में पूछा जाया करे और इस प्रकार एक हृदय परिवर्तन की भावना इस प्रदेश में थोड़ी सी पैदा होनी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कतें सदस्यों की सुनी जाया करें तो कुछ अड़चनें जनता की दूर होंगी। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह की मोहब्बत का उन्होंने प्रदर्शन किया है वैसा वह ३० अप्रैल तक करते रहें। उसके बाद आराम से घर जायें और फिर ६७ में लौट कर वे आने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः

१६ मार्च, १९६६ ई०।

नत्थी 'क'

[देखिये ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०२ पर]

स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर, की मोटर गाड़ियों की मरम्मत के सम्बन्ध में विवरण।

पहली गाड़ी के खराब होने की सूचना १६-११-१९६५ को मिलने पर उसका निरीक्षण करवाया गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने २२६२:१५ रुपए में इसकी मरम्मत का एस्टीमेट १५-१-६६ को स्वीकार किया और जिला परिवार नियोजन अधिकारी फतेहपुर ने गाड़ी को मेसर्स स्टैन्डर्ड गैरिज, कानपुर को मरम्मत के लिए दे दिया। गैरिज में गाड़ी के खुलने पर कुछ और खराबियां मालूम पड़ी जिन के सम्बन्ध में फर्म ने ३५२ रु० ३० पैसे का पूरक तखमीना भेजा, जिस को स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने २३-२-६६ को स्वीकार कर दिया। आशा की जाती है कि गाड़ी शीघ्र ही मरम्मत के बाद वापस आ जावेगी।

दूसरी गाड़ी १५-५-६३ को मेसर्स यूनाइटेड मोटर्स, कानपुर, को मरम्मत के लिए दी गयी था। इस गाड़ी की पहले भी कई बार मरम्मत की जा चुकी थी। उन मरम्मतों का पूरा ब्योरा जानना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी में काफी समय लग गया। इस की मरम्मत के लिए भिन्न-भिन्न फर्मों से कुटेशन्स लेने में भी काफी समय लगा। अब मेसर्स यूनाइटेड मोटर्स को २,७४१ रु० ८० पैसे में इसकी मरम्मत का तखमीना स्वीकार करके दे दिया गया है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

तालिका 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०८–७०९ पर]

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश, में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पद तथा उनकी संख्या

क्रम-सं०	नाम पद	संख्या
१	अधीक्षक	१
२	सहायक लेखाधिकारी	१
३	प्रबन्धक	रिक्त
४	सहायक प्रबन्धक	१
५	चिकित्साधिकारी	५
६	मेकैनिक-कम-इलेक्ट्रिशियन	१
७	प्रधान लिपिक	१
८	एकाउन्टेन्ट-कम-स्टेटीशियन	१
९	स्टनोग्राफर	१
१०	सीनियर नोटर ड्राफ्टर	२
११	कैशियर	१
१२	लिपिक	४
१३	टाइपिस्ट	१
१४	क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट	१
१५	रेलवे लिपिक	१
१६	लेजर कीपर	२
१७	बीजक लिपिक	२
१८	गोडाउन कीपर	२
१९	स्टोर कीपर	४
२०	फार्मेस्यूटिकल असिस्टेन्ट	६
२१	केयर टेकर	रिक्त
२२	फारमेस्यूटिकल केमिस्ट	रिक्त
२३	जूनियर केमिस्ट	रिक्त
२४	लेबोरेटरी असिस्टेन्ट	२
२५	दफ्तरी	१
२६	पैकर	८

विधान सभा

क्रम-सं०	नाम पद	संख्या
२७	चपरासी	३
२८	सार्टर	४
२९	अर्दली	२
३०	वाटर मैन फर्राश	१
३१	लेबोरेटरी बेयरर	१
३२	लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट	१
३३	चौकीदार	३
३४	गेट कीपर	२
३५	श्रमिक	४०
३६	ठेला मजदूर	२
३७	स्वीपर	रिक्त
३८	मशीन मैन	१
३९	बढ़ई	१
४०	दैनिक वेतन भोगी श्रमिक	८३
	योग ..	१९३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

तालिका 'ख'

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, में उन कर्मचारियों की सूची जो स्थायी हैं

क्रम-संख्या	नाम	पद	सेवा काल वर्ष मास	स्थायीकरण की तिथि
१	श्री सारदा चरण शुक्ल	प्रबन्धक	२१–४	१६–२–५३
२	श्री बी० पी० जैन	सहायक प्रबन्धक ..	१०–२	१–६–६२
३	श्री महाबीर प्रसाद द्विवेदी।	चिकित्सा अधिकारी	१२–५	२९–१०–५४
४	श्री जगदीश प्रसाद सिंह शास्त्री	,,	१६–३	८–१२–५०
५	श्री एस० जेड० आरिफ	फारमेस्यूटिकल केमिस्ट ..	१३–४	३–११–५३
६	श्री बनारसी लाल शर्मा	मेकैनिक-कम-इलेक्ट्रिशियन।	९–४	१–४–६५
७	श्री रमेश बिहारी सक्सेना	प्रधान लिपिक ..	१२–८	१–४–५८
८	श्री रामानन्द अवस्थी	सीनियर नोटर ड्राफ्टर	११–२	१–४–६४
९	श्री ओमदेव सिंह चौहान	कैशियर ..	१२–८	१–८–६३
१०	श्री हरिहर स्वरूप	लिपिक ..	१२–५	१–४–५७
११	श्री राम भरोसे मिश्रा	,,	१३–२	१–४–५८
१२	श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा	स्टोर-कीपर ..	१२–४	१९–१०–४९
१३	श्री छोटेलाल भट्ट	फारमेस्यूटिकल असिस्टेन्ट	१५–११	२२–९–५१
१४	श्री देवनारायण त्रिवेदी	,,	११–७	९–५–६३
१५	श्री गिरजादत्त गिल्डयाल	,,	१६–११	१–४–५७
१६	श्री त्रिभवन मिश्रा	,,	१२–१०	१–४–५७
१७	श्री शंकर सिंह	,,	१०–८	१–१२–६३
१८	श्री सी० डी० देवधर	लेबोरेटरी असिस्टेंट ..	११–१०	१७–१–६४
१९	श्री राम भजन पांडेय	पैकर ..	१६–२	१४–१२–५०
२०	श्री जितेन्द्र बहादुर लाल	,,	१६–२	१५–१२–५०
२१	श्री राम आसरे	अर्दली ..	२६–५	२५–११–४९
२२	श्री जगन्नाथ	अर्दली ..	१२–०	२१–१–६५
२३	श्री मान सिंह	चौकीदार ..	१६–२	१०–१२–५०
२४	श्री छोटेलाल	चपरासी ..	१२–८	१–१२–६४
२५	श्री अक्खन	,,	१०–२	७–१२–६४
२६	श्री दयाराम अवस्थी	श्रमिक ..	१३–१०	२४–४–५३
२७	श्री शीतला अवस्थी	,,	१५–१	२०–१–५२
२८	श्री भगवती प्रसाद	,,	१३–१०	२४–४–५३
२९	श्री त्रियुगी प्रसाद	,,	१६–२	६–१२–५०
३०	श्री राजा राम	,,	१६–२	१०–१२–५०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर)

भारत सेवक समाज, उत्तर प्रदेश, द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग जिन कार्यों एवं स्थानों पर किया गया उसकी सूची।

१—भारत सेवक समाज, वाराणसी, द्वारा—

(क) कछवा चुनार रोड पर कंकड़ इकट्ठा करने तथा १ मील में कन्सालिडेशन करने में,

(ख) कछवा-चुनार रोड पर १ मील तक मिट्टी-कार्य (earth work) सम्पन्न करने में।

(ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर क्वार्टर्स, वाराणसी, के निर्माण करने में।

(घ) नया-ग्रिट की पूर्ति जी० टी० रोड मील ४६१–४६६।

(ङ) कछवा क्रासिंग पर नया ग्रिट की पूर्ति।

(च) नगर महापालिका, वाराणसी को ससेन बेलास्टर (गिट्टी) की पूर्ति।

२—भारत सेवक समाज, देहरादून, द्वारा सिंचाई विभाग के यमुना वैली प्रोजेक्ट डाक पत्थर में निर्माण कार्य।

३—भारत सेवक समाज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, द्वारा (१९६४–६५) के ऋण द्वारा—

(क) निम्नलिखित मशीनें क्रय की गयीं—

(१) एक एसकोर्ट ट्रैक्टर आटोमेटिक हिप के साथ।

(२) दो टिपिंग ट्रेलर।

(ख) निम्नलिखित कन्सट्रक्शन इकाइयों को निम्न कार्यों हेतु धन का वितरण किया गया—

(१) जिला लखनऊ—गोमती नदी पर बांध निर्माण हेतु।

(२) जिला झांसी—

(क) सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के निवास हेतु सरकारी भवन का निर्माण।

(ख) मत्स्य विभाग के मछली फार्म का निर्माण माताटीला डैम पर।

(ग) प्रादेशिक कन्सट्रक्शन यूनिट द्वारा फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर, को हल्द्वानी ग्रैवेल (मिट्टी) के पूर्ति हेतु।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९–१० का उत्तर पीछे पृ० ७२५ पर)

सूची 'क'

विगत तीन वर्षों में जिन व्यक्तियों को पोस्ता बीड़ी का लाइसेंस दिया गया उनका विवरण।

	क्रम सं०	व्यक्ति जिसे लाइसेंस दिया गया	पिता का नाम	पता
	१	श्री मोतीलाल	श्री शिवनारायणलाल	नवाबगंज गाजीपुर
	२	श्री हरनाम सिंह	श्री अजीत सेठ	हैदरगढ़
	३	श्री जमना प्रसाद	श्री गया दीन	सादतगंज
	४	श्री शब्बीर अहमद	श्री अब्दुल गफूर	हैदरगढ़
	५	श्री इमैनविल राबर्टसन	श्री एफ० बी० स्टर्लिंग	बंकी
	६	श्री मोहम्मद यूसुफ	श्री बशीर अहमद	पीरबटावन
		श्री कुरबान अहमद	श्री खलील –हमद	पीरबटावन
	७	श्री मोहम्मद समी	श्री रज्जब अली	इचौली
	८	श्री अम्बर सरन	श्री मुकुन्दीलाल	हैदरगढ़
	९	श्री उमेश चन्द्र जैन	श्री अजित प्रसाद	टिकैतनगर
	१०	श्री मोहम्मद फारूक	श्री अब्दुल करीम	रसौली
	११	श्री मोहम्मद शमी	श्री मो० बशीर अहमद	रुदौली
१९६३-७४	१२	श्री बन्स बहादुर सिंह	श्री लालबहादुर सिंह	लिल्हौर
	१३	श्री मुशफीक हुसैन	श्री नियाज हुसैन	गढ़ी भिलवल
	१४	श्री हरि शंकर	श्री महादेव प्रसाद	हैदरगढ़
	१५	श्री श्रीराम	श्री किशोरीलाल	टिकैतनगर
	१६	श्री जमुनाप्रसाद कौशल	श्री गया दीन	सहादतगंज
	१७	श्री पुरुषोत्तमलाल	श्री रामलाल	चन्दवारा
	१८	श्री अतीकुर्रहमान	श्री शफीकुर्रहमान	रसूलपुर
१९६४–६५	१९	श्री जगरामदास	श्री गोकुलप्रसाद	मायंग (सुल्तानपुर
	२०	श्री मछूना स्टर्लिंग	श्री बी०आई० आर० स्टर्लिंग।	नवाबगंज
	२१	श्री रमेश चन्द्र	,,	सफदरगंज
	२२	श्री कन्हैयालाल	,,	हैदरगढ़
	२३	श्री अमरीश कुमार	,,	हैदरगढ़
	२४	श्री लाल चन्द जैसवाल	,,	टिकैतनगर
	२५	श्री राम चन्द्र	श्री गुर चरन	टिकैतनगर
	२६	सर्वश्री झुनझुनवाला ऐंड ब्रदर्स	,,	रुदौली
	२७	श्री फूल चन्द्र	,,	भिटरिया

क्रम-संख्या	व्यक्ति जिसे लाइसेंस दिया गया	पिता का नाम	पता
	२८—श्री शब्बीर अहमद ..	श्री मुन्नू ..	भिलवल
	श्री गनेश प्रसाद ..	श्री बिन्द्राप्रसाद ..	भिलवल
	२९—श्री गरीबउल्लाह ..	श्री खुदाबख्श ..	भिलवल
	श्री मंगरे ..	श्री मांग ..	भिलवल
	३०—श्री मोहम्मद फारूक ..	श्री मोहम्मद बख्श ..	सिद्धौर
	३१—श्री मोहम्मद इसहाक ..	श्री बशीर ..	पल्हरी
	३२—श्री करुणा शंकर ..	श्री रामभरोसे लाल	बंकी
	३३—श्री रतनचन्द्र जैन ..	श्री हजारीलाल ..	नवाबगंज
	३४—श्री बैजनाथ ..	श्री गुरमुख राम ..	सफदरगंज
	३५—श्री मोहम्मद बासित ..	श्री कादिर बख्श ..	रसौली
	३६—श्री जुबैर हसन ..	श्री बख्शीश हुसैन ..	रसौली
	३७—श्री मोहम्मद उमर ..	,,	भिलवल
	३८—श्री रामकुमार ..	श्री तुलसीराम ..	भिलवल
	३९—श्री मोहम्मद लतीफ ..	,,	नवाबगंज
	४०—श्री सालिकराम ..	श्री रामसरन ..	नवाबगंज
	४१—श्री राय राजेश्वर बली	,,	टिकैतनगर
	४२—श्री हरद्वार प्रसाद ..	श्री नन्द किशोर ..	नवाबगंज
	४३—श्री राम सजीवन ..	श्री रघुनन्दन प्रसाद	सतरिख
	४४—श्री सीताराम ..	श्री बल्देव प्रसाद ..	फतेहपुर
	४५—श्री मोहम्मद उमर ..	,,	भिलवल
	४६—श्री रज्जब अली अब्दुल खालिक।	श्री इमामी ..	भिलवल
	४७—श्री मोहम्मद शफी ..	श्री मंगरे ..	भिलवल
	४८—श्री अक्बर हुसैन ..	श्री मुश्फिक हुसैन ..	भिलवल
	४९—श्री बनारसीलाल ..	श्री दुर्गादत्त ..	सफदरगंज
	५०—श्री माजिद अली ..	श्री माशूक अली ..	नवाबगंज
	५१—श्री मैकूलाल ..	श्री शंकरलाल ..	चंदवारा
	५२—श्री नरेन्द्र सिंह कठैत ..	,,	बंकी
	५३—श्री कमलाकान्त ..	,,	नवाबगंज
	५४—श्री गोकरन नाथ ..	श्री बिन्देश्वर प्रसाद	नवाबगंज
	५५—श्री पुरुषोत्तम यादव ..	श्री पलटू राम ..	सफदरगंज
	५६—श्री मैकूलाल ..	श्री अनन्त राम ..	नवाबगंज
	५७—श्री मनोहरलाल ..	श्री बेचूलाल ..	तुरकानी
	५८—श्री पदम कुमार जैन ..	श्री झम्भनलाल ..	नवाबगंज
	५९—श्री गुरु प्रसाद ..	श्री गया प्रसाद ..	खजुरिया
	६०—श्री कल्लू ..	श्री अंगनू ..	शाहपुर

सूची 'ख'

निर्दिष्ट अवधि में जिला बाराबंकी में पोस्ता का छिलका खरीद-फरोख्त करने के लाइसेंस के लिए खारिज किए गए आवेदन-पत्रों का विवरण

नाम आवेदक	पिता का नाम	पता
१—श्री कौसर हुसैन ..	श्री गजनफर हुसैन ..	भित्तई
२—श्री कल्लू	श्री अंगनू ..	शाहपुर
३—श्री मोहम्मद यूनुस ..	,, ..	सफदरगंज
४—श्री मोहम्मद उस्मान, फर्म अब्बास अली ऐंड ब्रदर्स।	श्री शब्बीर अहमद ..	हैदरगढ़
५—श्री बनारसी लाल ..	श्री दुर्गा दत्त ..	सफदरगंज
६—श्री राम प्रकाश ..	श्री प्रेम बिहारी ..	मीनापुर
७—श्री मैकू लाल ..	श्री शंकरलाल ..	चन्दवारा
८—श्री फरहाद हुसैन ..	श्री औलाद हुसैन ..	खेवली
९—श्री मासूम अली ..	श्री मोहम्मद नजीर ..	पीरवटावन
१०—श्री अब्दुल कदीर ..	,,	पल्हरी
११—श्री राम सरन	श्री राम सुख ..	नवाबगंज
१२—श्री कल्लू	श्री अंगनू ..	शाहपुर
१३—श्री ठाकुर प्रसाद ..	श्री सीताराम ..	फतेहपुर
१४—श्री शफीउद्दीन ..	श्री रुस्तम ..	नवाबगंज
१५—श्री हरिप्रसाद ..	श्री अशर्फीलाल ..	हरख
१६—श्री राम शंकर	श्री महादेव प्रसाद ..	गदिया
१७—श्री हरभोज सिंह ..	श्री अमरसिंह ..	नवाबगंज
१८—श्री बशीर अहमद ..	श्री हाजी बकरीदी ..	भिलवल
१९—श्री मोहम्मद सलीम ..	श्री करीम ..	जौरास
२०—श्री मोहम्मद सुलेमान ..	श्री मोहम्मद इसमाइल ..	भिलवल
२१—श्री बशीर अहमद ..	श्री हाजी बकरीदी ..	भिलवल
२२—श्री प्रेम चन्द्र	श्री राज बहादुर ..	खुशहालपुरवा
२३—श्री मासूम अली ..	श्री मोहम्मद नजीर ..	नवाबगंज
२४—श्री शरफउद्दीन	श्री रुस्तम अली ..	जंहगीराबाद
२५—श्री शफीकुर्रहमान ..	,,	मोहल्ला रसूलपुर, बाराबंकी नगर।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२६ पर)

जिन अनिवार्य कारणों से समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में अधिक समय लग रहा है वे निम्नलिखित हैं :

(१) वेतन सम्बन्धी एवं अन्य समस्यायें जो सरकार द्वारा समिति को सुपुर्द की गई हैं उनके बारे में सम्पूर्ण तथ्य एवं आंकड़े प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगना स्वाभाविक ही था। ये तथ्य व आंकड़े राज्य के सभी विद्युत् प्रतिष्ठानों से प्राप्त किए गए और अधिकांश प्रतिष्ठानों ने इस काम में काफी समय लिया। लगभग सभी प्रतिष्ठानों से पहली बार में प्राप्त सूचना में अनेक कमियां पाई गयीं और सम्पूर्ण अथवा सही तथ्यों को प्राप्त करने के लिए पुनः कई-कई बार पत्र-व्यवहार किया गया। कुछ प्रतिष्ठानों से सूचना स्वयं उनके पास जाकर ही प्राप्त हो सकी।

(२) इस प्रकार से प्राप्त तथ्य एवं आंकड़ों के संकलन में पर्याप्त समय लगना स्वाभाविक था।

(३) समिति की सदस्यता में समय-समय पर कई बार परिवर्तन करने पड़े। इससे भी समिति की प्रगति में कुछ बाधा उत्पन्न हुई।

(४) समिति के सदस्यों में विभागीय सचिव, पार्लियामेंट के सदस्य व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं जो बहुधा अपने दूसरे अधिक आवश्यकीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं और इसी लिए समिति की लगातार बैठकें करना सम्भव नहीं हुआ। कई बार पूर्व आयोजित बैठकों को इन्हीं कारणों से स्थगित भी करना पड़ा।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३४ पर)

श्री रियासत हुसैन की तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर में उल्लिखित सूची।

लखनऊ ३२ स्टेशन रोड स्थित पी० सी० एफ० की इमारत में सहकारी विभाग के रहने वाले कर्मचारियों की सूची।

नाम	पद
१—श्री एस० एन० त्रिपाठी ..	सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश एवं जनरल मैनेजर, यू० पी० फेडरेशन (प्रेस), लखनऊ।
२—श्री पानसिंह ..	चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी
३—श्री अमरसिंह ..	
४—श्री राम चरन ..	
५—श्री रघुवर दयाल ..	
६—श्री रामनाथ ..	
७—श्री राम किशोर ..	
८—श्री कृपाल सिंह ..	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५ एल० ए०—१९६६—८६२।